SARVA SHIKSHA ABHIYAN

सर्व शिक्षा अभियान

(S..S.A)

प्रासपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद–श्रावस्ती

अनुक्रमणिका

क्रसं0	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	जनपद की पृष्ठभूमि	1–3
2.	शैक्षिक–परिदृश्य	4–13
3.	नियोजन–प्रक्रिया	14–46
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एव उद्देश्य	47–51
5.	समस्याएं एवं रणनीतियां	52–62
6.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार–1	63–66
7.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार–2	67–83
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	84–126
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	127–171
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	172–181
11.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष (प्रासपेक्टिव प्लान) 2002–2007	182–191

अध्याय– 1
सर्व शिक्षा अभियान जनपद– श्रावस्ती।

जनपद की पृष्ठ भूमि

देवी पाटन मण्डल के अन्तर्गत स्थित जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से सटी नैपाल सीमा से स्पर्श करता हुआ स्थित है। इसके उत्तर में नैपाल देश, पूरब में जनपद बलरामपुर, दक्षिण एवं पश्चिम में जनपद बहराईच सीमावर्ती देश एवं जनपद है। बहराइच जनपद के विभाजन से इस जनपद का गठन मई 1997 में हुआ था।

श्रावस्ती प्राचीन युग में कोसल जनपद का प्रमुख नगर रहा थां बुद्ध काल से इस नगर का वैभव अपनी पूर्णता पर थां स्वयं गौतम बुद्ध ने यहाँ 24 वर्ष तक तपस्या की। राप्ती नदी के किनारेबसा यह जनपद छोटी–छोटी नदियों से आच्छादित है। वर्ष के 03 माह यहाँ अधिकांश भाग में बाढ़ का प्रकोप रहता है। विकास से कोसो दूर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपदों में से एक श्रावस्ती जनपद में जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यहाँ के निवासियों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है।

जनपद में आवागमन की सुविधा नगण्य हैं। यह क्षेत्र रेल मार्ग, सड़क परिवहन आदि की सुविधा से वंचित है। जनपद के अधिकांश भाग में वर्ष में एक ही फसल पैदा होती है।

जनपद श्रावस्ती में कुल 2 तहसीलें एवं 5 विकास खण्ड हैं। तहसीलें क्रमशः भिनगा एवं इकौना, है। तहसील भिनगा के अन्तर्गत वि0ख0 हरिहरपुररानी, जमुनहा एवं सिरसिया, तहसील इकौना के अन्तर्गत वि0ख0 इकौना एवं गिलौला है। इस जिले में कुल 54 न्याय पंचायतें, 334 ग्राम पंचायतें और 513 राजस्व ग्राम है। जिले का कुल क्षेत्रफल 2380.3 वर्ग किमी0 है।

सारणी 1.1
जिले का प्रशासनिक इकाईयां

तहसील	02
विकास खण्ड	05
न्याय पंचायत	54
ग्राम पंचायत	334
राजस्व ग्राम	513
बस्तियों की सं0	2914
नगर क्षेत्र	शून्य
नगर नि"ाम	शून्य
नगर महा पालिका	शून्य
नगर पालिका	शून्य
टाउन एरिया	शून्य
वार्ड	शून्य

श्रोत– राजस्व अभिलेख एवं सांख्यिकी पत्रिका श्रावस्ती के अनुसार–

जनपद श्रावस्ती की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि में मुख्य रूप से गेंहू, अरहर, सरसों, मक्का, मूँगफली, धान, गन्ना की उपज कृषकों द्वारा की जाती है। विकास खण्ड सिरसिया का अधिकांश भाग बन से आच्छादित है। इस विकास खण्ड में जन जाति (थारू) निवास करतें है जिनका रहन–सहन जातिगत है। इस जनपद की प्रमुख नदी राप्ती है जो विकास खण्ड जमुनहा, हरिहरपुररानी, सिरसिया से इकौना होकर बहती है। वर्षा ऋतु में इस नदी में प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ आ जाती है जिसके कारण निकटवर्ती ग्राम वासियों का जनजीवन विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है एवं काफी क्षति होती है। बाढ़ के कारण विद्यालय में शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है।

जनसंख्या –

जनपद श्रावस्ती की जनसंख्या जनगणना वर्ष – 2001 के अनुसार कुल 855673 है। कुल आबादी में पुरूषों की संख्या 461667 एवं महिला की संख्या 394006 हैं। जनपद का लिंग अनुपात 759 है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी 44754 है। एवं अनु0जन जाति (थारू) की संख्या 5834 है। जनपद की 10 वर्षों में जनंसख्या वृद्धि दर 27.30 हैं। जनपद के एक ब्लाक सिरसिया के वन क्षेत्र में अनु0 जन जाति (थारू) निवास करते है। जिनकी कुल आबादी पुरूष 3018 महिला 2816 है।

अध्याय–2
शैक्षिक परिदृश्य

श्रावस्ती जनपद प्रदेश के न्यूनतम् साक्षरता दर वाले जनपदों में से एक है। श्रावस्ती पूर्व में जनपद बहराइच का एक अंग था जिसके कारण जिला प्राथमिक कार्यक्रम–11 का पंचवर्षीय कार्यक्रम सम्मिलित रूप से बना। विभाजन के फलस्वरूप श्रावस्ती जनपद की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। बजट की पूर्व निर्धारित सीमा, परियोजना कार्यालय का गठन आदि कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू करने में आड़े आये। जनपद की वर्ष – 1991–2001 तुलनात्मक साक्षरता निम्नलिखित है।

सारणी–2.1

	1991	2001
कुल साक्षरता	14.7	24.6
कुल पुरूष साक्षरता	26.4	34.7
कुल महिला साक्षरता	5.8	12.8

सारणी– 2.2

तहसीलदार साक्षरता दर वर्ष– 2001

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	कुल	पुरूष	महिला
1.	भिनगा	21.5	30.04	9.91
2.	इकौना	27.8	39.3	14.4
3.	नगर पंचायत भिनगा	45.2	52.7	37.0
4.	नगर पंचायत इकौना	51.6	60.3	41.9
5.	सिरसिया	24.6	34.7	12.8

श्रोत– अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय जनगणना 2001 के अनुसार–

सारिणी–2.3

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	परिषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			अमान्य संस्थायें		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	हरिहरपुररानी	128	0	128	15	0	15	23	0	23
2.	सिरसिया	131	0	131	11	0	11	15	0	15
3.	जमुनहा	121	0	121	12	0	12	17	0	17
4.	इकौना	117	0	117	21	0	21	28	0	28
5.	गिलौना	142	0	142	18	0	18	26	0	26
	योग	639	0	639	77	0	77	109	0	109

स्रोत– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अभिलेख, श्रावस्ती–

सारिणी–2.4

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	परिषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			अमान्य संस्थायें		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	हरिहरपुररानी	44	0	44	05	0	05	5	0	5
2.	सिरसिया	44	0	44	05	0	05	3	0	3
3.	जमुनहा	46	0	46	03	0	03	4	0	4
4.	इकौना	39	0	39	03	0	03	6	0	6
5.	गिलौना	39	0	39	07	0	07	2	0	2
	योग	212	0	212	23	0	23	20	0	20

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता

सारिणी–2.5

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	परिषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल योग			अमान्य संस्थायें		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्राथमिक विद्यालय	639	–	639	77	–	77	716	–	716	109	–	109
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्रा0 वि0												
3	उच्च प्रा0 वि0	212	–	212	23	–	23	235	–	235	20	–	20
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्रा0 वि0	4	–	4	15	–	15	19	–	19			
5	केन्द्रीय विद्यालय												
6	नवोदय विद्यालय												
7	हाई स्कूल	02	–	02	9	–	9	11	–	11			
8	इण्टर कालेज				12	–	12	12	–	12			
9	डिग्री कालेज	1	–	1	2	–	2	3	–	3			
10	ऑगनबाड़ी केन्द्र की सं0	788	–	788				788	–	788			
11	मकतब/मदरसा				19	–	19	19	–	19	65	–	65
12	संस्कृत पाठशालायें				02	–	02	02	–	02			
13	अन्धे व विकलांग विद्यालय												
14	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	01	-	01				01	–	01			
15	बी0आर0सी	05	–	05				05	–	05			
16	एन0पी0आर0सी	54	–	54				54	–	54			

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपब्धता

सारिणी–2.6

	तीन किमी से कम दूरी पर उच्च प्रा0 विद्यालय	तीन किमी से अधिक दूरी पर उच्च प्रा0 विद्यालय उपलबध	उच्च प्रा0 वि0 विद्यालय तथा प्रा0 वि0 अनुपात 2:1 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्रा0 विद्यालय
ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 800 से अधिक है	–	215	–
ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से कम है	–	20	–

श्रोत– विभागीय ऑकड़े

शिक्षकों की उपलब्धता–

सारिणी–2.7

शिक्षकों की उपलब्धता– (परिषदीय विद्यालयों में)

जनपद श्रावास्ती में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत सं0 रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की सं0 निम्नलिखित है।

	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की सं0	कार्यरत शिक्षा मित्रों की सं0
प्राथमिक विद्यालय	2116	685	1431	594	564
उच्च प्राथमिक विद्यालय	542	165	377	–	–

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय उपलब्धता

सारिणी–2.8

	एक किमी से कम दूरी पर विद्यालय	एक किमी से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलबध	1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय	प्रस्तावित प्रा. वि/ई.जी.एस. केन्द्र
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है	–	–	650	–
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 300 से कम है	–	–	66	–

छात्र नामांकन

प्राथमिक स्तरः–

जनपद श्रावस्ती में 6 से 11 आयु वर्ग के कुल 141099 बच्चे चिन्हित किये गये हैं जिनमें 79718 बालक एवं 61381 बालिकाएं हैं जिनमें से 103627 बच्चों का प्रवेश परिषदीय विद्यालयों में, 8107 बच्चों का प्रवेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों में तथा 2677 बच्चों का प्रवेश अमान्य विद्यालयों में हुआ है। अभी तक कुल 27472 बच्चे (5127 बालक एवं 4971 बालिकाएं) विद्यालय से बाहर हैं जिनके शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य सर्वशिक्षा अभियान में रखा गया है। जनपद का एन. ई. आर. 93.64 प्रतिशत तथा जी. ई. आर. 97.54 प्रतिशत है।

उच्च प्राथमिक स्तर :–

जनपद में 11 से 14 आयु वर्ग के कुल 50536 बच्चे चिन्हित किये गये हैं जिनमें 29608 बालक एवं 20928 बालिकाएं हैं। इनमें से 8316 बच्चों का परिषदीय विद्यालयों में, 1324 बच्चों का प्रवेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों में तथा 438 बच्चों का प्रवेश अमान्य विद्यालयों में है एवं 10458 बच्चे जिनमें से 1301 बालिकांए एवं 1458 बालक हैं वह स्कूल के बाहर है। जिनका शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है। जनपद का एन. ई. आर. 94.80 प्रतिशत तथा जी. ई. आर. 98.75 प्रतिशत है।

छात्र नामांकन (प्राथमिक विद्यालय)

जनपद– श्रावस्ती सारिणी 2.9

क्र.	विकासखण्ड	6 से 11 वय वर्ग की कुल सं0			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्यालयों में नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	हरिहरपुररानी	14983	11203	26186	11874	8296	20170	901	697	1598	216	166	382
2.	सिरसिया	15902	12220	28122	13436	9613	23049	856	701	1557	263	111	374
3.	जमुनहा	17376	12118	29494	11966	8267	20233	931	798	1729	341	231	572
4.	इकौना	17821	15943	33764	12663	10410	23073	928	735	1663	99	108	207
5.	गिलौना	13636	9897	23533	11812	6290	18102	918	642	1560	531	611	1142
	योग	79718	61381	141099	60751	42876	103627	4534	3573	8107	1450	1227	2677

छात्र नामांकन (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

जनपद– श्रावस्ती

सारिणी 2.10

क्र.	विकासखण्ड	11 से 14 वय वर्ग की कुल सं0			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्यालयों में नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	हरिहरपुररानी	6630	4535	11165	1453	755	2208	1181	587	268	33	12	45
2.	सिरसिया	6578	4734	11312	1314	437	1751	1123	403	226	53	28	81
3.	जमुनहा	6567	4545	11112	1193	442	1635	1273	427	400	73	33	106
4.	इकौना	4927	3906	8833	1114	704	1818	1103	568	171	43	108	221
5.	गिलौना	4906	3208	8114	1421	483	904	1186	373	259	98	87	185
	योग	29608	20928	50536	6495	2821	8316	5866	2358	1324	370	268	438

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें
सारणी–2.11

प्राथमिक स्तर		कक्षा कक्ष की आवश्यकता	उपलब्धता	अति0 कक्षा कक्ष की आवश्यकता
1. प्राथमिक विद्यालयों की भवन संख्या	634	1902	1728	174
2. एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	0			
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	299			
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	135			
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	175			
पॉच कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	04			
पॉच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या				

3. शौंचालय युक्त विद्यालय–519 शौचालय बिहीन–52 शौचालय की आवश्यकता–52

4. हैण्ड पम्पयुक्त विद्यालय– 553 हैण्ड पम्प विहीन–18 हैण्ड पम्प की आवश्यकता–18

जर्जर–2 (पुर्ननिर्माण योग्य)

उच्च प्राथमिक स्तर –				
1. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भवन संख्या	212	848	651	197
2. एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	0			
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	2			
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	44			
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	11			
पॉच कक्षीय विद्यालयों की संख्या–	0			
पॉच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	2			

शौंचालय युक्त विद्यालय–212 विहीन– 4

4. हैण्ड पम्पयुक्त विद्यालय– 212 हैण्ड पम्प विहीन–शून्य

जर्जर–2 (पुर्ननिर्माण योग्य)

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं में कमी/आवश्यकता–
सारणी–2.12

क्र.सं.	आइटम सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डी0पी0ई0पी0 वित्त प्राविधान	मॉग	कमी	डी0पी0ई0पी0 वित्त प्राविधान	मॉग
1.	नवीन विद्यालय	–	–	–	–	–	–
2.	विद्यालय पुननिर्माण	2	–	2	2	–	2
3.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष प्रति शिक्षक/प्रति कक्षा कक्ष	174	–	174	197	–	197
4.	पेय जल सुविधा	18	–	18	–	–	–
5.	शौंचालय	52	–	52	–	–	–
6.	चहारदीवारी	–	–	–	–	–	–

श्रोत– विभागीय ऑकड़े

अध्याय– तीन

नियोजन प्रक्रिया

संविधान की धारा 45 में हमारे संविधानविदों ने एक सपना संजोया था कि समस्त 6से 14 वय वर्ग तक के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में डी.पी.ई.पी. के तहत समस्त 6–11 वय वर्ग के बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूरक शिक्षा देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 11–14 वय वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं को भी निःशुल्क, अनिवार्य एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शिक्षक अभिभावक एवं जागरूक नागरिकों का सहयोग प्राप्त कर सभी 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय लाना है।

नियोजन प्रक्रिया में हमें पंचायत राज संस्थाओं को भी सहभागी बनाना होगा तथा सबसे निचले स्तर पर संस्थाओं का भी सहयोग लेना होगा।

ग्राम स्तर पर नियोजन

इस स्तर पर हमने ग्राम तथा वस्ती के प्रत्येक परिवार के 6 से 14 वय वर्ग के बालक तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया। इस स्तर के नियोजन में निम्न तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया।

1 6–14 वय वर्ग के कुल बालक/ बालिकाओं की संख्या।

2 विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।

3 विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।

4 विद्यालय न जाने का कारण।

निर्देशानुसार जुलाई 2003 में "स्कूल चलो अभियान" चलाया गया जिससे जनपद के नामांकन का दर 5 प्रतिशत बढ़ गया। इस अभियान के अन्तर्गत किये गये विविध कार्यक्रमों में अन्य विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों, स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारियों/सदस्यों, ग्राम/विकास खंड/विधान सभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र स्तरीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया गया।

इस अभियान के अन्तर्गत 30–6–2003 को विकास भवन के सभागार में उपर्युक्त समस्त प्रकार के लोगों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों की जानकारी दी गयी। उसी दिन विकास भवन के सभागार में ही पत्रकार वार्ता जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत किये गये कार्यक्रम निम्नवत् रहे –

1. ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा 6–11 वय वयवर्ग के स्कूल न जाने वाले एवं ड्राप आउट बालक/बालिकाओं एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन।
2. ग्राम स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं जनपद स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन।
3. विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रमों के संचालनार्थ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में दायित्व निर्धारण।
4. कक्षा 1 – 5 तक 6–11 आयु वर्ग के चिन्हित बच्चों का नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश।
5. विद्यालयों में प्रविष्ट छात्रों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण।
6. स्कूल चलो अभियान की समीक्षा।

स्कूल चलो अभियान के लाभों की देखते हुए इसे सर्व शिक्षा अभियान में जारी रखा जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन करते समय जनपद के प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण कराया गया जिससे स्कूल जाने वाले, एवं स्कूल न जाने वाले 6–11 वयवर्ग एवं 11–14 वयवर्ग के बच्चों की संख्या एकत्रित की गई। इस कार्य के परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को मुख्य रूप से लगाया गया तथा ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग भी प्राप्त किया गया। पहली बार स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्कूल न जाने के चार महत्वपूर्ण कारणों की पहचान की गयी तथा 6–14 वय वर्ग के बच्वें का इन चार वर्गो में विभाजन भी किया गया है। ये चार कारण निम्नवत् हैं–

(1) अपने घरेलू कार्यों में लगे रहना।

(2) मजदूरी में लगे रहना।

(3) छोटे भाई–बहनों की देखभाल।

(4) विद्यालय की अनुपलब्धता।

(5) अन्य कारण

उपर्युक्त कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण निम्नवत् हैं–

सारिणी संख्या 3.3

क्र.	कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1.	अपने घर के कार्यों में लगे रहना	1894	1532	3545	2129	2912	3089	8352	6750	15102
2.	मजदूरी में लगे रहना	90	167	538	509	1453	483	2081	1159	3240
3.	भाई–बहनों की देखभाल	1900	1739	2378	3308	1500	1642	5778	6689	12467
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	1342	950	1435	2446	701	956	3478	4352	7830
5.	अन्य कारण	3517	1604	1264	2118	634	678	5415	4400	9815
	योग	8743	5992	9160	10510	7201	6848	25104	23350	48454

सर्व शिक्षा अभियान हेतु नियोजन

इस दिशा में निम्नांकित प्रयास किये गये।

1 नियोजन टीम का गठन।

2 ग्राम स्तर पर बैठकें।

3 विकास क्षेत्र स्तर पर बैठक।

4 जिला स्तर पर बैठक तथा विभिन्न विभागों से समन्वय/सम्पर्क।

5 F.G.D. (Foucs Group Diseusson) टीम का गठन एवं विचार विमर्श।

1. नियोजन की टीम का गठन

जनपद सर्वप्रथम इस अभियान को पूर्ण रूप देने के लिये 10 सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया। जिसमें चार जिला समन्वयक, एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, 3 पति उपविद्यालय निरीक्षक, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं।

सारणी-3.4

31 अगस्त 2003 तक हाउसहोल्ड सर्वे द्वारा चिन्हित बच्चों के नामांकन के उपरान्त शेष बच्चें जो विद्यालय न जाने वाले उनके प्रवेश हेतु अपनायी गयी रणनीति की कार्ययोजना : वर्ष 2003-04

जनपद : श्रावस्ती

आयु वर्ग	31.07.03 के पश्चात् विद्यालय न जाने वाले			प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली रणनीति	कब से कब तक	
	बालक	बालिका	योग			
5-6	1527	1017	2544	- जनजागरण पखवारा द्वारा प्रवेश अभियान चलाकर बच्चों का नामांकन कराना। - माता शिक्षक संघ, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक गोष्ठियाँ तथा महिला प्रेरक समूहों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय, 80 इ0जी0एस0 तथा 40 ए0आई0ई0 केन्द्रों पर प्रवेश दिलाना। 52 प्रत्येक न्यायपंचायत स्तर पर ब्रजकोर्स कैम्पों के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जायेगा।	01.09.03	30.09.93
7-10	1638	2084	3722	- जनजागरण द्वारा, ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा, महिला प्रेरक दलों द्वारा शिक्षक-अभिभावक संघों के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 80 ई0जी0एस0/40 ए0आई0ई0 केन्द्रों पर प्रवेश दिलाना। - जनजागरण अभियान के माध्यम से बच्चों के प्रवेश हेतु घर-घर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर 52 ब्रजकोर्स कैम्पों के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जायेगा।	01.09.03	30.09.93
11-14	1032	1298	2330	- जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 132 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ए0आई0ए0 के 15 नवीन केन्द्रों पर एक अभियान चलाकर बच्चों का शत् प्रतिशत् नामांकन किया जाएगा। - इस कार्य हेतु ग्राम शिक्षा समितियों/माता-शिक्षक संघ/ अभिभावक शिक्षक संघ/महिला प्रेरक दल तथा मीना मंच के सदस्यों का सहयोग लिया जायेगा। - जनपद स्तर/न्याय पंचायत स्तर पर ब्रिज कोर्स कैम्प के माध्यम से मुख्य धारा में बच्चों कको जोड़ा जायेगा।	01.09.03	30.09.93
योग	4197	4399	8596			

2. ग्राम स्तर पर बैठक

ग्राम स्तर पर उक्त नियोजन टीम द्वारा बैठक की गयी, जिसमें जन समुदाय को सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं महत्वपूण विन्दुओं पर बताया गया। यह भी चर्चा की गयी कि जनसमुदाय इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों, बी.डी.सी. सदस्यों तथा शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन व्यक्तियों का सहयोग सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु किया जा रहा है।

3. विकास क्षेत्र स्तर पर बैठक

इस स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी, ब्लाक प्रमख, जिला पंचायत सदस्य, बी. डी. सी. सदस्य, ग्राम प्रधानों, शिक्षक समुदाय, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक समन्वयक बी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. ने प्रतिभाग किया। प्रतिभाग किये गये लोगों द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा महत्व पर विचार विमर्श किया गया।

4 **F.G.D. (Focus Group Diseusson)** टीम का गठन एवं विचार विमर्श।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के रूप में जिले में विभिन्न ग्राम स्तर पर बैठकें की गयी जिसमें क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, वी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. प्राथमिक, पूर्व मा. विद्यालयों के अध्यापक, स्वयं सेवी संगठनों के प्रति निधियों एवं उपस्थित नागरिकों का पूर्ण सहयोग मिला।

ग्राम स्तर पर हुई उक्त बैठकों से सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जन समुदाय की अपेक्षाओं को जानने में मदद मिली और ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी उक्त अभियान में अपनी भूमिका स्पष्ट हुई।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में एजेन्सी/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयः–

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयक स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र – छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिसमें चिन्हित रोगी छात्र छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को कराया जा सके तथा स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। स्वास्थ्य कार्ड व स्वास्थ परीक्षण सम्बन्धी रजिस्टर का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाये।

विकलांग कल्याण विभाग से से समन्वयः–

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र/ छात्राओं को उपकरण/ उपस्कर { ट्रायसाइकिल, बैसाखी, कृत्रिम अंग, चश्मा, छड़ी इत्यादि} उपलब्ध करने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाये। चिहिन्त विकलांग बच्चों को उपकरण यंत्र चिकित्सक परामर्श पर शासन द्वारा विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/यंत्रों के वितरण में प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

एन0 आई0 सी0 से समन्वय :–

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के जनपदीय कार्यालय से विभिन्न विभागों से सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं तथा उनका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –3 के विभिन्न कार्यक्रमों में उपयोग किया जा रहा है। जैसे– ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्ययोजना आदि। इसके अतिरिक्त जनपद के पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में भी समन्वयक स्थापित किया गया तथा सर्वशिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव पलान बनाने में भी उनसे प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

आई0 सी0 डी0 एस0 के साथ समन्वय :–

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, एन. जी. ओ. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है और आई. सी. डी. एस. के साथ समन्वय स्थापित करके उनके आंगन बाड़ी केन्द्रों को डी. पी. ई. पी. योजनान्तर्गत संचालित किया जाता है आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय परिषदीय विद्यालयों के समय के अनुसार निर्धारित किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण अथवा उनके निकट की जाती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है इन केन्द्रों को ई. सी. सी. ई. केन्द्र कहा जाता है।

समाज कलयाण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से समन्वयः–

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अनु0 जाति के छात्रों छात्राओं को एवं अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में 300/– उच्च प्राथमिक विद्यालय में 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वयः–

प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को क्रमशः 300/– व 480/ की दर से प्रति वर्ष छात्र वृत्ति दी जाती है जिससे छात्र/ छात्राओं को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

ग्राम पंचायतों से समन्वयः—

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहां पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना एवं शिक्षा योजना को सफल बनाने हेतु सहयोग देना ग्राम प्रधान का प्रमुख दायित्व है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण, माइक्रोप्लानिंग, शिक्षा मित्रों का चयन, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, आचार्यो की नियुक्ति, ई. सी. सी. केन्द्रों के संचालन में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका निभाई जा रही है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वयः—

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को 3 किलो ग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है। इस योजना से विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में सकारात्मक वृद्धि होती है जिससे शिक्षा का प्रतिशत में वृद्धि होती है।

उत्तर प्रदेश जल निगम/यू0पी0 एग्रो से समन्वयः—

उपरोक्त दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलबध कराने हेतु हेण्डपम्पों की स्थापना की जाती है तथा जो हैण्ड पम्प खराब हो जाते हैं उनकी समय समय पर मरम्त भी करते हैं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वयः–

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण {डी. आर. डी. ए.} के सहयोग से विद्यालय भवन के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग द्वारा तथा शेष 60 प्रतशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

युवा कल्याण विभाग से समन्वयः–

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता करायी जाती है ताकि छात्र छात्राओं में खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय जनसमुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

खेलकूद विभाग से समन्वयः–

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के रूप में खेलकूद को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत विद्यालय स्तर से लेकर जनपद स्तर एवं उसके बाद मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर खेल कूद प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है। जो क्रीडा विभाग से समन्वय के अभाव में असम्भव होती। इस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त होता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

योजना निर्माण प्रक्रिया

भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान हेतु विभिन्न इक्कीस जनपदों को चयनित किया गया है। जिसमें देवा पाटन मण्डल गोण्डा का जनपद श्रावस्ती भी है। इस अभियान की योजना तैयार करने हेतु राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद में बोधात्मक प्रशिक्षण दिनांक 28. 29 सितम्बर 2001 को आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण में जनपद श्रावास्ती से जिला कोर टीम के कुछ छः सदस्यों ने प्रतिभाग किया। जिसमें विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती, सहायक लेखाधिकारी (डी0पी0ई0पी0) प्रभारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावास्ती सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रवक्ता डायट पयागपुर श्रावस्ती ने प्रतिभाग किया। राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद के विभिन्न प्रवक्ताओं तथा निदेशक सीमेट द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का पर्स पेक्टिव प्लान एवं कार्य योजना तथा बजट निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा प्लान बनाने हेतु सहायक बिन्दु तथा संक्षिप्त विवरण सम्बन्धी निर्देश भी उपलब्ध कराये गये। जिसके अनुसार जनपद श्रावस्ती की योजना निर्माण की प्रक्रिया हेतु जनपद मुख्यालय ब्लाक मुख्यालय तथा ब्लाक मुख्यालय से न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर विभिन्न स्तर विभिन्न तिथियों में बैठकें आयोजित की गई। सर्व शिक्षा अभियान के लागू करने हेतु विभिन्न स्तर पर आयोजित बैठकों एवं उसमें विचार विमर्श के उपरान्त उभर कर आये प्रमुख बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है–

जनपद स्तर पर सहभागिता कार्यवाही अन्तर्गत आयोजित बैठकों का विवरण

तिथि	स्थान	प्रतिभाग करने वालों के विवरण	कार्यवाही
24.09.01	पूर्व माध्य0 वि0 भिनता प्रांगण	1. जिलाधिकारी 2. मुख्य विकास अधिकारी 3. जिला विकास अधिकारी 4. अपर जिला अधिकारी 5. उप जिलाधिकारी 6. बेसिक शिक्षा अधिकारी 7. समस्त वि0 खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी 8. समस्त स0बे0शि0अ0 9. समस्त ग्राम प्रधान 10. समस्त प्रधानाध्यापक 11. समस्त ग्रा0पं0वि0अ0	जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें– 1– विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया शिक्षकों से अपील की गई कि गुणवत्ता शिक्षण कार्य करें। विद्यालय भवनों, अति0 कक्षा कक्ष भवन आदि निर्माण कार्यो को निर्धारित मानकानुसार अति शीघ्र पूर्ण करने हेतु ग्रा0 प्र0, प्र0 अ0 को निर्देशित किया गया। 2– सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम। 3– सम्बन्ध में सभी बैठक में अवगत कराया गया। इस अभियान के अन्तर्गत बालिका

			शिक्षा के अधिक के प्रभावी बनाने हेतु स्थानीय आवश्यकता के आधार पर अधिकतम विद्यालय खोलने पर बल दिया जाय। 4— छात्रों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति उन्हें अविलम्ब वितरित कर देने पर जोर दिया। 5— ग्राम शिक्षा समिति की बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करने हेतु प्रकाश डाला गया। यह प्रायः प्रतीत हो रहा है कि ग्रा० शि० समिति अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं है। जनपद में बालिका शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार कक्षा 6 से 8 की शिक्षा हेतु विद्यालयों की उपलब्धता कम है। जिसके लिए स्थान निर्धारित किये जायं।
8.10.01	तहसील सभागार भिनता	1. जिलाधिकारी 2. मुख्य विकास अधिकारी	1— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डायट प्रयागपुर ने सर्व शिक्षा

		3. जिला विकास अधिकारी 4.समस्त जनपद अधिकारी 5. विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी c. सहायक बे0शि0अधि0 7. प्राचार्य डायट 8. ग्रा0पं0 शि0अधिकारी	प्रयागपुर ने सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में अवगत कराया तथा प्रत्येक विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर बैठकें कर सर्व साधारण को सर्व शिक्षा अभियान के बारें में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया कि जन सामान्य से प्राप्त सुझावों को जनपद स्तर पर उपलब्ध करावें। 2– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष बैठकें आयोजित कर के उच्च प्र0 विद्यालयों की आवश्यकता ज्ञात की जाय। 3– सभागार में उपस्थित कुछ प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि प्रकृतिक अवरोधों के स्थान पर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

जनपद स्तर पर सहभागिता कार्यवाही अन्तर्गत आयोजित बैठकों का विवरण

तिथि	स्थान	प्रतिभाग करने वालों के विवरण	कार्यवाही
02.10.01	पूर्व माध्यमिक वि0 शिकारी (जमुनहा)	1. क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष 2. सहा0बे0शि0 अधिकारी 3. न्याय पंचायत के प्रधान 4.समन्वयक, सहसमन्वयक एवं न्याय पंचायत स्तरीय समन्वयक	सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सभी को पूर्ण जानकारी करायी गयी आपसी विचार विमर्श करने के फलस्वरूप निम्न विचार प्राप्त हुए– 1– बालिका शिक्षा पर अभिभावक कम ध्यान देते है। जिसके लिए अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। 2– पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण बालिकाओं का विवाह कम आयु में हो जाता है। जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। अभिभावकों में जागरूकता पैदा की जाय कि कम उम्र में विवाह न करें तथा उन्हें शिक्षा पर विशेष बल दें। बालिकाओं को दूर भेजने में

			अभिभावक संकोच करते है। इसके लिए निकट पूर्व मा0 विद्यालय सुविधा उपलब्ध करायी जाय। 3– शिक्षकों से अन्य विभागीय कार्य लेने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः अध्यापकों से अन्य विभागीय कार्य न लिए जाय।
11.11.01	पूर्व माध्यमिक वि0 शिकारी (जमुनहा)	1. सहा0बे0शि0 अधिकारी 2. समन्वयक, बी0आर0सी0 3. सम. ए0बी0आर0सी0 4. सम0एन0पी0आर0सी0 5. ग्राम प्रधान समस्त 6. प्र0 अ0 समस्त	सुझाव प्राप्त– 1– शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय। 2– एकल अध्यापकीय विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक नियोजित किये जाय। 3– ग्रा0 शि0 समिति को सजग एवं विकसित किया जाय। 4– शिक्षक अभिभावकों के बीच आपसी तालमेल की कमी को दूर किया जाय।

05.10.01	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र बालापुर	समन्वयक न्याय पंचायत ग्राम प्रधान अभिभावक प्र0 अ0	1– न्याय पंचायत में भौगोलिक दृष्टिकोण से आवागमन हेतु रास्ता सर्व सुलभ नहीं है। ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे बच्चों को आने जाने में सुविधा हो। 2– न्याय पंचायत अल्पसंख्यक एवं अनु0 जाति बाहुल्य है। यहाँ पूर्व मा0 वि0 एवं प्रा0 वि0 मानकापुर खोले जायें। यह न्याय पंचायत वि0 ख0 का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। 3– शिक्षकों पर सूचनाओं एवं गैर विभागीय कार्यों का बोझ अधिक रहता है। कम किये जाने की आवश्यता है। 4– शिक्षा को रोजगार परक बनाने की आवश्यकता है।
12.10.01	पूर्व मा0वि0 शिकारी	ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य समन्वयक न्याय पंचायत प्र0अ0 / इ0प्र0अ0	1–3 किमी0 की दूरी एवं जन संख्या आधार पर पूर्व मा0वि0 खोले जाने का सुझाव दिया गया इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत सर्रा में, बैसॉव में एक पूर्व मा0 वि0 खोलने हेतु प्रस्ताव किया गया।

		सेवा निवृत्ति प्र0अ0 ग्राम शिक्षा समिति सदस्य अध्यक्षा, महिला प्रेरक समूह ग्राम वासी	प्रस्ताव किया गया। 2— बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावक उदासीन रहते हैं। उन्हें प्रेरित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है। 3— बाल विवाह शिक्षा में बाधक है। इस कुरीति की समाप्ति के सम्बन्ध में अभिभावकों को समझाया जाय। 4— हर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने से अपवन्चित वर्ग के बच्चों/अभिभावकों में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। 5— शिक्षा को अनिवार्य घोषित न करने के कारण भी अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेजने में विशेष रूचि नहीं रखते है।
13.10.01	न्याय पंचायत संशाधन केन्द्र बैजनाथपुर	ग्राम प्रधान प्र0अ0/इ0प्र0अ0	1— निम्नलिखित कारणें से अभिभावक/बच्चे विशेषकर बालिकायें शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है:—

		स0अ0 शिक्षा मित्र समन्वयक न्याय पंचायत	जागरूक नहीं है:– 1– अभिभावक बालिका शिक्षा को महत्व नहीं देते है। 2– गरीबी कारण से बच्चों से घरेलू कार्य लिया जाता है। 3– बाल विवाह, दहेज प्रथा बच्चों की शिक्षा में बाधा है। 4– धार्मिक मान्यतायें बालिका शिक्षा में बाधक है। 5– बालिका विद्यालयों का नह होना। 6– बालिकाओं की सामाजिक असुरक्षा की समस्या। 7– लड़कियों को दूसरी सम्पत्ति मानने की मानसिकता के कारण अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा में प्रति रूचि न होना। 8– छात्रवृत्ति प्रोत्साहन सभी वर्ग के बच्चों को न दिया जाना। 9– शिक्षा अनिवार्य घोषित न होना।

			10– नवीन जूनियर होई स्कूल ग्राम पंचायत लक्ष्मनपुर सेमरहनियां में खोलने का प्रस्ताव किया गया।
16.10.01	प्रा0वि0 भगवानपुर भैंसाही	ग्राम प्रधान समन्वयक न्याय पंचायत प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 स0अ0	1– अभिभावकों, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण सकारात्मक प्रयास की आवश्यकता। 2– 3 किमी0 दूरी एवं जनसंख्या आधार तथा आवश्यकतानुसार पूर्व मा0 वि0 खोलने हेतु सुझाव दिये गये।
19.10.01	न्यायपंचायत संसाधान केन्द्र श्रीनगर	उप प्रधान प्र0अ0 इ0प्र0अ0 स0अ0	1– सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत नवीन पूर्व मा0 विद्यालयों के खोलने की आवश्यकता बैठक में बतायी गयी जिसके क्रम में ग्राम बालापुर में एक पूर्व मा0 वि0 प्रस्तावित किया गया। 2– बालिका साक्षरता प्रतिशत की कमी की समस्या के प्रति गम्भीरता से बैठक में विचार विमर्श किया गया। जिसके फलस्वरूप असूरक्षा बाल

			विवाह, धार्मिक मान्यतायें, विद्यालयां का अधिक दूरी पर होना, बालिकाओं के अनुकूल विद्यालयों में प्रशाधन आदि की समुचित व्यवस्था न होना, बालिकाओं को दूसरे परिवार की सम्पत्ति समझना आदि कारण उभर कर स्पष्ट हुये। उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु सकारात्मक प्रचार–प्रसार एवं शिक्षा की महत्त स्थापित करने का प्रयास किया जाय।
13.10.01	न्याय पंचायत रामपुर	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1– अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाय। 2– शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाय। 3– अभिभावक अपने बच्चों को घर के काम काज में व्यस्त न रखें इसके लिए उनहें प्रेरित किया जाय।
15.10.01	न्याय पंचायत धूम बोझी दुर्गा	ग्राम प्रधान समन्वयक	1– शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय। 2– बालिकाओं की शिक्षा के

		ग्रा0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	प्रति अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। 3– बालिकाओं के प्रति अभिभावकों में असुरक्षा की भावना समाप्त करने पर विशेष बल दिया जाय।
15.10.01	न्याय पंचायत गौसपुर	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1– प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक तैनात किये जाय जिसमें एक महिला हो। 2– महिला अध्यापिका न होने पर शिक्षा मित्र महिला हो जिससे बालिकाओं का नामांकन अधिक
20.10.01	न्याय पंचायत गोठवा	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1–शिक्षकों की कमी, शिक्षा मित्र एवं शिक्षकों द्वारा पूरा किया जायेगा। 2– नागरिकों का सहयोग न मिलना, ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देकर उनके अधिकार व कर्तव्यों का बोध कराया जायेगा।

21.10.01	न्याय पंचायत हरिहरपुररानी	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अन्य गणमान्य व्यक्ति	परम्परागत रूढ़िवादिता, अशिक्षा, प्रभावी निरीक्षण में कमी, छात्रवृत्ति विवरण में भेद भाव आदि। सभी समस्याओं पर विचार किया गया इसके खण्डन के लिए जन जागरण की आवश्यकता।
22.10.01	न्याय पंचायत परशुरामपुर	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	शिक्षा का रोजगार परक न होना शिक्षा के प्रति उदासीनता, विद्यालय में शिक्षकों की कमी, शिक्षा मित्रों द्वारा पूरी की जायेगी। शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देकर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जायेगी।
24.10.01	न्याय पंचायत तिलकपुर	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	अभिभावकों की गरीबी एवं उनकी अशिक्षा, जनसंख्या का घनत्व आदि इस सन्दर्भ में कई सुझाव आये और लोगों को बताया गया।

24.10.01	न्याय पंचायत मछरिहवा	ग्राम प्रधान स0बे0शि0 अधिकारी समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1–अभिभावकों की निर्धनता एवं अशिक्षा, प्रोत्साहन की कमी, उक्त सन्दर्भ में छात्रवृत्ति विवरण सभी वर्ग के निर्धन छात्रों को किया जाना चाहिए। 2– बाल पोषाहार का विरतण नियमित होना चाहिए।
25.10.01	न्याय पंचायत बैरागीजोत	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1– विद्यालय में शिक्षकों का अभाव जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि छात्रवृत्ति सभी बच्चों को न मिलना। 2– उक्त समस्या का समाधान में लोगों को जागरित किया जाय। उन्हें वृद्धि के कुप्रभावों को बताया जाय। छात्रवृत्ति को बताया जाय। छात्रवृत्ति वितरण वर्ष में एक बार न देकर प्रत्येक माह में दिया जाय।
27.10.01	न्याय पंचायत राजापुररानी	गाम प्रधान समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0	विद्यालयों की कमी, अध्यापकों की कमी शिक्षा मित्र से पूरा किया जाय। विद्यालय में चहारदीवारी का अभाव

		ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	
30.10.01	पूर्व मा0वि0 नौबस्ता	अध्यक्ष, जि0पं9 श्रावस्ती स0बे0शि0 अधिकारी ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1— शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जाय। 2— अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग न मिला इस सन्दर्भ में ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण कराया जायेगा जिससे उनको अधिकार, कर्तव्यों का बोध होगा। 3— निर्धनता, इस सन्दर्भ में छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण की व्यवस्था। 4—शिक्षा का रोजगार परक न होना, व्यवसायिक शिक्षा हेतु काष्टक शिल्प, चर्म उद्योग की व्यवस्था। 5— बालिका विद्यालय का अभाव बालिका विद्यालय की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए।

30.10.01	न्याय पंचायत लक्ष्मणपुर कोठी	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1– अभिभावकों की गरीबी, अशिक्षा, छात्रवृत्ति में असमान्ता, पोषाहार का वितरण न होना। 2– सभी बच्चों को छात्रवृत्ति एवं पोषाहार नियमित मिलना चाहिए।
30.10.01	न्याय पंचायत किशुनपुर चोरवाभारी	ग्राम प्रधान प्र0अ0 प्रा0 वि0 अन्य गणमान्य व्यक्ति	1– बालिका विद्यालय की कमी निर्धनता, अशिक्षा। 2– 800 की आबादी एवं 3 प्रा0 वि0 पर एक जू0 हा0 स्कूल खोला जाना चाहिए।
30.10.01	न्याय पंचायत भंगहा	ग्राम प्रधान प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1–बालिका विद्यालय की कमी, निर्धनता, अशिक्षा आदि। 2– स्कूलों की संख्या बढ़ायी जाय विद्यालय में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाय।
30.10.01	शिवगढ़	ग्राम प्रधान समन्वयक प्र0अ0/इ0प्र0अ0 प्रा0 एवं पूर्व मा0 वि0 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	विद्यालय की कमी, शिक्षकों की कमी अभिभावकों का शिक्षा के निर्धनता आदि। प्राकृतिक अवरोध के कारण वैकल्पिक केन्द्र एवं नये विद्यालयों को खोला जाना चाहिए। छात्रवृत्ति सभी छात्रों को मिलना चाहिए।

विभिन्न बैठकों से उभर कर आये प्रमुख बिन्दुओं का विवरण

1. विद्यालयों का दूर दूर होना :	पूर्व मा0 स्तर के विद्यालय कम संख्या में और बहुत दूर दूर स्थित हैं जिसके कारण छात्र प्राथमिक शिक्षा के बाद घरेलू कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक 3 किमी0 से अधिक दूरी या बस्तियों की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों की समुचित व्यवस्था की जाय अर्थात अधिक से अधिक पूर्व मा0 वि0 खोलने हेतु प्रस्तावित किया जाय।
2. गरीबी तथा अशिक्षा :–	यह जनपद शैक्षिक दृष्टि से अति पिछड़ा है। यहाँ के अधिकांश लोग गरीब है जो मजदूरी व लकड़ी बेचकर जीवन यापन करते हैं तथा घर के बच्चों को शिक्षा न दिलाकर अपने साथ ही कार्य में लगाये रहते हैं। जिससे बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते है। इन छात्रों की शिक्षा के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाय। अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करके, शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला जाय तथा शिक्षा से प्राप्त होने वाले सामाजिक अधिकारों की जानकारी दी जाय जिससे जनसामान्य प्रोत्साहित होकर बच्चों की बढ़ायी सम्यक ढंग से करायें।
3. अभिभावकों में बालिकाओं के प्रति असुरक्षा की भावना :	बालिकाओं की शिक्षा के प्रति लोग बालकों की अपेक्षा कम रूचि लेते है। बालिकाओं की पढ़ायी प्रायः प्राथमिक स्तर तक शिक्षा दिलाने के बाद लोग रोक देते है जिससे बालिकायें गृहकार्य आदि में लग जाती हैं और उनका शैक्षिक विकास बाधित हो जाता है। इसके

	निराकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाय। जिससे अभिभावकों को अन्दर व्याप्त असुरक्षा की भावना दूर हो सके और वह बालिकाओं को आसानी से कक्षा 8 तक शिक्षा दिला सकें।
4. शिक्षा का रोजपरक न होना	विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में विभिनन विषयों के बारें में पढ़ायी की व्यवस्था है किन्तु उससे बालक में पढ़ने के बाद अपने जीवन में समुचित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति अनिश्चितता बनी रहती है। सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में इसकी पूर्ति हेतु कम्प्यूटर तथा व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय जिससे छात्रों के प्रति विशेष अभिरूचि पैदा हो सके।
5. विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों का न होना	प्रायः अधिकांश पूर्व मा0 वि0 में निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षक नहीं हैं। कई ऐसे भी विद्यालय हैं जिनमें शिक्षक अकेले ही कार्यरत है। जिससे छात्रों को समुचित शिक्षा में विशेष बाधा होती है। इसे दूर करने के लिए जो भी नवीन पूर्व मा0 वि0 सर्व शिक्षा अभियान में खोलने हेतु प्रस्तावित किये जाय उसमें मानक के अनुसार पाँच शिक्षकों की व्यवस्था (प्र0अ0 व विषय अध्यापकों सहित) अवश्य की जाय। जो विद्यालयों पूर्व से संचालित हैं उनमें कम अध्यापकों की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की पदोन्नति अथवा नियुक्ति की जाये तथा उनके वेतन के लिए बजट का प्राविधन भी सर्व शिक्षा अभियान में किया जायेगा।
6. ग्राम शिक्षा समितियों में जागरूकता की कमी	ग्राम शिक्ष समितियों का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर है जिसकी बैठकों के आयोजन का प्राविधान है। सचिव (प्र0 अ0) द्वारा ग्रा0 शि0 समिति की बैठक का आयोजन

	करने पर प्रायः सभी सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, और उपस्थित भी होते है तो शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाने हेतु समुचित सुझावों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। ग्राम शिक्षा समितियों को जागरूक बनाने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर समस्त ग्रा0 शि0 समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण का आयोजन अपेक्षित है।
7. प्राकृतिक अवरोधों के स्थान पर विद्यालयों का अभाव	प्रत्येक वि0 ख0 में कतिपय स्थान ऐसे भी हैं जो वनों, नदी, नालों से आच्छादित है और उनमें रहने वाले लोगों के बच्चें वर्षा ऋतु आदि में बाढ़ से प्रभावित हो जाने तथा दुर्गम रास्तों के कारण शिक्षा से 3–4 माह बिल्कुल वंचित हो जाते हैं ऐसी स्थिति में ऐसे स्थानों कमा चिन्हीकरण करके वहाँ निर्धारित मानक से कुछ हटकर शिक्षा व्यवस्था हेतु विद्यालय खोले जांय जिससे उन क्षेत्रों के बच्चों का शैक्षिक विकास सम्भव हो सके।
8. शिक्षकों एवं अभिभावकों के आपसी ताल मेल (सम्पर्क) में कमी	अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराकर अपने दायित्व की इति श्री समझ लेते है उनका बच्चा नियमित विद्यालय जाता है कि नहीं इस पर उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता है इसी प्रकार शिक्षक भी विद्यालय में यदि कोई नियमित नहीं उपस्थित होता है तो उसके बारे में कारण जानने का प्रयास नहीं करते हैं इसके लिए आवश्यक है कि अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करके उनको जागरूक बनाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराये जाय।
9. विद्यालयों में गुणवत्ता परख शिक्षा का अभाव–	विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री विज्ञान उपकरण का प्रायः अभाव रहता है, विषय अध्यापकों की भी कमी से विषयवार समुचित ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है

	इसके निराकरण हेतु प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक उपकरण, विज्ञान उपकरण तथा पुस्तकालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। विषयगत शिक्षकों की पूत्रि तथा उसके पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।
10. अध्यापकों में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता	शिक्षक राष्ट्र निर्माता एवं बच्चों के भविष्य का भाग्य विधाता होता है। जब अध्यापक आपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहन ठीक से नहीं करते है और अभिभावकों के संज्ञान में यह बात पहुँचती है तो उनमें छात्रों को विद्यालय भेजने के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होने लगती है। इससे बचने के लिए अध्यापकों को अपने नैतिक मूल्यों के प्रति सक्रिय बनाने हेतु वांछित प्रशिक्षण आयोजित कराये जाये। जिससे अध्यापक अपने उत्तरदायित्व की भावना से शिक्षण कार्य करें।
11. विद्यालयों में खेलकूद की समुचित व्यवस्था	छात्रों में मानसिक विकास के साथ–साथ शारीरिक विकास भी महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकें तथा क्रीड़ा सामग्री का अभाव है। जिसके का छात्रों को विभिन्न खेलों के अभ्यास से वंचित रहना पड़ता है। इसके लिए प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में क्रिकेट, हाकी फुटबाल, वालीबाल, बैडमिण्टन आदि खेलों के निमित्त पूर्ण सामग्री की समुचित व्यवस्था के साथ–साथ योग्य व्यायाम शिक्षकों की भी व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय। जिससे छात्रों का पढ़ाई के साथ–साथ खेलों में अभिरूचि पैदा हो सके।

अध्याय–4

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य

कक्षा एक से आठ तक सर्व सुलभ शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना अन्तर्गत है। इसके संचालन हेतु अंशदान की व्यवस्था की गयी है जिसकें अन्तर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान 85.15 दशम् पंचवर्षीय योजना के अंशदान 75.25 तथा इसके बाद की अवधि के लिए यह अंशदान 50.50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के निमित्त निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य निम्नवत् है :–

1– समस्त बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन वर्ष 2003 तक विद्यालयों में शिक्षा गारन्टी, वैकल्पिक विद्यालयों के माध्यम से होगा।

2– कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा, वर्ष 2007 तक पूर्ण करना।

3– कक्षा 8 तक की शिक्ष वर्ष 2010 तक पूर्ण करना।

4– गुणवत्ता पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।

5– उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन , ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर शून्य पर लाना।

6– वर्ष 2010 तक पूर्ण ठहराव सनिश्चित करना।

नामांकन के लक्ष्य

जनपद की जनसंख्या जनगणना वर्ष 2001 की प्राप्त हो गयी है जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 2.44: है इस वार्षिक बृद्धि दर के अनुसार वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक जनसंख्या आंकलित की गयी है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			GER
	बालक	बालिक	योग	बालक	बालिक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001–02	78921	50768	139689	66065	47196	113261	84.09
2002–03	79718	61381	141099	66735	47676	114411	81.08
2003–04	80515	62031	142546	67405	48156	115561	81.06
2004–05	81320	62681	144001	68085	48646	116731	81.06
2005–06	82220	63381	145601	68765	49136	117901	80.9
2006–07	83050	64031	147081	69452	49636	119088	80.96
2007–08	83950	64731	150279	70152	50136	120288	80.04
2008–09	84850	65429	150279	70853	50637	121490	80.08
2009–10	85738	66119	151857	71573	51146	122719	80.81

सारणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			GER
	बालक	बालिक	योग	बालक	बालिक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001–02	28478	20119	72864	12604	5423	18077	24.80
2002–03	29608	20928	50636	12731	5549	18200	35.94
2003–04	29908	21337	51245	12981	5624	18605	36.30
2004–05	30208	21557	52366	13131	5704	18835	35.96
2005–06	30509	21857	52366	13301	5777	19078	36.43
2006–07	30826	22107	53683	13451	5857	19308	35.96
2007–08	31326	22357	53683	13701	6920	20621	38.41
2008–09	31676	22607	54283	13851	6983	20834	38.38
2009–10	32026	23837	54863	14011	6011	21022	38.03

वर्ष 2001 से 2002 तक आंकलित जनपद की 6 से 11 वय वर्ग एवं 11 से 14 वय वर्ग की बाल संख्या नामांकन लक्ष्य का विवरण :–

प्राथमिक स्तर पर नामाकंन के लक्ष्य

क्र. सं.	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की सं0	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामंकित बच्चों की सं0	परिषदीय नामांकित बच्चों की सं0	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नही जा रहे हैं	N.E.R.	बालिका+ अनु0 जाति बालक का प्रतिशत (परिपदीय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2001–02	175138	145352	22633	122719	29786	83	0
2	2002–03	178641	164349	23086	141264	14291	92	94647
3	2003–04	182214	178569	23547	155022	3644	98	103865
4	2004–05	185858	185858	24018	161840	0	100	108432
5	2005–06	189575	189575	24499	165076	0	100	110601
6	2006–07	193367	193367	24989	168378	0	100	112813
7	2007–08	197234	197234	25488	171745	0	100	115069
8	2008–09	201179	201179	25998	175180	0	100	117371
9	20009–10	205202	205202	26518	178684	0	100	119718

क्र. सं.	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की सं0	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की सं0	परिषदीय नामांकित बच्चों की सं0	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नही जा रहे हैं	N.E.R.	बालिका+ अनु0 जाति बालक का प्रतिशत (परिपदीय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2001–02	72864	13525	3943	9582	59339	19	6420
2	2002–03	74321	29729	4022	25707	44593	40	17223
3	2003–04	75808	53065	4102	48963	22742	70	32805
4	2004–05	77324	77324	4184	73140	0	100	49003
5	2005–06	78807	78870	4268	74602	0	100	49984
6	2006–07	80448	80448	4353	79094	0	100	50983
7	2007–08	82057	82057	4440	77616	0	100	52003
8	2008–09	83698	83698	4529	79169	0	100	53043
9	20009–10	85372	85372	4620	80752	0	100	54104

ठहराव लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान योजन के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2007 लाया जायेगा तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी उपलब्धि सुनिश्चित की जायेगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर ज्ञात करने के लिए जनपद के तीन विकास खण्डों सरिरिया, गिलौला तथा इकौना में प्रत्येक पर पॉच–पॉच उच्च प्राथमिक विद्यालयों का ड्राप आउट कोहर्ट किया गया। जिसके आधार पर ड्राप आउट 28 प्रतिशत ज्ञात हुआ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप कम करने का लक्ष्य निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है।

सन 2001 की जनगणना क आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक** विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

अध्याय–5

समस्यों एवं समाधान रणनीति

जनपद श्रावस्ती में जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न स्तरों पर सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में बैठकें आयोजित की गयीं इन बैठकों से प्राप्त समस्याओं, विचार एवं रणनीति निम्नवत् है।

(क) शिक्षा की पहुँच

1– अशिक्षा एवं गरीबी अधिक है। गरीबी के कारण लोग अपने भरण पोषण तथा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने हेतु अपने छोटे–छोटे पढ़ने योग्य बच्चों को भी अपने साथ कार्य में लगाये रहते हैं। जिससे बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इन छात्रों की पढ़ायी के लिये समुचित व्यवस्था, सर्व शिक्षा अभियान नवीन विद्यालयों की स्थापना कर ई0जी0एस0 आदि केन्द्र खोलकर की जायेगी। अशिक्षित लोगों के प्रति जागरूकता लाने हेतु उनकी गोष्ठियां आयोजित की जायेगी जिससे उन्हें शिक्षा से प्राप्त होने वाले लाभों तथा सामाजिक अधिकारों की जानकारी देकर जागरूकता पैदा की जाय जिससे वे अपने बच्चों का विद्यालय पढ़ने अवश्य भेजें तथा उनकी पढ़ायी के लिये अपने दायित्वों को समझ सकें।

2. विद्यालय का कम होना :– प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था शासन की विभिन्न योजनाओं एवं डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत हुई है फिर भी कुछ बस्तियों में निर्धारित मानक के अनुसार विद्यालय अब भी नहीं है जिनकी व्यवस्था अपेक्षित है तथा पूर्व मा0 स्तर के विद्यालय अभी बहुत ही कम हैं जिससे अधिकांश छात्र विशेष कर बालिकायें कक्षा छः से आठ तक की शिक्षा वंचित रह जाती है। इसके लिये सर्व शिक्षा अभियान में आवश्यकता अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जायेगी जिससे सभी को समुचित शिक्षा हेतु अत्याधिक दूर न जाना पड़े। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में 68 प्रा0 वि0 एवं 133 उच्च प्रा0 वि0 भी स्वीकृति हैं।

(ख) नामांकन सम्बन्धी

1. विकलांग छात्रों की शिक्षण व्यवस्था का अभाव: सामाजिक परिवेश में प्रत्येक तरह के होते है जिसमें कुछ बच्चे जन्म से ही अथवा बाद में विकलांगता के शिकार हो जाते है जिनके पढ़ने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित शिक्षा के सम्बन्ध में विकास खण्ड जमुनहा, हरिहररानी चयनित किये जा चुक हैं। दोनों विकास खण्डों में दो–दो शिक्षक अर्थात कुल चार शिक्षकों को आधार भूत प्रशिक्षण मूक बधिर विद्यालय टैगोर टाउन इलाहाबाद में कराया जा चुका है तथा आठ शिक्षकों का प्रशिक्षण विकलांग केन्द्र भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद में सम्पन्न कराया गया है विकास खण्ड हरिहरपपुररानी के एक सहायक अध्यापक को समेकित शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिल्ली से कराया गया है। इसके सफल संचालन हेतु डी0पी0ई0पी0 योजजना के बाद सर्व शिक्षा

अभियान में भी समेकित शिक्षा के लिए समुचित बजट का प्राविधान अपेछित है जिससे अक्षम बच्चों की सहायता के लिये उपकरण समाज को जागरूक किये जाने तथा उनकी क्षमताओं को विकसित किये जाने की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव हो सके।

2. नामांकन हेतु अभिभावकों में जागरूकता का अभाव :	बच्चा राष्ट्र का भावी कर्णधार होता है उसे अपने जीवन में समुचित लक्ष्य की उपलब्धि हो सके जिसके लिये शिक्षा एक मूल भूत आवश्यकता है शिक्षा के लिये अभिभावक अपने बच्चों का नाम सही समय पर नहीं लिखाते हैं जिससे बच्चों को पढ़ायी व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाती इसके लिये प्रति वर्ष अभियान चलाकर 6–11 एवं 11–14 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाये शत प्रतिशत नामांकन हेतु PTA तथा MTA की बैठकें आयोजित की जायें।

3. विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा की कमी : पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव है इसके लिये टाट पट्टी बुनने, सिलाई काष्ठ शिल्प तथा कम्प्यूटर सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। जिससे छात्र अपने प्रारम्भिक जीवन में ही सीख कर आगे बढ़ सकें।

(ग) ठहराव सम्बन्धी

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा : अधिकांश लोगों में पिछड़ापन, अशिक्षा एवं गरीबी है जिसके कारण वह अपनी लड़कियों का विवाह अल्प आयु में ही कर देते है। जब लड़की कम उम्र में ही विवाहित होकर अपनी ससुराल चली जाती है तो उसकी पढ़ायी बीच में ही रूक जाती है इसके लिये समय–समय पर स्थानीय लोगों की गोष्ठियॉ करके उन्हें प्रेरित किया जायेगा कि बाल विवाह से क्या क्या हानियाँ होती हैं जिससे बाल विवाह न करे तथा बालिकाओं को पढ़नें हेतु विद्यालय अवश्य भेजें।

2. अभिभावकों और शिक्षकों के सामन्जस्य में कमी:

अभिभावक अपने पाल्य को विद्यालय भेज देने के बाद अपने को दायित्व से मुक्त समझ लेते है वह कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि उन का बच्चा ठीक से पढ़ रहा है या नहीं इस प्रकार शिक्षक भी छात्रों की प्रगति या उनकी कमियों को अभिभावकों को अवगत कराने में अभिरूचि नहीं लेते हैं जबकि छात्र समुचित विकास शिक्षक, अभिभावक व छात्र के जागरूक रहने पर ही निर्भर है छात्र विद्यालय में छः घण्टे रहता है जबकि अपने अभिभावकों के बीच अट्ठारह घण्टे प्रतिदिन रहता है इसके लिये अभिभावकों अपने परिवार में अच्छे संस्कारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए इसके निराकरण हेतु शिक्षक, अभिभावक संघ का गठन करके उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाय जिससे वह अपना पूर्ण योगदान छात्र के समुचित विकास में कर सकें।

3. विद्यालयों का आकर्षक न होना : प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यालय पूरी तरह से सुसज्जित एवं शैक्षिक वातावरण युक्त होना चाहिए यह कार्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में कराया गया है इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को रंगाई पुताई के निमित्त दो हजार रू0 तथा विद्यालय की साज सज्जा हेतु रू0 5000/– का अनुदान दिया जाता है इससे विद्यालयों का वातावरण आकर्षक भी हुआ है इस व्यवस्था को सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक एवं पूर्व मा0 विद्यालयों के लिये प्रस्तावित किया जाय जिसे छात्रों के समुचित विकास हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की व्यवस्था की जा सके।

4. विद्यालयों में गणवेश का अभाव : प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की एक निश्चित वेषभूषा नहीं होती है जिससे छात्रों में अच्छे पहनावे वाले बच्चों को देखकर हीन भावना जागृत होती है और उसमें

कुण्डा व्याप्त हो जाती है। इसके निराकरण हेतु प्राथमिक एवं पूर्व मा0 स्तर पर गणवेश अनिवार्य कर दी जाये लेकिन गणवेष ऐसी हो जो सर्व साधारण आसानी से अपने पाल्यों को उपलब्ध कर सकें। गरीब निर्धन व असहाय बच्चों के लिये समुचित सहायता देने का प्राविधान सर्व शिक्षा के अन्तर्गत किया जाये।

(घ) गुणवत्ता सम्बन्धी

1. विद्यालयों में शिक्षकों की कमी :

प्रायः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानक अनुरूप शिक्षक नहीं है जिससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य बाधित होता है। विकास खण्ड जमुनहा एवं सिरसिया में अधिकांश प्रा0 वि0 में एक ही शिक्षक है। जिससे शिक्षण कार्य विशेष बाधित हो जाता है। शिक्षकों को विभागीय कार्यवश जब जाना पडता है तो विद्यालय बन्द हो जाता है जिसका प्रभाव सीधे छात्रों पर पड़ता है। अस्तु सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित मानक के अनुसार

शिक्षकों की व्यवस्था प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुनिश्चित की जायेगी।

2. अध्यापकों से विभिन्न कार्य कराया जाना :	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से विभागीय कार्य के अतिरिक्त अनेक कार्य कराये जाते हैं जैसे चुनाव, चुनाव सूची, पुनरीक्षण, आर्थिक गणना, जनगणना पल्स पोलियो, फोटो पहचान पत्र आदि। विभिन्न कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लग जाने से विद्यालयों का शिक्षण कार्य लगभग डेढ़ माह बाधित हो जाता है जिसका छात्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है शिक्षकों को अन्य कार्यों से जहॉ तक सम्भव हो सके रखा जाय जिससे वह पूर्ण मनो योग से शिक्षण कार्य सम्पन्न कर सके।
3. शिक्षकों में विषय ज्ञान का न होना :	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है और उन्हें यदि विज्ञान, अंग्रेजी, गणित का ज्ञान नहीं है फिर भी उन्हें पढ़ाना पड़ता है तो यह कार्य उन्हें भार स्वरूप लगता है। इसके लिये शिक्षकें को समय–समय पर

उसकी जानकारी सम्बन्धित अभिभावक को दी जाये तथा जिस विषय में छात्र ज्यादा कमजोर हो उस पर विशेष देकर उसके स्तर को सुधारा जाय।

(ड़) संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी

1. ग्राम शिक्षा समितियों में जागरूकता की कमी– ग्राम शिक्षा समितियों का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है इस समिति की मासिक बैठक का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक (सचिव) का होता है प्रधानाध्यापक बैइक का आयोजन कराते है कभी–कभी सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम हो जाती है जिससे बैठक सम्पन्न नहीं हो पाती। शिक्षा समिति के सदस्य कम रूचि लेते है इनमें जागरूकता लाने हेतु वर्ष में एक या दो बार शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण का आयोजन कराया जाय जिसमें उन्हें ग्राम के शैक्षिक विकास, सभी बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाने एवं ठहराव के दायित्वों का बोध कराया जाय।

2. प्रभावी निरीक्षण की कमी :

प्राथमिक एवं पूर्व मा0 वि0 में प्रभावी नियंत्रण हेतु निरीक्षण के लिये विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था है विभागीय कार्यों में अधिकता एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यों के कारण विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण नहीं हो पाता है समय–समय पर निरीक्षण होते रहने एवं निरीक्षण में सुधारात्मक मार्ग दर्शन प्राप्त होने से गुणवत्ता में काफी सुधार होता है। डी0पी0ई0पी0 योजना अन्तर्गत निरीक्षण को अधिक प्रभावी एवं शिक्षण को गुणवत्ता परक बनाने हेतु ब्लाक स्तर पर समन्वयक की व्यवस्था की गयी है इससे नियंत्रण में काफी सुविधा होती है सर्व शिक्षा अभियान में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाय।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :–

जनपद श्रावस्ती में कुल पांच विकास खण्ड है जिनमें शैक्षिक दृष्टि से आवश्कता अनुसार कुल 68 नवीन विद्यालयों की स्थापना करायी जा चुकी है।

प्रस्तावित नवीन प्रा0 वि0 की वर्षवार स्थापना

प्रकार	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	Total
प्रा0वि	––	––	68	––	––	––	––	––	––	68

2. उच्च प्राथमिक विद्यालय :–

उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु विद्यालय बहुत दूर–दूर है जिसके कारण बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षाजन में विशेष कठिनाई होती है। प्रायः अभिभावकों की मानसिकता होती है कि बालिकाओं को दूर पढ़ने के लिये नहीं भेजते हैं जिससे उनकी पढ़ायी बाधित हो जाती है। इसके निराकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्रा0 वि0 153 की स्थापना की गई है।

प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

प्रकार	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	Total
उच्च प्रा0वि	––	21	132	––	––	––	––	––	––	153

3. शिक्षक व्यवस्था :– उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक कक्षायें संचालित होती है छात्रों का शैक्षिक स्तर प्राथमिक स्तर से बढ़ जाता है इन विद्यालयों के शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु पॉच शिक्षक आवश्यक है सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित समस्त उच्च प्रा0 वि0 में पॉच शिक्षक सुनिश्चित की जायेगी। पॉच शिक्षक

में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक होगें। जिसमें स0अ0 में विज्ञान, गणित, संस्कृत व अंग्रेजी विषयों के पढ़ाने की क्षमता रखने वाले शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। जिसमें 50 प्रतिशत महिला शिक्षक होंगी।

4. विद्यालय साज सज्जा :— सर्व शिक्षा अभियान में नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों में साज सज्जा हेतु निर्धारित मानक के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी जिससे छात्रों के बैठने हेतु टाट पट्टी, शिक्षकों के लिये कुर्सी, मेज तथा श्यामपट, आलमारी तथा खेलकूल सामग्री विज्ञान सामग्री एवं पुस्तकालय की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को बैठने हेतु बेंच, डेस्क तथा विज्ञानोपकरण, क्रीड़ा सामग्री पुस्तकालय आदि की व्यवस्था वांछित धनराशि उपलब्ध कराकर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

5. पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी :—

नवीन प्रस्तावित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल हेतु इण्डिया मार्का 2 हैण्ड पाइप सभी विद्यालयों में लगवाइ जायेंगे। बालक एवं बालिकाओं के अलग–अलग शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। विद्यालयों के प्रांगण को सुसज्जित करने, बाहरी हस्तक्षेप को रोकने तथा बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यकता चहारदीवारी का निर्माण करायाा जायेगा।

6. निर्माण कार्य संस्था :—

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है जिनको प्रस्तावित विद्यालयों के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उन्हीं के माध्यम से निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा।

7. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण लागत में मितव्ययता लाने की व्यवस्था :

सर्व शिक्षा अभियान योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालय जो प्रस्तावित है उनका निर्माण कार्य पूर्व संचालित प्रा0 विद्यालयों के परिसर में किया जायेगा जिससे प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों तथा इण्डिया मार्का –11 हैण्डपाइप चहारदीवारी व भूमि का उपयोग उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया जा सकेगा इससे नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में हैण्ड पम्प शौचालय आदि के मद में वचत हो सकेगी।

8. शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी हेतु सर्वेक्षण :–

विशिष्ट स्थानों पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने हेतु उनमें भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता की जानकारी के लिये त्वरित सर्वेक्षण कराया जायेगा। जिसके आधार पर आगामी वर्ष के लिये वजट एंव वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव किया जायेगा सर्वेक्षण कार्य हेतु 2 लाख प्रतिवर्ष वजट का प्रविधान भी किया जायेगा।

9. विद्यालय निर्माण में तकनीकी पर्यवेक्षण :–

विद्यालय निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण की सेवा के निर्देशन में एवं तकनीकी पर्यवेक्षण में समस्त निर्माण कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

10. माइक्रोप्लानिंग अपडेशन :–

जनपद में माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का प्रतिवर्ष अपडेशन किया जायेगा जिसके लिए रूपये 50000 प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

नवीन प्रा0 विद्यालय साज सज्जा :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्वि हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेग। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूडादान, म्यूजिकल इक्वेप्मेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनिया, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते है, इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रम समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उ0प्र0 विद्यालय साज सज्जा :–

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रम किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूप्मेन्ट, (ढोलक, मजीरा, हारमोनिया, बांसुरी आदि), क्रीड़ा सामग्री (फूटबाल, बालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लास रूम टीचिंग मैटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू इन वन, आदि–आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी)।

अध्याय–7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार–II

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से सर्व साधारण तक प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की गयी थी जिसमें 6 से 11 वय वर्ग के ऐसे बच्चे जो स्थानीय परिस्थितियों के कारण विद्यालय नहीं जा सकते थे जहाॅ विद्यालय उपलब्ध नहीं थे कतिपय कारण वश पाठशाला त्यागी बच्चे तथा परिवेश सामाजिक बाधाओं के कारण विद्यालया न जा सकने वाली बालिकाओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा समतुल्य शिक्षा सुविधा प्रदान की गई थी। अब शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े/मलिन बस्तियों तथा प्राकृतिक अवरोध के स्थानों पर शिक्षा गारण्टी योजना एवं ब्रिज कोर्स की स्थापना का प्राविधान किया गया है।

शिक्षा गारण्अी योजना (EGS) तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (AIE) योजना :–

विद्या केन्द्र के रूप में जाने जा सकने वाले कक्षा एक, दो के बच्चों के लिए विद्या केन्द्रों की स्थापना की जायेगी जनपद शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है। जिसमें विकास खण्ड इकौना, जमुनहा, हरिहरपुररानी, सिरसिया शैक्षिक दृष्टि से क्रमशः अत्यधिक पिछड़े है। बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति अरूचि रहता है बालिकाओं के आने जाने की बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुए बस्तियों में उनके लिये शिक्षा EGS केन्द्र माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

वनक्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बालिका शिक्षा :–

जनपद के सिरसिया विकास खण्ड का अधिकांश क्षेत्र वन से आच्छादित है। लकड़िया तोड़कर बेचने के कारोबार में वहाँ निवास कर रही बालिका शिक्षा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं एवं अन्य बच्चे सलग्न रहते हैं जिसके कारण इन बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव की समस्या है थारू जाति के मात्र सत्तात्मक परिवार होने के कारण बालिकाओं की शिक्षा की अति–आवश्यकता है विकास खण्ड जमुनहा, हरिहरपुररानी, सिरसिया के कुछ क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है जहाँ बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावक अपने परम्परागत अन्ध विश्वास के कारण ध्यान नहीं देते है। वहाँ प्रचार–प्रसार प्रेरणा आदि से सभी बालिकाओं को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है वहाँ मकतब मदरसों में ई0जी0एस0 केन्द्र खोलकर अन्य बस्तियों में केन्द्रों की स्थापना कर बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराया जाना इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर पर विकलांग बच्चों का चिन्हॉकन करके उनकी आयु एवं वैकल्पिक केन्द्रों के संख्या मानक को शिथिल करते हुए विकलांग बच्चों की सुविधा अनुसार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। सहायक सामग्री/उपकरण की व्यवस्था की जायेगी। आयु वर्ग 6 से 8 के स्कूल जाने वाले बालक/बालिकाओं को शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों पर कक्षा एक दो की शिक्षा देकर प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। शिक्षा गारण्टी योजना का यह स्वरूप अनौपचारिक शिक्षा की भांति होगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 80 शिक्षा गारण्टी योजना के विद्या केन्द्र संचालित हें। केन्द्रों का संचालन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान में संचालित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 40 मकतब मदरसों का वैकल्पिक शिक्षा हेतु सुदृढ़ीकरण किया गया। इन्हीं को आगे सर्व शिक्षा अभियान में संचालित किया जायेगा। जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हुई है। सर्व शिक्षा अभियान में इस आयु वर्ग हेतु

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये है। स्कूल से बाहर बच्चों का वैकल्पिक शिक्षा द्वारा ब्रिज कोर्स करने के लिए श्रेणीवार नियोजन प्रस्तावित हैं। आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्ट सामाजिक वर्गों की पहचान की जायेगी।

जनपद श्रावस्ती की प्राकृतिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक शिक्षा एवं शिक्षा गारण्अी योजना सुविधा वरीयता के आधार पर देने का विचार प्रस्तावित है। विद्यालय में एक किमी0 परिधि से बाहर स्थित ग्राम/बस्ती मोहल्लों में छः से आठ वय वर्ग के बच्चों के उपलब्धता पर कक्षा एक दो स्तर की शिक्षा हेतु, केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। इन केन्द्रों के संचालन हेतु एक अनुदेशक प्रति केन्द्र चयनित किया जायेगा। तथा इन केन्द्रों की संचालन व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जायेगी। 11–14 आयु वर्ग हेतु सर्व शिक्षा अभियान में नवीन उच्च प्रा0 वि0 प्रस्तावित किये गये हैं।

शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस.) :–

ऐसे बच्चे 6–7 वर्ष के हैं और 1.5 किमी. की दूरी तक स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़न नहीं जा रहे है। उनके लिए कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु ई.जी.एस. केन्द्रों की स्थापना प्रस्ताव है। यह केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे तक चलेंगे केन्द्रों पर पुस्तक शिक्षण सामग्री साज–सज्जा की व्यवस्था अन्य प्राथमिक विद्यालयों की भांति होगी। ई.जी.एस. केन्द्रों पर अध्ययनरत बच्चों तथा कक्षा–2 तक का स्तर प्रदान करने के पश्चात उन्हें समीपस्थ विद्यालय से जोड़ दिया जायेगा। इसके लिए उनको सतत प्रेरित किया जायेगा और उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी हेतु सतत् मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 10 नये केन्द्र खोलने का प्रस्ताव। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत चल रहे केन्द्रों को सर्व शिक्षा अभियान डी.पी.ई.पी. समाप्त होने के बाद ले लिया जायेगा। नये केन्द्रों का वर्षवार प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं :–

शिक्षा घर :–

6–11 वय वर्ग के बच्चें जो कामकाजी तथा बाल श्रमिक हैं और रोजी रोटी सम्बन्धित कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ण समय तक विद्यालय में रह कर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिए शिक्षा घर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव हैं शिक्षा घर का समय प्रतिदिन 4 घंटे का होगा और स्थानीय परिस्थितियों के कारण इसका निर्धारण किया जायेगा। 1 शिक्षा घर में 30 बच्चे नामांकित होगे ऐसे स्थान पर जहां पर लड़कियों की संख्या अधिक हैं वहां लड़कियों के शिक्षा घर खोले जाने का प्रस्ताव हैं शिक्षा घर से स्थानीय कक्षा 10 उत्तीर्ण योग्यताधारी अनुदेशक/अनुदेशिका को नियुक्ति किया जायेगा और इनका चयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा। शिक्षा घर के लिए शिक्षण सामग्री लालटेन, मिट्टी का तेल, चार्ट, पुस्तकें इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। अनुदेशकों को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 20 नये केन्द्र 2001–02 में प्रस्तावित है। डी.पी.ई.पी. के 50 केन्द्रों को डी.पी.ई.पी. की समाप्त होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान में लिया जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम :–

शालात्यागी होने के कारण तथा अधिक आयु होने के कारण झेंपू एवं दब्बूपन होने के कारण विशेषकर बालिकायें कामकाजी एवं बाल श्रमिकों को जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गये हैं ऐसे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन सिशवरों दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिज्कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त के अनुसार जनपद में 100 अतिरिक्त विद्या केन्द्रों एवं 40 अतिरिक्त शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता पड़ेगी तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 A I E और 50 बैक टू स्कूल कैंप की आवश्यकता होगी। जिसको सर्वशिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान एवं बजट में शामिल किया गया है। उक्त का संचालन वर्ष 2003–04 में कराकर शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पूरा किया जायेगा।

सारणी सं0 – 7.1

EGS/AIE केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार लक्ष्य

क्र.	वित्तीय वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों संख्या									
		EGS			AIE प्राथमिक स्तर			AIE प्राथमिक स्तर			बैक टू स्कूल कैम्प
		पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	
1	2002–03	80	–	80	40	–	–	–	–	–	–
2	2003–04	80	–	80	40	–	40	15	15	15	–
3	2004–05	80	100	80	40	50	90	15	35	50	50
4	2005–06	80	50	80	90	25	115	50	50	75	50
5	2006–07	230	20	230	115	25	165	175	75	100	50

उपर्युक्त के लिए मानदेय की भी व्यवस्था की गयी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ मलिन बस्तियों, मुस्लिम बस्तियों, एवं बालश्रमिक बहुल बस्तियों का भी चिन्हांकन किया गया। जिनमें रहने वाली आबादी के बच्चे अपने परिवार की विशिष्ट आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। क्योंकि वे अपने घरेलू धन्धों में सहयोग करते थे। अथवा जातीय समीकरणों के कारण विद्यालय जाने में संकोच करते थे। ऐसी बस्तियों की संख्या भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में कराये गये सर्वेक्षण में 125 पायी गयी। इन चिन्हित बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्राविधान भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3

में किया गया तथा दो वर्षों में इसका लक्ष्य पूर्ण करने का प्राविधान किया गया। इनके लिए अनुदेशकों का चयन, अनुषांगिक व्यय एवं मानदेय की भी व्यवस्था डी0पी0ई0पी0–3 में करने का प्राविधान किया गया।

विद्या केन्द्रों एवं शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृति एवं संचालन की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :–

सारिणी 7.2

क्र.	वर्ष	स्वीकृत संख्या		संचालित संख्या		कार्यरत सं.	
		विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र
1	2000–01	35	20	28	17	28	17
2	2001–02	45	40	42	38	42	38
3	2002–03	80	40	69	38	69	38
4	2003–04	80	40	69	38	69	38

उपर्युक्त के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान निर्माण हेतु संकलित किये गये आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप से विकास खंडवार विद्या केन्द्र एवं शिक्षा केन्द्र भी संचालित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

प्रमुख रूप से झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि जहां पर 9–14 वय वर्ग के शालात्यागी एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे होंगे वहां पर वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार केन्द्र संचालित होंगे। विकलांग बच्चों के लिये आयु सीमा 18 वर्ष तक होगी। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किसी भी उपयुक्त कक्षा में जिस स्तर के बच्चें हो किया जा सकेगा। इन बच्चों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय/उच्च

प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रवेश दिलाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी। जिससे ये बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना आरम्भ कर सकें।

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित शिविर :-

1. बाल श्रमिक एवं स्ट्रीट चिल्ड्रेन हेतु शिक्षा :-

जनपद मे कोई उद्योग मिल कारखाना नहीं है कई ईट भट्ठे चलते हैं जनपद में नगर क्षेत्र भिनता एवं दुकानों में दुकानों कार्य करते हुए बाल श्रमिक एवं स्ट्रीट चिल्ड्रेन की शिक्षा व्यवस्था नियोजन में विचारणीय है मलिन बस्तियों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा में वंचित रहते है। उनके लिये उनकी सुविधा अनुसार केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है। शिक्षा गारण्टी योजना एवं ब्रिज कोर्स शिविर ज्यादा महत्व पूर्ण प्रतीत होते हैं अपौचारिक विद्यालयों के अपवन्चित सड़क, मलिन बस्तियों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा, बाल श्रमिकों आदि प्रकार के 9-14 वय वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एवं शाला त्यागी बच्चों को पुनः विद्यालय की ओर आकर्षित करने हेतु एवं विद्यालयी शिक्षा पूरी करने हेतु ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर का संचालन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। ग्रीष्म कालीन शिविर/ब्रिज कोर्स का माड्यूल राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा शिक्षा को रूचि ढंग से आकर्षित करने हेतु विकसित किया गया है। ग्रीष्म कालीन शिविर में बच्चों को 10 दिन की अवधि में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय का आयोजन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से लगभग 3600 बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराया जा चुका है।

अनुदेशक प्रशिक्षण :-

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अनुदेशकों को तीस दिवसीय प्रशिक्षण डायट में अथवा बी0आर0सी0 पर डायट प्रवक्ता/स0बे0शि0अ0/प्र0उ0वि0 समन्वयक/स0बे0शि0अ0/प्र0उ0वि0 निरीक्षक द्वारा किया जायेगा ग्राम शिक्षा समिति इन केन्द्रों पर नजर रखकर अपेक्षित सहयोग अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी। डायट के डी0आर0यू0 प्रभारी एवं उनके कर्मचारी इन केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे।

मानदेय वितरण :

केन्द्र प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक मादेय रूपये–1000/– प्रति माह की दर से 6 माह की धनराशि सम्बन्धित ग्राम शिक्षा के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति माह के प्रथम सप्ताह में चेक अनुदेशक को उपलब्ध करायेगी।

प्रबन्धन लागत :–

पॉच प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/प्रबन्धन पर केन्द्रों की अधिकतम् लागत में देय भी सम्मिलित है। विकास खण्ड स्तर के प्रबन्धन पर अधिकतम् लागत निम्नलिखित होगी।

80–100	केन्द्रों के मध्य	2.50	लाख रूपये प्रति वर्ष
50–80	केन्द्रों के मध्य	2.00	लाख रूपये प्रति वर्ष
25–50	केन्द्रों के मध्य	1.50	लाख रूपये प्रति वर्ष
25	केन्द्रों से कम रूपये	100	प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था–

प्रत्येक केन्द्र की साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था हेतु ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा धनराशि रूपये 845 प्राइमरी स्तर एवं रूपये 1200 पूर्व माध्यमिक स्तर के अनुसार स्थानान्तरित कर दी जायेगी तत्पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति बाजार मूल्य पर सामग्री नियमानुसार खरीदकर अनुदेशक/अनुदेशिका को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायेगी। ग्राम शिक्षा समिति/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन केन्द्रों के छात्रों हेतु निःशुल्क पाठय पुस्तकें भी उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान में औपचारिक शिक्षा में अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें ही इन केन्द्रों के उपयोग में लायी जायेंगी।

छात्र/छात्राओं का मूल्यांकन :–

अनुदेशक द्वारा इन केन्द्रों के छात्रों का तिमाही, छमाही, वार्षिक लिखित एवं मौखिक रूप से सतत् मूल्यांकन किया जायेगा। अनुदेशक का दायित्व होगा कि वैकल्पिक केन्द्रों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा से शीघ्राति शीघ्र योग्यतानुसार कक्षा में प्रवेश दिलाकर जोड़ दें।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका–

माइक्रोप्लानिंग ग्रामीण क्षेत्र में कराना, समीक्षा प्रस्तावों की तैयारी, पर्यवेक्षण/अनुश्रवण, ग्राम शिक्षा समितियों के प्रस्तावों का संकलन आदि का कार्य विकास खण्ड स्तर की समिति करेगी।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :–

ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका शिक्षा के समग्र विकास में महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक बनाने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण पूर्व में आयोजित किया गया। आगामी वर्षों में भी समितियों को और अधिक जागरूक बनाने का प्रयास किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों को शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा योजना, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु निम्नलिखित उत्तरदायित्व दिये गये है:–

1– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करना।

2– कार्यक्रम संचालन हेतु वातावरण का संचालन करना।

3– अनुदेशकों के चयन की कार्यवाही करना।

4– शिक्षा मित्रों के चयन की कार्यवाही करना।

5– विद्यालयों, विद्या केन्द्रों आदि की साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री आदि को क्रय करके उपलब्ध कराना।

6– विद्या केन्द्रों / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का समुदाय की आवश्यकतानुसार समय का निर्धारण।

7– शिक्षा मित्रों / अनुदेशकों का प्रशिक्षणोपरान्त केन्द्र / विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कराना।

8– विद्यालय / केन्द्रों का प्रबन्धन, निरीक्षण एवं उपस्थिति का सत्यापन करना।

9– औपचारिक विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश हेतु विद्या केन्द्रों के बच्चों को प्रोत्साहित करना जिससे बच्चें मुख्य धारा से जुड़ सकें।

10– शिक्षा मित्रों / अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान करना।

जिला परियोजना समिति के दायित्व एवं कर्तव्य :–

1– जनपद की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर अपवंचित बच्चों को ई.जी.एस. की शिक्षा हेतु विकास खण्ड स्तर, ग्राम स्तर से तैयार प्रस्तावों को जिला स्तर पर स्वीकार करना एवं समीक्षा करना।

2– ब्रिज कोर्स / ग्रीष्म कालीन शिविर, सेमीनार आदि के प्रस्तावों को स्वीकार करना एवं उनका आयोजन कराना।

3– शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का अयोजन करना।

4– जनपद स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता एवं विचार विमर्श करना।

5– समिति स्टेट सोसाइटी से प्राप्त धनराशि को मदवार ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध करायेगी।

अनुश्रवण की व्यवस्था :–

किसी योजना के सफल संचालन हेतु उसका अनुश्रवण करना आवश्यक होता है इसी के फलस्वरूप शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक नवाचार योजना के अनुश्रवण हेतु कार्य योजना एवं रणनीति तैयार की गयी है जिनमें निम्नलिखित व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है :–

1– योजना का निर्माण, ऑकड़े, सूचनाओं का कम्प्यूटर सुविधा से युक्त व्यवस्था का एकत्रीकरण एवं कम्प्यूटर में फीड कराने का कार्य किया जायेगा।

2– इस योजनान्तर्गत चल रहे केन्द्रों के संचालन में अनुदेशक, नामांकन, छात्रों, पाठ्य पुस्तक सामग्री, मानदेय आदि सम्बन्धी ऑकड़ों को एकत्र किया जायेगा। जनपद स्तर पर इसका संकलन किया जायेगा जिससे जनपद स्तर की कुल स्थिति स्पष्ट हो जाय। तत्पश्चात् उसका विश्लेषण भी किया जाना आवश्यक है जिससे योजनागत कतियो का पता चल सके एवं उसका सुधार किया जा सके।

3– क्षेत्रों में चल रहे केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिससे कार्य क्षेत्र में उसकी वास्तविकता का पता चल सकेगा। केन्द्र के छात्रों की उपस्थिति, ठहराव, अनुदेशकों की उपस्थिति, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री आदि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

4– समय–समय पर बैठके करके योजना केन्द्रों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना एवं आवश्यक निर्देश देना आवश्यक है जिसके अनुक्रम में मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक बैठक की जायेगी।

5– तदोपरान्त योजना/केन्द्रों की प्रगति एवं उपलब्धि का प्रसारण किया जाना आवश्यक है जिससे इसमें पारदर्शिता रहे एवं जन साधारण में इस कार्यक्रम की उपयोगिता का विश्वास एंव आस्था बन सके।

ऑकड़ों के प्रपत्र का पुनरीक्षण एवं वार्षिक आधार पर ऑकड़ो को अद्यतन करने की व्यवस्था–

परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6–11 व 11–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने बच्चों का चिन्हीकरण किया जाता है जिससे आयु वर्ग के विशिष्ट आयुवार बच्चों की सूचनायें अद्यावधि संशोधित की जाती है। प्रति वर्ष आउस होल्ड सर्वे कराकर ऑकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस तरह जनपद में हाउस होल्ड सर्वे माध्यम से चिन्हित बच्चों, आयुवर्ग 6–11, 11–14 के लिए नियोजन किया जायेगा। सभी प्रपत्रों को पुनरीक्षित कर नवीन प्रपत्रों की संरचना की जायेगी जिससे वांछित सम्पूर्ण सूचना का समावेश हो सके।

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैम्प) :–

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति बालिकाओं की शिक्षः की मुख्य धारा से जोड़ना है यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों के ही लिए जाने है शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा इन शिविरों में उच्चरात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके हैं इसके कारण शैक्षिक दृष्टि पिछड़ गये है, शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा शिविर 10 दिन की होगी, इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रह है और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहें हैं इन शिविरों में बाल बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा। और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा। वर्षवार लक्ष्य निम्न है :–

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
शिविरों की संख्या	–	–	50	50	50

ब्रिज कोर्स :–

6–11 वय वर्ग के ऐसे बच्चें जो किसी कारण शालात्याग कर चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स की विशिष्ट व्यवस्था है इसका यह उद्देश्य है कि बच्चों को तीन माह छः माह अथवा 9 माह तक शिविरों में रखकर उनको इस प्रकार शिक्षित किया जाये कि वे अपने योग्यतानुसार प्राथमिक शिक्षा की किसी निश्चित स्तर को प्राप्त कर सके कोर्स चलने की अवधि में बच्चों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जायेगा और जैसे ही वो किसी कक्षा में 3, 4 या 5 स्तर को प्राप्त कर लें उन्हें उस कक्षा विशेष में प्रवेश लेने को अभिप्रेरित किया जायेगा इस कार्य में इस कोर्स द्वारा सभी बच्चों विशेष पर अनुसूचित तथा बालिकाओं की शालात्याग की समस्या का समाधान प्रापत करने का प्रयास किया जायेगा। वर्ष 2002–03 में एक तथा अन्य वर्षो में प्रत्येक वर्ष 2–2 ब्रिज कोर्स चलाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

परिवार सर्वेक्षण की रिपोर्ट

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 48454 बच्चे विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। सर्वे के अनुसार मुख्य रूप से घरेलू कार्य में लगा रहना, मजदूरी करना व भाई बहनों की देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नहीं आ रहे हैं। यह निम्न सारणी से स्पष्ट है।

विद्यालय न आने वाले बच्चों का विवरण –

सारणी सं0 – 7.3

क्रसं0	कारण	बालक	बालिका	योग
1.	घरेलू कार्य	8352	6750	15102
2.	मजदूरी	2081	1159	3240
3.	भाई बहनों की देखभाल	5778	6689	12467
4.	विद्यालय दूर होना	3478	4352	7830
5.	अन्य	5415	4400	9815
			योग	48454

विद्यालय से बाहर इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न रणनीतियॉ जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी :–

1. घरेलू कार्य में लगे ऐसे बच्चे जो अपने घर के कार्य में लगे रहते हैं, को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैम्प चलाने जैसी व्यवस्था की गयी है।

सारणी सं0 – 7.4

क्रसं.	कार्यक्रम	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	एन.पी.आर. सी.स्तरीय (ब्रिजकोर्स)	52	2600	52	2600	52	2600	52	2600
2.	वैकल्पिक केन्द्र (AIE) प्राइमरी	40	800	90	1800	115	2300	165	3300
3.	ब्रिजकोर्स कैम्प (आवासीय)	1	60	2	120	2	120	2	120

यह कोर्स इन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनके घरों के पास तथा इनकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करके इन्हीं के ग्राम निवासी अनुदेशक/आचार्य द्वारा संचालित किये जायेंगे।

2. मजदूरी –

कुछ बच्चे मजदूरी कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय नहीं आ पाते। ऐसी समस्या 11 से 14 आयु वर्ग के बीच अधिक पायी जाती है। इन बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर ए आई ई खोले जा रहे हैं। जिनका समय इनके कार्य समय के बाद संध्या में रखे जाने के प्रस्ताव है। जिससे ये बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे।

सारणी सं0 – 7.5

क्रस.	कार्यक्रम	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	ए.आई.ई. उच्च प्राथमिक	15	30	50	1000	75	1500	100	2000
2.	विद्या केन्द्र	80	3200	180	7200	230	9200	250	10000

3. भाई बहनों की देखभाल :

छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगे होने से बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु इनके छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए विशेष रूप से ई.सी.सी.ई. केन्दों (शिशु केन्द्रों) की व्यवस्था की गयी है। डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत ई.सी.सी.ई. केन्दों (शिशु केन्द्रों) 50 पूर्व में ही संचालित है।

सारणी सं0 – 7.6

क्रस.	कार्यक्रम	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	ई.सी.सी.ई. केन्द्र	50	2000	150	6000	250	10000	350	14000
2.	समर कैम्प	–	–	60	2400	60	2400	60	2400

4. विद्यालय दूर होना :

जनपद में 3478 बालक तथा 4352 बालिकायें कुल बच्चे 7830 विद्यालय दूर होने के कारण नहीं आ पा रहे हैं इसके लिए ऐसे असेवित क्षेत्रों में जहॉ मानक रूप विद्यालय खोले जा सकते हैं वहां विद्यालय खोले जा रहे हैं तथा अन्य स्थानों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

सारणी सं0 – 7.7

विद्यालय	वर्ष	खोले जा रहे विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक	2003–04	68
उच्च प्राथमिक	2003–04	132

5. अन्य कारण :

उक्त के अतिरिक्त गरीबी, धार्मिक कारणों तथा रूढ़िवादिता के कारण भी 9815 बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसके लिए मकतब/मदरसों को सहायता देकर तथा स्कूल चलो अभियान चलाकर तथा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित कर तथा विद्यालयों को आकर्षण बनाकर तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा मिड डे मिल आदि का वितरण कर अभिभावकों को अपने बच्चे विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रकार सभी बच्चों का नामांकन विद्यालयों में करा लिया जायेगा।

अध्याय–8

1. ठहराव में बृद्धि के कार्यक्रम :–

प्राथमिक स्तर को जनपद में शिक्षा के सार्वजनीकरण अन्तर्गत यह एक समस्या उभर कर आयी है कि बच्चों का विद्यालय में नामांकन उपरान्त किन्हीं कारणों से छात्र पाठशाला त्यागी हो जाते है इस समस्या के निदान स्वरूप सर्व शिक्षा में प्रयास निम्नलिखित है।

सारणी–8.1

श्रोत विभागीय आंकड़े

क्रम	सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	विद्यालय पुर्ननिर्माण	2	2
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	174	197
3	पेयजल सुविधा	18	–
4	शौचालय	52	–

शौचालय :–

जनपद में प्रा0 वि0 में शौचालय की मांग सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की गई है।

सारणी–8.2

2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	Total
–	–	––	20	20	12	––	––	52

अतिरिक्त कक्षाकक्ष :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2000–01 में 75 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में 174 अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 197 अतिरिक्त कक्षाकक्षों की आवश्यकता है कक्षा कक्ष बनवाने हेतु वर्ष 2004–05 से 2006–07 वर्ष तक निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी –8.3

(प्रा0 वि)

क्र.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन वि0 के कक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा कक्ष	वर्षवार मांग
1	2003–04	103627	2590	1728	0	1728	1902	–
2	2004–05	116731	2918	1788	0	1788	–	60
3	2005–06	117901	2947	1848	0	1748	–	60
4	2006–07	119088	2977	1902	0	1902	–	54

सारणी–8.4

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष

2004–05	2005–06	2006–07	योग
60	60	54	174

सारणी– 8.5 (उच्च प्रा0 वि0)

क्र.	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:40 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष	वर्षवार मांग
1	2003–04		132	848	651	848	–
2	2004–05	80	–	848	701	0	50
3	2005–06	212	21	848	751	0	50
4	2006–07	212	132	848	848	0	97
5	2007–08	212	–	848	848	0	–
6	2008–09	212	–	848	848	0	–
7	2009–10	212	–	848	848	0	–

पेयजल सुविधा :–

जनपद में प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व मा0 वि0 में पेयजल सुविधा है नवीन विद्यालय की लागत में पेयजल सुविधा की लागत सम्मिलित है।

विद्यालय सुविधा –

प्राथमिक एवं पूर्व मा0 वि0 में विद्यालय रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष 5000/– रू0 एवं प्रति वर्ष 2000/–रू विकास अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में विद्यालय की साज सज्जा हेतु प्रति विद्यालय रू0 5000/– दिया जा रहा है। विद्यालय भवन की रंगाई पुताई आदि के लिए प्रति प्राथमिक विद्यालय प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। तथा सहायक शिक्षण सामग्री का शिक्षण में उपयोग करने के उद्देश्य से प्रति अध्यापक प्रति वर्ष प्राथमिक स्तर पर रू0 500/– दिया जाता है जिससे अध्यापक शिक्षण सामग्री का निर्माण करते है।

सर्व शिक्षा अभियान में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों 639 उच्च प्राथमिक विद्यालय 212 तथा 23 सहायता प्राप्त विद्यालयों को विद्यालय भवन के रख–रखाव हेतु प्रति वर्ष 5000/– विद्यालय विकास अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान दिया जा रहा है। तथा 2000/– प्रति विद्यालय विकास अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

सारणी–8.6

विद्यालय	2004–05			2005–06			2006–07			योग		
	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग
प्राथमिक विद्यालय	639	–	639	639	–	639	639	–	639	639	–	639
उच्च प्राथमिक विद्यालय	212	–	212	212	–	212	212	–	212	212	–	212
हाई स्कूल व इण्टर	–	23	23	–	23	23	–	23	23	–	23	23
योग			874			874			874			874
विद्यालय विकास अनुदान प्रति नं. 5000/–	4370.00 हजार रूपये			4370.00 हजार रूपये			4370.00 हजार रूपये			4370.00 हजार रूपये		
विकास अनुदान प्रति 2000/–	1748.00 हजार रूपये			1748.00 हजार रूपये			1748.00 हजार रूपये			1748.00 हजार रूपये		

उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्रा0 वि0 जर्जर भवन :

जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 एवं प्राथमिक विद्यालय के 2 भवन जर्जर है जिनका निर्माण वर्ष क्रमशः 1968 व 1969 में कराया गया था जिनके पुननिर्माण हेतु वर्ष 2004–05 में निर्माण कराने का लक्ष्य है।

सारणी–8.7 (पुननिर्माण)

प्रकार	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	Total
प्रा0वि	–	–	–	02	–	–	–	–	–	02
उच्च प्रा0 वि0	–	–	–	02	–	–	–	–	–	02

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्रः (1:40 के आधार पर) :–

जनपद के विद्यालयों में अध्यापकों की अत्यधिक कमी है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। छात्र अध्यापक अनुपात 1:40 अनुसार विद्यालयों में निम्नलिखित अध्यापकों की आवश्यकता प्रस्तावित है। इनमें 50 प्रतिशत शिक्षक तथा 50 प्रतिशत शिक्षामित्रों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।

प्राथमिक विद्यायलों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	स्वीकृत शिक्षक	स्वीकृत शिक्षा मित्र	योग 3+4	40:1 दर से शिक्षक	अतिरिक्त आवश्यक शिक्षक	शिक्षक @ 50%	शिक्षा मित्र @ 50%
1	2003–04	103627	2116	564	2680	2590	90	45	–
2	2004–05	116731	2161	609	2770	2918	148	74	405
3	2005–06	117901	2233	683	2916	2947	31	15	16
4	2006–07	119088	2248	699	2947	2977	30	15	15
5	2007–08	—	—	—	—	—	—		
6	2008–09	—	—	—	—	—	—		
7	2009–10	—	—	—	—	—	—		

बालिका शिक्षा :–

साक्षरता की दृष्टि कोण से जनपद पिछड़ा हुआ है उसमें बालिका शिक्षा का प्रतिशत और कम है अभिभावकों में बालिकाओं को विद्यालय भेजने में सामाजिक असुरक्षा की भावना, अन्धविश्वास, विद्यालय दूरी आदि कारणों से बालिकाओं का नामांकन एवं पाठशाला त्यागी की समस्या जटिल है।

अनुसूचित जनजाति में मातृ सन्तात्मक व्यवस्था होने के कारण बालिकाओं का, मेले त्यौहार, फसल की कटाई आदि समय पर रोक लेने से विद्यालय में नामांकन में विद्यालय उपस्थिति में कमी आ जाती है। शिक्षा के सार्वजनीकरण में बालिका शिक्षा पर ध्यान देना अति आवश्यक है एवं बालिकाओं के शत–प्रतिशत शिक्षा हेतु कार्य योजना निर्धारित की जानी है। बालिका शिक्षा में अनेक तरह की समस्या आ रही है। विद्यालयों में महिला अध्यापकों की कमी, विद्यालय की दूर होना, सामाजिक असुरक्षा एवं अन्य विश्वास की भावना, घरेलू कार्यों में सहयोग लिये जाने के कारण, आवागमन की कमी आदि प्रमुख समस्यायें बालिका शिक्षा में है जिनका विश्लेषण कर उनके अनुरू निदानात्मक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

बालिका शिक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु रणनीति अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयास करना होगा।

1– जेण्डर संवेदन में बालिकाओं की शिखा की सहजता एवं समानता को समझाने का प्रयास।

2– विद्यालय के वातावरण को बालिका अनुरूप बनाने का प्रयास।

3– महिला अध्यापकों की व्यवस्था

4– पाठ्य पुस्तक निःशुल्क वितरण एवं उपलब्ध करना।

5– कार्यानुभव आधारित शिक्षा व्यवस्था।

6– महिलाओं को शिक्षा के लिये संगठित करना।

7– बालिका शिक्षा आदि पर जोर डालने वाली सहायक सामग्री की उपलब्धता।

विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु माता शिक्षक संघ की स्थापना कर बालिकाओं के नामांकन एवं विद्यालय में उपस्थिति के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा एवं उनका दायित्व निर्धारित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल बनाकर विद्यालय से दूर ग्राम/ बस्ती में बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु उनके द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र /विद्या केन्द्र स्थापित कराने का प्रयास किया जायेगा। रैली निकाल कर, नारों के माध्यम से, रंगों के तारांकन के माध्यम से बालिकाओं को विद्यालय में ठहराव के प्रति सचेत किया जायेगा। अभिभावकों का सम्मेलन कर बालिकाओं की नियमित उपस्थिति एवं ठहराव पर प्रोत्साहन सुविधा तथा दायित्व बोध कराना निश्चित किया जायेगा। सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन के आधार पर विगत पॉच वर्षों के पाठशालार त्यागी बालिकाओं की सूची रजिस्टर में लिपि बद्ध किया जाये उन्हें तथा अन्य शाला त्यागी बालिकाओं को चिन्हित कर ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चलायी जा रही विभिन्न गतिविधियों द्वारा क्षेत्र पंचायत सिरसिया तथा क्षेत्र पंचायत जमुनहा को प्रमुख स्थान देते हुए बालिका शिक्षा के उत्थान हेतु इन क्षेत्र पंचायतों में क्रमशः 08 एवं 07 कुल 15 माडल कल्स्टर का चयन किया गया है।

शाला त्यागी बालिकाओं हेतु विकास खण्ड स्तर पर दस दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। जनपद की कुल आबादी 2896 हेतु 72 शिविर प्रतिवर्ष आयोजित किये गये।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव :–

करके सीखने की शिक्षा के आधार पर प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत खिलौने बनाना, कला शिक्षण, रंगाई, सिलाई, कताई बुनाई की शिक्षा के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताओं

कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियां, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान बनाने की कला सिखाई जायेगी। कायानुभव योजना में कृषि पशुपालन, पुस्तक कला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान, अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आर्कषण पैदा किया जायेगा। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्य कार्यानुभव योजना में प्रस्तावित है इसी के साथ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर के शिक्षा की व्यवस्था की गयी जो बालिकाओं के लिए रोजगारपरक होगा वर्षवार लक्ष्य निम्न है।

प्रकार	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं.	––	––	10	80	––	80	––	––	––

माडल क्लस्टर डेवलपमेट एप्रोच :–

जनपद में बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए न्याय पंचायतों में कार्यक्रम संचालित किये जायेगें पूर्व में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायतों में वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक इस प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं वर्ष 2004–05 से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बाकी न्याय पंचायतों में इन कार्यक्रमों का वर्षवार विवरण निम्न है :–

प्रकार	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
न्याय पंचायतों की सं.	––	5	5	60	60	60

5. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बालिकाओं एवं अनु0 जाति के छात्र/छात्राओं तथा अन्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जा चुकी है। आगामी दस वर्षों में बालिका एवं अन0 जाति छा/छात्राओं को निम्नलिखित संख्यानुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

सारणी– 8.9

वर्ष	6–11		11–14		योग
	कुल बालिका	कुल बालक	कुल बालिका	कुल बालक	
2002–03	43696	16360	2776	1362	64194
2003–04	46691	18011	2821	1513	69036
2004–05	51391	19911	3103	1664	76069
2005–06	56530	21912	3413	1830	83685
2006–07	62230	24103	3754	2013	92100

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय
2003–04	64702
2004–05	71302
2005–06	78442
2006–07	83633

उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराना प्रस्तावित है

वर्ष	उच्च प्राथमिक विद्यालय
2003–04	4334
2004–05	4767
2005–06	5243
2006–07	5767

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :–

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बालक/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपाश्कों परचर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

माडल क्लस्टर डेवलपमेंटल एप्रोच (एम0सी0डी0ए0) :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड की 5 न्याय पंचायतों को, जो महिला साक्षारता दर में कम हों, बालिकाओं का ड्राप आउट अधिक हो, आदर्श न्याय पंचायतों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया हो। जिससे उन न्याय पंचायतों में बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। इसके अन्तर्गत आच्छादित न्याय पंचायतों में –कला–जत्था का प्रदर्शन, एम.टी.ए./पी.टी.ए./डब्ल्यू.एम.जी. का गठन एवं प्रशिक्षण, मीना–कैम्पेन, पी.आर.ए., तारांकन, ठहराव परिक्रमा आदि कार्यक्रम किये जायेंगे। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत अभी तक तीन विकास खण्डों को इस कार्य के लिए आच्छादित किया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 से माडल क्लस्टर डेवलपमेन्टल एप्रोच हेतु विकास खण्डों का आच्छादन निम्नवत् होगा–

सारणी सं0 8.13

वर्ष	एम.सी.डी.ए. से आच्छादित विकास खण्ड	मीना कैम्पेन शो	बाल मेला न्याय पंचायत स्तर	एम.टी.ए पी.टी.ए प्रशिक्षण
	नवीन प्राविधान			
2004–05	5	50	35	70
2005–06	2	70	50	80
2006–07	2	70	50	80
योग	9	190	135	230

शिशु शिक्षा केन्द्रों को खोलना :–

छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगे रहने के कारण जो बालिकायें विद्यालय नहीं जा पाती या विद्यालय में पर्याप्त समय नहीं दे पाती जिससे उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता तथा कुछ बालिकायें इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती है। इन बालिकाओं को विद्यालयों में लाने के लिये शिशु–शिक्षा केन्द्रों को खोला गया। यह केन्द्र आई0सी0डी0एस0 को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा विद्यालय समय के अनुसार विद्यालय में चलाये जाते है कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय का अतिरिक्त मानदेय डी0पी0ई0पी0 के द्वारा दिया जाता है तथा प्रत्येक केन्द्र पर 5000 की शैक्षिक सामग्री हेतु दी जाती है। और प्रत्येक वर्ष 1500/– रुपये आकस्मिक व्यय हेतु।

प्रथम चरण में यह केन्द्र ऐसे विकास खंड में जहां की महिला साक्षरता दर कम थी। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 2000–2001 में विकास खंड हरिहरपुररानी में 25 केन्द्र तथा गिलौला में 25 केन्द्र कुल 50 केन्द्र खोले गये हैं।

सारणी 8.14

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत नवीन ECEE केन्द्रों की आवश्यकता

वर्ष	पूर्व से संचालित केन्द्र	नवीन केन्द्र	क्रमागत योग
2002–03	50	0	50
2003–04	–	0	50
2004–05	–	100	150
2005–06	–	100	250
2006–07	–	100	350

सारणी सं0 8.
ग्रीष्मकालीन शिविर

वर्ष	ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002–03	33	–
2003–04	–	–
2004–05	50	10
2005–06	50	10
2006–07	50	10
2007–08	–	–
2008–09	–	–
2009–10	–	–

कलाजत्था अभियान :-

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कलाजत्था एक सशक्त माध्यम है बालिकायें बीच में विद्यालय छोड़ दे यह सुनिश्चित करने के लिये स्कूल में कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गांव गांव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांवो में चलाया जायेगा जहां महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम् है।

बालिका शिक्षा :-

सभी जन समुदाय के मिश्रित होने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान में 6–14 वर्ष में आयु वर्ग के बच्चो की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी वचन बद्धता व्यक्त की है। संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाय। संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेदभाव धर्म एवं जाति लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीडन से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचनबद्धता का समर्थन किया है। एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरंभ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। 1986 में आयी राष्ट्रीय शिक्षानीति के पश्चात् आरंभ की गई कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओं की समानता में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने का प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं धारण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसमें विशेष सहायक सेवाओं के समयबद्ध लक्ष्य का सुचारू रूप से अनुश्रवण होगा।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता की राष्ट्रीय दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 प्रतिशत है। महिलाओं एवं पुरुषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.1 प्रतिशत और 25.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में 7 प्रतिशत से भी कम है। नामांकन आंकड़े न केवल जोड़कर व सामाजिक समूहों पर

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयंयेवी संगठनों की सहभागिता :–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जिन विकास खंडों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है उन विकास खंडों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र (ECCE) खोले जायेगें।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :–

शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक पारम्परिक एवं गैर पारंपरिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

वर्तमान शिक्षा में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव में शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिलेख बालिकाओं को नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जारूक हो जायेगें। सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, कलाचित्रण, के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियां बनाने मिट्टी के खिलौने कागज के सामान आदि बनाने के प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रम :–

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में शासन स्तर से लागू किये गये कार्यक्रमों में वांछित लक्ष्यो की प्राप्ति इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसमें उन लोगों की सहभागिता नहीं थी जिनके हितों के लिए कार्यक्रम संचालित किये गये थे। वैसे तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में लागू होने से पहले की जिला बेसिक शिक्षा समिति/नगर बेसिक शिक्षा समिति/विद्यालय शिक्षा समिति/ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाता रहा था किन्तु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 से आच्छादित होने के उपरान्त समुदाय का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की संकल्पना की गयी। इसके लिए ग्राम शिक्षा समितियों को क्रियाशील बनाने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ के दो वर्षों में कराने का लक्ष्य रखा गया तथा प्रथम वर्ष में 334 ग्राम शिक्षा समितियों में से 334 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 334 ग्राम शिक्षा समितियों तथा 25 वार्ड शिक्षा समितियों के द्विदिवसीय प्रशिक्षण की योजना बनाई गयी है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण में निम्नलिखित प्रकार से सहयोग की अपेक्षा की गयी –

(क) नामांकन में सहयोग :–

6–14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिका जिनमे अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा विकलांग बच्चों के नामांकन पर विशेष ध्यान देते हुए शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें समुदाय के द्वारा परिवार सर्वेक्षण के उपरान्त प्राप्त आंकड़ों के आधार पर माइक्रोप्लानिंग तथा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण करते हुए निकटतम् प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/में चिन्हित स्कूल न जाने वाले बालकों का शत–प्रतिशत प्रवेश दिलाने में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के द्वारा वातावरण निर्माण में भी समुदाय का सहयोग लिया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास कार्यों** एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

(ख) ठहराव :–

समुदाय के लोगों में से PTA/MTA/WMG का गठन करके स्कूल छोड़ने वाले बालक/बालिकाओं को पुनः विद्यालय वापस लाकर शत प्रतिशत ठहराव का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य में सफलता भी प्राप्त हो रही है।

(ग) गुणवत्ता :–

अध्यापकों की प्रेरित करने का कार्य भी समुदाय के लोग कर सकते है। जहां अध्यापकों की कमी हो वहां शिक्षा मित्रों के चयन आदि में उसकी महती भूमिका होती है। इसी प्रकार से स्वयंसेवी लोगों के द्वारा भी शिक्षकों की कमी को समुदाय पूरा कर सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालयों की स्थिति को अच्छी बनाने, बागवानी, साजसज्जा, रखरखाव, निर्माण कार्य, सुदृढ़ीकरण, सुन्दरीकरण में भी समय–समय पर समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है। राष्ट्रीय पर्वों, वार्षिकोत्सव, खेलकूद प्रतियोगिताओं में समुदाय के लोगों को आमंत्रित कर विद्यालयों के प्रति उनके मन में विश्वास का भाव पैदा किया जा सकता है। सामुदायिक सहभागिता के लिए स्वयंसेवी संगठनों का वातवरण निर्माण, शिशु शिक्षा केन्द्र संचालन, विद्या केन्द्र/शिक्षा केन्द्र संचालन, प्रशिक्षण व्यवस्था, विकलांग बच्चों की सुविधा हेतु निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने आदि में सहयोग प्राप्त किये जाने का भी सर्व शिक्षा अभियान में लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य समुदाय की सहभागिता के बिना प्राप्त करना असंभव है।

विशेष वर्ग की शिक्षा (समेकित शिक्षा) :—

भारत की लगभग 5—10 प्रतिशत जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वजनीकरण है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन सभी जो कि 5—10 प्रतिशत बच्चों को जो दृष्टि सम्बन्धी एवं मानसिक सम्बन्धी अक्षमताओं से ग्रस्त है, विद्यालय में लाया जाना है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है, विभिन्न अक्षमताओं में सब से अधिक

संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की है पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चों की संख्या कम है। इन बच्चों में से अधिकांश बच्चे के (अक्षम बच्चे) लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन अक्षम बच्चो को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

पहले अभिभावक अक्षम/विकलांग बच्चो को बिन बुलाई आपदा अथवा अभिशाप समझते थे किन्तु समाज में समेकित शिक्षा के इस प्रयास से आज सोच एवं व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। आज विकलांग व्यक्तियों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है। और दूसरों को सहारा देना शुरू भी कर दिया है। अक्षम बच्चे मानसिक रूप से अधिक जागरूक व क्रियाशील होते हैं।

समेकित शिक्षा के विभिन्न प्रकार के माइल्ड एवं माडरेट (कम और मध्यम) श्रेणी विकलांग बच्चों को जो विद्यालय से बाहर है प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में सामान्य बच्चों के साथ लाया जाना ताकि उनका मानसिक विकास सामान्य बच्चो की तरह हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विकलांगता को लेकर सम्बोधन में, व्यवहार में, चाल में, कक्षा में, मैदान में, एवं घर में कोई लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न न हो।

अक्षम बच्चे सिर्फ सहानुभूति के पात्र ही नहीं हैं इन्हे उचित वातावरण और भावनात्मक समर्थन के साथ–साथ शिक्षण प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।

ऐसे बच्चे जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण शिक्षा से वंचित है स्कूल की दुनिया से बाहर है, उनमे निहित क्षमता का विकास कर उनमें आत्म विश्वास जमाने और आत्मनिर्भरता बनाने मे शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, अतः ये समेकित शिक्षा अर्न्तगत ही ये प्रयास संभव है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है। मुख्यतः समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

विकलांग/अक्षमता के प्रकार :–

सामान्य रूप से अध्यापकों को अध्यापन के समय जिन विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य करना पड़ता है। वे निम्न प्रकार के है मुख्य रूप से विकलांगता पांच प्रकार की होती है:–

(1) दृष्टि विकलांगता

(2) श्रवण एवं वाणी विकलांगता

(3) अस्थि विकार विकलांगता

(4) मानसिक मन्दता

(5) अधिगम मन्दता

विकलांगता/अक्षमता के कारण :–

बच्चों में कुछ विकलागतायें/अक्षमतायें जन्म से होती है। तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है।

(1) अधिगम समस्याओं से सम्बन्धी कारण :– निम्नवत् है।

1– बौद्धिक क्रियाकलापों का निम्नस्तर तथा विकास की मन्दगति।

2– दृष्टि विषयक समस्या (देखने में कठिनाई)

3– श्रवण तथा वाक समस्या (सुनने तथा बोलने में कठिनाई)

4– हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना अंगो की विकृति मांस पेशियों के तालमेल में समस्या होने से क्रियाकलापो में कठिनाई।

5– मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान स्मृति विषयक समस्यायें।

घर परिवार सम्बन्धी कारण :– निम्नलिखित है।

1– माता पिता के स्नेह मे कमीं।

2– बच्चों की हीन भावना से देखना।

आधारित भिन्नता दर्शाते हैं। अपितु ये पर्याप्त रूप से नगर ग्राम असमानता को भी दर्शाते है। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश होने वाले छात्रों में से 56 प्रतिशत कक्षा तीन उत्तीर्ण करने से पूर्व ही शाला का त्याग कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश को बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1996–97 से 99–2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत आंकों भी वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण 1999–2000 में बालिकाओं को ळम्त में 98 प्रतिशत की वृद्धि है जो 1996–97 में 84.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के मुताबिक राज्य का संपूर्ण कुल नामांकन 100 प्रतिशत है 1999–2000 में बालकाओं के लिये यह 105.3 प्रतिशत एवं

बालिकाओं के लिए 98.7 प्रतिशत है। (1999–2000) बालिकाओं के 1996–97 मे कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व :–

बालिकाओं के नामांकन शाला त्याग के कारण जटिल है इनमें संरचनात्मक कारण जैसे बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षिकाओं का आभाव आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सामाजिक धारणाएं एवं अन्ध विश्वास। बालिकाओं के लिए मांग न होने उनके निम्नतम् नामांकन का मुख्य कारण है। स्कूल का वातावरण भी बालिकाओं की शिक्षा को प्रेरित नहीं कर पाता है। और न ही उसकी विशेषताओं को उभारता है। अतिरिक्त कार्य होने पर उन्हें घर में रोक लिया जाता है जिससे उनकी स्कूल में उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

प्रयास एवं सुझाव :–

1– जागरूकता क्रियाकलापों द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।

2– जेण्डर संवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।

3– महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालने एवं जोर डालने वाली सामग्री विकसित करना।

4– शिक्षकों को कक्षा मे जेण्डर भेदभाव पर आधारित क्रियाकलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रशिक्षण माण्ड्यूल विकसित करना।

5– ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

6– प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य।

कार्यक्रम :–

बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुदाय के साथ कार्य करना। बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी।

1– बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं विद्यालय के प्रबन्ध में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।

2– महिला समूहों का संगठन एवं महिला समाख्या के साथ उनका समन्वयन।

3– माता शिक्षक संघ एवं अभिभावक शिक्षा संघ का गठन।

4– ग्राम शिक्षा समितियो में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

मीना कैम्पेन :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्धता के विकास के लिए "मीना कैम्पेन" नामक एक विशिष्ट योजना का आरंभ किया गया। यह यूनिसेफ द्वारा तैयार की गयी मीना नामक बालिका पर दर्शायी गई एक शिक्षाप्रद फिल्म है।

माँ – बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद :–

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उद्देश्य से माॅ–बेटी मेलों और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों का मुख्य उद्देश्य :–

1– बालिकाओं की शिक्षा के विषय मे जागरूकता बढ़ाना।

2– बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में महत्व बताना।

3– शिक्षकों एवं अभिभवकों के बीच एक क्रियाशील सम्बन्ध की स्थापना।

4– बालिकाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कराना।

5– बेटे और बेटियों के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिए जेण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन।

समानता के लिए शिक्षा :–

महिला संगठनों के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। महिला समाख्या कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदाय जैसे महिला संघों के साथ मिलकर विकसित किए गए है। जैसे–

बालकेन्द्र किशोरी संघ, किशोरी केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा

केन्द्र :–

संघ की महिलाओं द्वारा छोटे बच्चों, किशोरी लड़कियों आदि की शिक्षा के लिए व्यवस्था व्यक्त की गई, इसके पश्चात् बाल केन्द्रों एवं किशोरी केन्द्रों की संकल्पना की गई है।

किशोरी संघ :–

किशोरी संघ का उदय किशोरी केन्द्रों से हुआ है, यह किशोरियों का समूह जिनका संगठन स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, कानूनी साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मे नामांकित किया जायेगा जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय नहीं जा रही है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति :–

बालिकाओं के ठहराव हेतु कुछ समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण।

माता शिक्षक संघ :–

ऐसे गांव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उन गांव की 15 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

महिला प्रेरक दल :–

ऐसे गांव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहां बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेगें।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :–

बच्चो की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गांव स्तर पर निकाली जायेगी। जिसमें स्कूल के बच्चों एवं अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिए दबाव बनाया जायेगा।

बच्चों के उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिए बच्चों को हरा पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। जो इस प्रकार होगा।

1– माह में 5 दिन से अधिक उपस्थित पर हरा निशान।

2– माह में 7–15 दिन की उपस्थिति पर पीला निशान।

3– माह में 6 दिन से कम उपस्थिति पर लाल निशान।

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा। यह निशान प्रति माह चार्ट पर इंगित कर कक्षावार टॉग दिया जायेगा। तथा ग्राम स्तरीय समूह बैठकों पर चर्चा किया जायेगा तथा बच्चों को रिबन के बैज प्रदान किया जायेगा।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत के अन्त में अभिभावक सम्मेलन :–

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक मे छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभवकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह मे गांव के समस्त अभिभावको को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें जिनक बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं।

कोहार्ट स्टडी :–

अधिकतम् शाला त्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पांच वर्षो का बच्चों का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकालकर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा। जिन्होने पिछले साल पांच साल में विद्यालय छोड़ा है ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर :–

ऐसे गांव जहॉ न्यूनतम् 40 बालिकाएं शाला त्याग के रूप में चिन्हित की जायेगी उन गांव में उन बालिकाओं के दस दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

3– सीखने के समान अवसर न मिलना।

4– शिशु स्तर पर लालन–पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।

5– सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

विद्यालीय वातावरण से समबन्धित कारण :– निम्नलिखित हैं।

1– शिक्षक का बच्चे से लगाव होना।

2–सीखने की गति धीमी होने पर बच्चे के प्रति गलत धारणा बना लेना।

3– कक्षा में अनुकूल सामाजिक वातावरण का न होना।

4– सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चे के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

5– उत्तरदायित्व निर्वहन तथा सुविधाओं की भागीदारी जैसी भावनाओं के प्रति उदासीनता का होना।

6– बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं तथा भौतिक सुविधाओं के सामंजस्य का अभाव होना।

सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों में इन बच्चो की शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रकार की जरूरतों को समझने की आवश्यकता जिससे उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल शिक्षा को नियोजित कर सके इसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक कक्षा में अध्यापकों पर आता है क्योंकि उनका इन बच्चों से सीधा संपर्क होता है, तथा उनको बच्चों के ध्यान से देखने का अवसर मिलता है इसीलिये प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको को 5 दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अक्षमता के परिणाम :–

(1) बच्चों में

(2) परिवार में

(3) समाज में

1– आत्मनिर्भरता में कमी।

2– चलने में परेशानी।

3– समाज में उपेक्षित।

परिवार में :—

1— अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।

2— आर्थिक बोझ अधिक।

समाज में :—

1— ध्यान देने की आवश्यकता।

2— उत्पादन में कमी।

3— समाज में एकीकरण में कमी।

अक्षम बच्चों में अनेक भ्रान्तियां है, बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है केवल अध्यापकों को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है विशेष प्रकार की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गंभीर रूप धारण का चुका है।

1— संवेदीकरण :—

अक्षम बच्चों के लिये निम्नलिखित का संवेदीकरण आवश्यक होता है।

1— समुदाय का संवेदीकरण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाना।

2— परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण तथा मार्ग निर्देशन (मार्ग दर्शन)

3— अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण का सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं इन्हें सहानुभूति की नहीं, सहायता की आवश्यकता होती है, उनमें निहित इनकी अक्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

2– उपकरण एवं उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टर कीटीम जिसमें एक आर्थोपेडिक, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशिलिस्ट हो के द्वारा मेडिकल असिस्मेन्ट कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से करायी जाती है इसलिये निम्न संस्थाओं से संपर्क किया जाता है–

1– राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड देहरादून।

2– अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण संस्थान बान्द्रा–बम्बई।

3– एलिम्को जी0टी0रोड, कानपुर 206016।

4– अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेन्टर, कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली।

5– भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर।

6– राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद।

7– नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइण्ड एजूकेशन डिपार्टमेन्ट कालेज, ग्रीन एल0पी0 बाला काम्पलेक्स बम्बई।

8– मंगलम् ए 445 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

9– यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद।

10– जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र, इलाहाबाद।

3– अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :–

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का केन्द्र बिन्दु विशेष रूप से लिया गया है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधापर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक

अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है इन अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने के लिए प्रति विकास खंड 4–4 मास्टर टेनर्स का चयन किया गया है और इन मास्टर टेनर्स का 10 दिवसीय एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी 13, लूकरगंज इलाहाबाद में व मूक बधिर विद्यालय जार्ज टाउन में आयोजित किया गया है।

4– शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :–

शिक्षकों द्वारा हस्तपुस्तिका का विकास किया गया तथा पॉच विकलांगताओं– दृष्टि, श्रवण, अधिगम, अस्थि तथा मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये गये हैं। जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फोल्डर्स तैयार किये गये हैं। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिये कक्षा–3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तकों में दोस्ती नामक पाठ सम्मिलित किया गया है ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय को भी शामिल किया गया है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है :–

1– विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।

2– विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।

3– इन बच्चो के सभी समूहों के लिये शिक्षण रणनीति को विकसित करना।

4– कक्षा कक्ष प्रबन्धन और मूल्यांकन।

5– इन बच्चों के अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।

6– विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी :–

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओ की भागीदारी ली जाती है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हो और निम्न पात्रातायें रखती हो।

1– संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।

2– संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञों की उपलब्धता हो।

3– विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

4–संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता तथा इसके उद्देश्य :–

समेकित शिक्षा कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को बहुत ही जरूरी है। समेकित शिक्षा को मुख्य धारा में लाकर इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं आत्म सम्मान की भावना का विकास करना है।

1– कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।

2– 6–11 वय वर्ग बच्चों को सामान्य बच्चों की ही तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।

3– स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं समाजीकरण की भावना का विकास हो।

4– समुदाय एवं अभिभावकों का संवेदीकरण/निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।

5– कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

6– जनसमुदाय को जागृत करना।

7– स्थानीय विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा एवं स्वावलम्बन हेतु सामूहिक उत्तरदायित्व हेतु बोध का प्रयास करना।

8– प्रत्येक विकलांग बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का सुनिश्चितीकरण करना।

9– मास्टर ट्रेनर की पहचान एवं उन्हे प्रशिक्षण दिलाना।

10– प्राथमिक विद्यालयें के अध्यापकों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण करानां

11– प्रत्येक विद्यालय में विकलांग बच्चों का आई0ई0पी0 (इन्डिविजुऐलाइज्ड एजूकेशनल प्लान) तैयार कराना।

12– रिसोर्स टीचर/मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण एवं आवश्यक शैक्षिक सपोर्ट दिलाना।

13– समाज द्वारा अन्य सामान्य लोगों की भांति इन अक्षमताग्रस्त बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हें शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना।

14– स्वास्थ्य सामाजिक सम्बन्ध विकसित कराना जिससे सामान्य बच्चों का अक्षमताग्रस्त बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सके।

15– जीवन के रहन–सहन के स्तर को उन्नत करने के लिये इन बच्चों के नागरिक अधिकारों के उपभोग हेतु आवश्यक सामर्थ्य का विषय/विकास सुनिश्चित करना।

16– उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना।

विशेष शैक्षिक प्राविधान :–

विकलांग व अक्षमताग्रस्त बच्चों को कई प्रकार के शैक्षिक प्राविधान उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

1– समेकित शिक्षा विन्यास (क्षतिपूरक सहायक उपकरण)।

2– समेकित शिक्षा की व्यवस्था (पाठ्यक्रम मे कुछ आवश्यक परिवर्तन)।

बच्चों की विशेष आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को सामान्य अध्यापक विशेष अध्यापक के परामर्श से तैयार कर सकते है।

3– समेकित शिक्षा भवन (विशेष प्रकार के विद्यालय)

आधारभूत अकादमी कौशलों के विकास के बाद इनमे से अधिकतर बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है।

एकीकृत शिक्षा को सहज बनाने वाले कारक :–

1– सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चो की पहचान एकदम प्रारंभ में करना उपयुक्त है।

2– इन बच्चों को निरंतर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणों के उपयोग सुझाना।

3– बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिये मानसिक रूप से तैयार करना।

4– संसाधन (विशेष) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त सामग्री तैयार करना।

5– समेकित शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।

6– विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना जिससे बौद्धिक विकास के लिये सबको समान अवसर मिल सके।

इस शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेहपूर्ण तथा सकरात्मक व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण सम्बन्धी परिवर्तन या सुधार की अन्तर्दृष्टि भी अपेक्षित है। जिससे कि इन बच्चो की आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके जिससे कि इन्हें भी समाज का अंग माना जाये।

जनपद श्रावस्ती में समेकित शिक्षा में किये गये कार्य :–

जनपद श्रावस्ती में प्राथमिक/जूनियर में लगभग 3000 विकलांग बच्चों में सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चो की संख्या सबसे कम है। इन बच्चों में अधिकांश बच्चे ऐसे अक्षम है जिसके लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। अब तक बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा चुका है।

जनपद श्रावस्ती में समेकित शिक्षा कार्यक्रम चार चयनित विकास खंडों में हरिहरपुररानी, जमुनहा, इकौना व गिलौला में चलाया गया। जिसमें कि निम्नलिखित कार्यक्रम कराये गये हैं।

(1) मेडिकल एसेज्मेन्ट कैंप :–

चार विकास खंडों में 6 से 14 आयु वर्ग के विकलांग बच्चों का मेडिकल असेज्मेन्ट कराया गया हो। तथा विकलागता प्रमाण पत्र भी मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा वितरित किये गये है यह शिविर न्याय पंचायत स्तर में लगाये जाते है और मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार डाक्टर की टीम जिसमें अस्थि विशेषज्ञ नाक, कान, गला, विशेषज्ञ ई0एन0टी0 विशेषज्ञ नेत्र विशेष तथा सी0एम0ओ/डिप्टी सी0एम0ओ0

जाते है, परीक्षण उपरान्त आवश्यक उपकरण क्या दिये जाये। उसकी सूची बनाकर दी जाती है कि किस बच्चे को क्या सहायक उपकरण दिया जाना चाहिए साथ ही उपयुक्त बच्चे को विकलांगता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत कुल 4 एसेसमेन्ट कैम्प आयोजित किये जा चुके है।

(2) वातावरण सृजन कार्यशाला :–

चारों विकास खंडों में एक–एक दिवसीय ब्लाक स्तर पर वातावरण सृजन जनजागरण कार्यशाला की गई जिसमे अभिभावक (अक्षम बच्चों के) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा अध्यापकों बी0आर0सी0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 ने प्रतिभाग किया इसमे अभिभावक का मार्गदर्शन किया गया तथा समाज शिक्षक समुदाय, घर परिवार तथा इन बच्चों के साथ अधिक से अधिक किस प्रकार से सहायक हो सकते है, आदि पर विशेष चर्चा की गई कार्यशाला की अवधि 10 बजे प्रातः से 5 बजे तक थी। डी.पी. ई.पी. के अन्तर्गत कुल 1 गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी है।

(3) प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको का प्रशिक्षण :–

दोनों विकास खंडो में समस्त प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जायेगा। जिसमें ब्लाक हरिहरपुररानी के 190 तथा जमुनहा के 160 इकौना के 242, शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(4) मास्टर ट्रेनर फाउन्डेशन कोर्स :–

जनपद श्रावस्ती के दो विकास खंड के 10 मास्टर ट्रेनर व 5 फाउन्डेशन कोर्स प्राप्त तथा ब्रिज कोर्स प्रशिक्षको की टीम तैयार की जा चुकी है।

(5) स्वास्थ्य प्रशिक्षण :–

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद मे सभी प्राथमिक विद्यालयों के समस्त बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण आरंभ किया गया है। इस वर्ष कार्ड के स्थान पर रजिस्टर

मे कालम बनाकर प्रविष्टियां भरी जा रही है। वर्ष 2001–02 में लगभग 84000 तथा 2002–2003 में 98000 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है।

(6) अभिभावक गोष्ठियाँ :–

चारों विकास खंडों के गांव मे जाकर के विकलांग बच्चों के अभिभावकों की गोष्ठियों आयोजित की जानी है, समेकित शिक्षा कीं जानकारी दी जाती है। जन समुदाय व अभिभावकों को मार्गदर्शन के बिन्दु पर चर्चा की जाती है। जनजागरण हेतु जन समुदाय को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। चारों विकास खण्डों में 2 गोष्ठियों का आयोजन किया जा चुका है।

जनपद श्रावस्ती मे डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत अभी यह कार्यक्रम केवल चार विकास खंडों में ही चलाया जा रहा है। जबकि 6 से 14 वर्ष के विकलांग बच्चे पूरे जनपद मे सभी को शिक्षा हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जाना है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समाज के सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों को सभी के लिये शिक्षा अनिवार्य की जा रही है। इसलिये अक्षमताग्रस्त बच्चों को भी समेकित शिक्षा की मुख्यधारा में लाना अति आवश्यक है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिये कुछ विशेष कार्ययोजना को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो कि डी0पी0ई0पी0 के अल्प समय में पूर्ण नहीं किया जा रहा है। समेकित शिक्षा के बिना अक्षमता ग्रस्त बच्चें समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते इसलिये सरकार व स्वयंसेवी संस्थाये इन अक्षमताग्रस्त बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित शिक्षा की नई विचारधारा को लागू कर रहे है और इसके परिणाम समाज में दिन प्रतिदिन अच्छे रहे हैं क्योकि जिस राष्ट्र के बच्चे पूर्ण शिक्षित नहीं होते है समुदाय जागृत नहीं होता है वहां राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाती है। यह बच्चें जो कि अभी काफी संख्या में विद्यालय से बाहर है, शिक्षा से वंचित हैं उनमें निहित क्षमता का विकास कर उनके अभिभावकों का रूढ़िवादिता का अन्त कर जन समुदाय कों जागृत कर बच्चों में आत्म विश्वास जगाने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने में समेकित शिक्षा के द्वारा ही पहल की जा सकती है। क्योंकि वे सुविधा

सम्पन्न नहीं है और उनकी परिस्थितियॉ भी आसान नहीं है इसलिये समेकित शिक्षा के द्वारा समाज के अक्षमताग्रस्त बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में समायोजित कर उन्हें विकास के पथ पर आगे ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा की प्रस्तावित कार्य योजना निम्नवत् है।

(1) जनपद के सभी अक्षमताग्रस्त बच्चों का मेडिकल असेस्मेंट।

(2) असेज्मेन्ट उपरान्त सहायक उपकरण/उपस्कर वितरण शिविर का आयोजन।

(3) मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रति ब्लाक 2 प्रतिभागी।

(4) फाउन्डेशन कोर्स प्रति ब्लाक 2 प्रतिभागी।

(5) प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण।

(6) साहित्य वितरण पूरे जनपद में।

(7) समेकित शिक्षा मे एन0जी0ओ0 का पूर्ण सहयोग।

(8) प्रत्येक ब्लाक में समेकित शिक्षा पर तीन दिवसीय विशेष शिविर।

(9) पूरे जनपद में विकलांग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग।

(10) वातावरण सृजन कार्यशाला, ब्लाक स्तर/न्याय पंचायत स्तर।

(11) अभिभावक गोष्ठी न्याय पंचायत स्तर पर।

(12) खेलकूद प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता जनपद/ब्लाक/न्याय पंचायत स्तर पर।

(13) जनजागरण रैली न्याय पंचायत स्तर पर।

(14) अभिभावक शिक्षक बाल विकलांग मेला न्याय पंचायत स्तर पर।

(15) समस्त विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शारीरिक असुविधा को ध्यान मे रखते हुए रैम्प विशेष कुर्सी नीचे श्यामपट, नीचे स्विच बोर्ड इत्यादि।

(16) जनपद के सभी प्राथमिक/जूनियर के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रजिस्टर बनवाये जाने चाहिए।

(17) विद्यालय में विकलांग बच्चों के ठहराव हेतु विकलांग छात्रवृत्ति उपकरण/उपस्कर वितरण व समय–समय पर पॉच दिवसीय शिविरों का आयोजन।

(19) विकलांग दिवस का समारोह प्रतिवर्ष न्याय पंचायत स्तर पर आयोजन।

(20) जिला स्तर पर पुनर्वास केन्द्र की स्थापना।

(21) ग्राम शिक्षा समिति का तीन दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण।

अक्षमताग्रस्त बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार सभी अक्षमताग्रस्त बच्चो को शिक्षित किया जायेगा तथा जन समुदाय को भी जागृत किया जा सकेगा, इससे उनका पूर्ण विकास तो होगा ही साथ ही वे समाज में पूर्ण विश्वास व आत्मसम्मान के साथ आत्म निर्भर बन सकेगें यह तभी संभव है जबकि सर्वशिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा में इन सभी कार्यक्रमों को अवसर प्रदान किया जायेगा।

सारणी संख्या – 8.17
विद्यालय में पढ़ने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना
2003–2004

क्र	विकलांगता के प्रकार	कक्षा–1		कक्षा–2		कक्षा–3		कक्षा–4		कक्षा–5		कुल			ड्राप आउट		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	शारीरिक विकलांग	114	87	129	81	180	93	132	79	140	65	695	405	1100	–	–	–
2	मानसिक विकलांग	17	12	28	17	27	19	21	12	17	4	110	64	174	–	–	–
3	दृष्टि विकलांग	17	14	16	7	20	13	12	11	12	10	77	55	132	–	–	–
4	श्रवण विकलांग	15	7	27	13	17	15	17	13	18	4	94	52	140	–	–	–
5	अधिगम अक्षमता/अन्य	–	–	11	3	13	8	8	5	8	1	40	17	57	–	–	–
	कुल	163	120	211	121	257	158	19	110	195	84	1016	593	1609	–	–	–
	ड्राप आउट	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्र	विकलांगता के प्रकार	कक्षा–6		कक्षा–7		कक्षा–8		कुल			ड्राप आउट		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	शारीरिक विकलांग	24	14	16	7	16	8	56	29	85	–	–	–
2	मानसिक विकलांग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	दृष्टि विकलांग	5	1	4	4	1	–	10	5	15	–	–	–
4	श्रवण विकलांग	3	–	1	–	1	–	5	–	5	–	–	–
5	अधिगम अक्षमता/अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	32	15	21	11	18	8	71	34	105	–	–	–
	ड्राप आउट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत उपकरण वितरण के सम्बन्ध में आख्या

माह– जून 2003 तक जनपद– श्रावस्ती

ब्लाक का नाम	वितरण तिथि	वितरण स्थल	जिस विभाग से सामग्री दी गयी	वैसाखी	ट्राइसाइकिल	व्हील चेयर	कैल्पिर	हीयरिंग ऐड	ब्लाइंड स्टाक	योग
हरिहरपुररानी	6–7–2002	E.B.S.A. Office B.D.O. Office हरिहरपुररानी	विकलांग कल्याण विभाग, श्रावस्ती	30 –	– 10	– –	– –	– –	– 2	– –
इकौना	10.5.02	B.D.O. Office इकौना	विकलांग कल्याण विभाग, श्रावस्ती	2	26	5	25	–	–	–
सिरसिया	26.02.02	B.D.O. Office सिरसिया	विकलांग कल्याण विभाग, श्रावस्ती	31	1	–	–	–	1	–
"	06.06.03	B.D.O. Office भिनगा	विकलांग कल्याण विभाग, श्रावस्ती	1	9	1	–	–	–	–
जमुनहा	06.06.03	B.D.O. Office भिनगा	विकलांग कल्याण विभाग, श्रावस्ती	0	15	–	–	–	–	–
योग				66	71	6	25	1	4	173

कुल उपकरण –173

6. छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों का स्वास्थ्य कराया गया। वर्तमान समय में भी छात्र स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। भविष्य में भी विद्यालयों में छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

7. समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा : (विकलांग बच्चों के लिए)

जनपद में विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कर चिन्हीकरण कराया जा रहा है जिसमें विभिन्न विकलांगता प्रकार अनुसार उपलब्ध बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराया जाता है। विकलांगता बच्चे की व्यक्तित्व के साथ परिवापर एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। अतः विकलांग बच्चों को शिक्षित करके उनके व्यक्तित्व में विकास हो सकता है। श्रावस्ती जनपद में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत दो ब्लाक में समेंकित शिक्षा का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा जनपद के एक शिक्षक को ब्रिज कोर्स एवं चार शिक्षकों को विकलांगता का विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाया गया है।

विकलांगता का प्रकार एवं असेसमेंट : जनपद में विकलांगता प्रकार अनुसार निम्नलिखित संख्या है।

1	दृष्टि अक्षम	170
2.	श्रवण व वाणी दोष	224
3	अस्थि दोष	473
4.	मानसिक	79
5.	अधिगम मन्दता	29
	योग	975

विश्लेषण :

विकलांगता /अक्षमता कुछ जन्म से होती है कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। कुछ अक्षमताएं वातावरण से सम्बन्धित है। बच्चों में अधिगम के विभिन्न कारण है अक्षमता के परिणाम बच्चों में कष्ट दायक होते है। उनमें आत्म निर्भरता में की चलने में परेशानी, समाज में उपेक्षित की स्थिति पैदा हो जाती है जिसके लिये परिवार में अधिक ध्यान देने की आवश्यता एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है समाज में ऐसे बच्चों के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता, उत्पादन में वृद्धि समाज में एकत्रीकरण में अधिकता बढ़ना चाहिए।

संवेदीकरण / प्रशिक्षण :

अक्षम बच्चों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक है समुदाय परिवार के सदस्यों एवं अध्यापकों में अक्षम बच्चों की शिक्षा हेतु संवेदीकरण आवश्यक है। सहानुभूति नहीं बलिक सहायकता प्रदान की जाये। शिक्षकों से संवेदीकरण सेवारत प्रशिक्षण देकर अक्षम बच्चों के प्रति संवदेनशील बनाया जायेगा चार अध्यापकों को विकलांगता का विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाता गया है।

उपकरण / संयत्रों का विवरण –

विभिन्न डाक्टरों के द्वारा अक्षम बच्चों की विकलांगता के आधार पर आवश्यक उपकरण / उपस्कर की खोज अनुसार उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा। विकलांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने वाले पाठ्यक्रम एवं सामग्री का विकास किया जाना चाहिए।

स्वैछिक संगठनों की सहायता –

विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है इन स्वयं सेवी संस्था के लिये निम्नवत् पात्रता होगी।

1– कम से कम तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत हो।

2– संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।

3– विकलांग के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

4– संस्था विकलांग जन अधिनियम 1994 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये सामाजिक सहभागिता अति आवश्यक है। राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा संगठनात्मक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया है ग्राम शिक्षा समिति एक आधार भूत सामुदायिक सहभागिता का ढॉचा है परिवार सर्वेक्षण के आधार पर एवं प्राप्त आंकणें के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति को प्रा0 वि0 में ठहराव नामांकन पर्वेक्षण, भवन निर्माण एवं मरम्मत, बालिका शिक्षा, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय के मानचित्रण, ग्राम शिक्षा प्रणाली के विकास आदि विषयों से जोड़ दिया जाना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 461 ग्राम शिक्षा समिति में से 230 ग्राम शिक्षा समिति को तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ष 2000–2001 में दिया जा चुका है जिसमें 25–25 प्रतिभागियों ने भाग लिया इसी क्रम में नगर शिक्षा समितियों को भी प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के ठहराव नामांकन आदि विषयों के प्रति समाज में जागरूकता पैदा कर सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित किया जायेगा एवं वातावरण सृजन में सहयोग प्राप्त किया जायेगा जिसमें स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है।

अध्याय–9

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्त संवर्धन हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका

किसी भी कार्य योजना की मूर्ति रूप देने हेतु कुशल नेतृत्व के साथ–साथ कुशल, दक्ष व प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सर्व शिक्षा अभियान में कुशल, दक्ष मानक संसाधन ही न उपलब्ध कराकर बल्कि संचालित कार्यक्रमों का नेतृत्व तथा मानीटरिंग भी करेगा। संस्थान के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सफल प्रयास किया जायेगा। डी0पी0ई0पी0 योजना जिसकी विद्यालयों व शिक्षा के प्रति समुदाय के साथ में सकारात्मक परिर्वन हुआ है जो अभिभावक बालिकाओं के लिए शिक्षा को आवश्यक नहीं मानते थे, उन्होंने अपनी अवधारणा को वदल कर बालिकाओं को विद्यालय भेजना प्रारम्भ कर दिया है। घर में बालक बालिका के भेद समाप्त हुए है। विद्यालयों में जहां खेल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था। वहां अब जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र का ज्ञान कुशल व प्रभावी शिक्षण विधियों से दिया जाने लगा है। प्राथमिक शिक्षा हेतु हेतु डायट ने कुशल अध्यापकों को उपलब्ध कराया है। बी0ई0सी तथा ए0आर0जी0 के माध्यम से समुदाय के अन्दर शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के प्रति सकारात्मक व रचनात्मक सोच पैदा किया है। संस्थान से लेकर न्याय पंचायत स्तर के समन्वयक गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु प्रयासरत है। सरकार की शैक्षिक, नीतियों के सफल क्रियान्वयन व संलग्न है। यह सब प्रयास शिक्षा को प्रगति के माग्र पर ले जा रहे है। डी0पी0ई0पी0 अन्तर्गत शिक्षकों के परम्परागत शिक्षण शैली के स्थान पर गतिविधि न करके सीचने की शिक्षण विधि का व्यवहारपरक जानकारी दी गई है, जिसके कारण प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण कला–रोचक व प्रभावी हो गया है। अब शिक्षक अभिभावक, सरकार व समुदाय शिक्षा को सम्यक अपनाने तथा प्रसार हेतु कटिबद्ध होकर सर्व शिक्षा अभियान के झण्डे के नीचे एकत्रित हो गए है।

डी.पी.ई.पी. (III) के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट द्वारा सम्पादित क्रियाकलाप :–

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये।

1– सेवारत प्रशिक्षण–

2– बी.आर.सी. प्रशिक्षण–

3– एन.पी.आर.सी. प्रशिक्षण–

4– शिक्षा मित्र (डी.पी.ई.पी. / बेसिक)– पुर्न बोधात्मक

5– शिक्षा मित्र– पुर्न बोध 15 दिवसीय

6– आचार्य / अनुदेशक प्रशिक्षण–

7– समेकित शिक्षा प्रशिक्षण–

8– आंगनबाड़ी प्रशिक्षण– सम्पूर्ण जनपद

9– सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण–

10– श्रेणीकरण

11– लिंग संबेदीकरण

12– मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण ए.आई. ट्रेर्निग

इन प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों के गुणवत्ता में वृद्धि की गयी। इनकी सोच में परिवर्तन भी आया। यह अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ है प्रशिक्षण से परिणाम उत्साहवर्धक प्राप्त हुये है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये सर्व प्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन किया गया जिन्हें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में प्रशिक्षित किया गया। जनपद श्रावस्ती 18 विकास खण्डों तथा 54 न्याय पंचायतों से

आच्छादित है विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये समन्वयकों तथा सह समन्वयकों तथा न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिये न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन किया गया जो उनके कार्यों उत्तर दायित्वों से सम्बन्धित था। इसके साथ ही बी. आर. सी./ एन. पी. आर. सी. समन्वयकों/ सह समन्वयकों को डायट में ही अकादमिक सपोर्ट एवं सुपर विजन का भी प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण बी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. एवं विद्यालय का उनके भौतिक, अकादमिक पक्षों के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन लखनऊ में विकसित पैरामीटर के आधार पर श्रेणीकरण शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, मेलों का आयोजन आदि उपागमों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संवर्धन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों को अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, परन्तु कतिपय अन्य क्षेत्रों के लिये अकादमिक नेतृत्व /पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है यथा:—

1— उच्च प्राथमिक स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता, संवर्धन अकादमिक पर्यवेक्षण को भी परिधि में लाया जाना।

2— मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन, अकादमिक आवश्यकताओं की भी परिधि में लाया जाना।

3— अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों / इण्टर कालेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों / इण्टर कालेजों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा— 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाना है।

4– उच्च प्राथमिक विद्यालयों { राजकीय, परिषदीय, अशासकीय} माध्यमिक विद्यालयों { अशासकीय / राजकीय} के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करा दी जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतर सण्ड श्रावस्ती सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित राजनीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु जनपद प्रतापगढ़ में डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवधारणा के अनुसार द्वितीय चरण में 1992 में की गयी यह संस्थान जनपद मुख्यालय से 65 किमी0 दूर पयागपुर जनपद बहराइच में है। अब डायट श्रावस्ती का भवन मुख्याल भिनगा से 18 किमी0 इकौना के मफौबा सुभाष में बन रहा है।

1– जिला संसाधन इकाई विभाग।

2– सेवा पूर्व विभाग।

3– सेवारत विभाग।

4– पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।

5– कार्यानुभव विभाग।

6– शैक्षिक तकनीकी विभाग।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।

1– जिला संसाधन ईकाई विभाग–

शिक्षा ही वर्तमान के निर्माण का अनुरूप साधन है सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराने के लिए समय–समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते है। वे

बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गई है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है इस कार्य के लिए उन लोगों का अवाहन किया जाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं और लोगों को शिक्षा देने में रूचि रखते हो। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न है–

1– अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

2– संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।

3– पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।

4– कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।

5– कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।

6– कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपरकणों का निर्माण करना।

7– कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण।

2– सेवापूर्ण विभाग :–

सेवापूर्ण विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यह विभाग करता है। बी0टी0सी0 एवं शिक्षा मित्र को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। जिससे वे अध्यापक के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें प्रशिक्षण में सामुदायिक शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है, वर्ष 2003–04 में शिक्षा मित्र एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण को प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं वर्ष 2006–07 में बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित हैं।

3– सेवारत विभाग :–

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम तकनीकी ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है एक अध्यापक के प्रभावशील, शिक्षक होने के लिए नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थिति दक्षता को बढ़ाना होगा जिस प्रकार देश की रक्षा में लगी हुई सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल की जानकारी देकर अभ्यास कराया जाता है उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई–नई तकनीकी ज्ञान की जानकारी दी जाती है। यह विभाग सेवा में लगे हुए अध्यापकों को समय–समय पर संस्थान में आयोजित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलित करके उन्हें नई–नई चुनौतियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
गणित एवं विज्ञान का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा, अग्रेंजी, संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमीनार	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

4– कार्यानुभव विभागः–

सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण कर सबसे सशक्त साधन शिक्षा को माना गया है। इसलिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भावी नागरिकों के निर्माण हेतु तदनुरूप शिक्षा व्यवस्था अपनाई गयी है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा कार्य अनुभव में द्वारा शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाते हुए समाज में होने वाले कार्यों से जोड़ा जा सकता है। इस विभाग द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण संस्थान परसिर में सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता का कार्य आदि कराया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक सामग्री का निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को डायट पर कार्य करने के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की भी मदद करना।	सेवारत अध्यापकों का र्निमूल्य सहायक सामग्री का पुनवोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यपक का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को ऑवले की खेती एवं फल सरंक्षण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करके क्षेत्र में ले जाना।

सर्व शिक्ष अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य का सम्पन्न कराया जायेगा।

5– शैक्षिक तकनीकी विभागः–

इस वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना, दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयोग कैसे करें। छात्रों की आमांत्रित कराना आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य/अल्प व्यय, अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च्य स्तरीय व्यवहारिक ज्ञान देना है। संस्थान का शैक्षिक तकनीकी विभाग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता संबर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सफल बनाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षा मित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक समाग्री का निर्माण	शिक्षा मित्र, छात्राध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

6– पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभागः–

पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय छात्र की आयु, उसकी मानसिक योग्यता, परिवेशीय आवश्यकताएं, सुलभ साधन छात्रों का विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है शिक्षक अपने प्रयास में कहाँ तक सफल है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में सम्भव बनायी जा सकती है। उपर्युक्त विचारों की दृष्टि में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इन क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सतत् रूप से होगा।	प्राइमरी व उच्च प्राइमरी के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा।	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता समानता, लोकतन्त्र लिंग भेद आदि का पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा।	अध्यापकों एवं छात्रों को नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा।	सृजित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभागः–

संस्थान का नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन, मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं ई0एम0आई0एस0 का विकास करना आदि कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण ईकाइयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा।	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन कराना।	ई0एम0आई0एस0 की कार्य प्रणाली को विधिवत् जानकारी कराने के बाद कार्य रूप देना जिससे देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी।	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम।	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए किये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

नोट– S.I.E/S.C.E.R.T./S.I.E.M.T/S.P.O., NCERT, NCTE तथा अन्य संस्थानों द्वारा निष्दिष्ट / निर्धारित कार्यक्रमों को सभी विभागों में समायोजित करेगें।

गुणवत्ता संबर्धन के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिकाः–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल ठण्त्ण्ब्ध्छण्च्त्ण्ब् की स्थापना, स्थायी पदों के प्रति पदस्थापन किया गया। जिसके लिये प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों

के सहायक अध्यापकों में से योग्य अध्यापकों को प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिये समन्वयक हेतु चयन किया गया है। जिनका कार्य एवं दायत्वि निम्नवत है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिकाः—

1 ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइयों के समाधान के लिये किया जाता है।

2— डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरण सृजन आदि का आयोजन किया जाता है।

3— विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।

4— ब्लाक संसाधंन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का भ्रमण कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीड बैक प्रदान किया जाता है।

5— वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिक्षु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं एन. पी. आर. सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

6— ई. एम. आई. एस. आंकड़ों का संकलन कार्य।

7— ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक योजना तैयार करना, तद्नुरूप बजट निर्माण, तथा वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन।

8— एन. पी. आर. सी. सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना और उनके लिये आवर्ती अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना।

9– एन. पी. आर. सी. के फीड बैक ओर इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बन्धी स्पष्टता के लिये एक सक्रिय समूह गठित करना।

10– संकुल स्तरीय मासिक बैठकों की संरचना कार्यसूची अवधारणात्मक प्रलेख तैयार करना। जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुद्दों का विशेष उल्लेख हो।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र विन्दु है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना शिक्षकों के अनुभवों को परस्पर विनिमय करना सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण करना। स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयकों का प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा निम्नवत कार्य किये जाते है।

1. संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासिक बैठकों/कार्यशाला का आयोजन करना।
2. स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई. एम.आई. एस. ऑकड़ों का संकलन कार्य।
3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योजना का विकास।
4. बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।
5. ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्रतिभाग सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रो को वॉछित सहयोग प्रदान करना।

6. संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखी करण करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना।

7. अध्यापाकों की मासिक बैठकों में भाग लेना नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी पाठ्य चर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलों में उनको मदद करना।

8. अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित सूचना का ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपलब्ध कराना।

9. न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण।

10. ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को अनुसमर्थन प्रदान करना।

11. विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य ।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम {प्राथमिक स्तर पर }

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम { डी.पी.ई.पी.} से आच्छादित जनपद श्रावस्ती कार्यक्रम के द्वितीय चरण में आच्छादित जनपदों के रूप में अप्रैल 1999 से आच्छादित है। जिला प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्धन के लिए प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की खुली प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों के डायट स्तर पर चिन्हित किया गया। तथा उनका प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के व्यक्तियों द्वारा डायट हरदोई में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सफल संदर्भ दाताओं द्वारा ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित करने का प्रयास।
2. शिक्षण कार्य में बच्चों की सक्रियता भागीदारी के प्रति समझ विकसित करना।
3. बच्चों की सीखने सम्बन्धी कठिनाईयों को समझाना शिक्षकों में बच्चों की कठिनाईयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदन शील बनाना।
4. शिक्षण के समय कक्षा के वातावरण को जिज्ञासा पूर्ण बनाना।
5. वंचित वर्ग विशेष कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयों संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करना।
7. सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता लाने का प्रयास।
8. विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य में गतिविधियों का प्रयोग।
9. अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित की भावना पैदा करना।
10. अध्यापकों को प्रत्येक बच्चे में आशावादिता एवं आत्म विश्वास जागृत करने पर बल देना।
11. गतिविधियों द्वारा पाट्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कार्य।
12. एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहु कक्षा/बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य।
13. बहु उद्देशीय शिक्षण अधिगम सामाग्री निर्माण शिक्षण में उपयोग एवं सम्भावनाये।

14. शिक्षा के सार्वजनी करण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य।

15. समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाईयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना।

16. बच्चों को ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सतत् मूल्यांकन।

17. शिक्षण कार्य में विषयाधारित कहानी लोक कथाओं के प्रयोग से भाषा गणित विज्ञान, समाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना।

उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम {डी.पी.ई.पी.} योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों में कार्य कुशलता में बृद्धि के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड प्रतापगढ़ के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षकों की शिक्षण क्षमता अभिबृद्धि के लिए गणि विषयाधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें अधिकांश अध्यापक लाभान्वित हुए। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान/ अंग्रेजी अध्यापकों का प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षण कोशल में अभिबृद्धि के लिए आयोजित किये जा रहे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की भॉति उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में बृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड प्रतापगढ़ के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों की

क्षमता बढ़ाने के लिये उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशल मे अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाई गयी है।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये जिला स्तर पर डायट ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की व्यवस्था है। एन. पी. आर. सी. समन्वयक द्वारा निरन्तर प्राथमिक विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक एवं विद्यालयीय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं का तात्कालिक निदान न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित मासिक बैठक में तथा ऐसे समस्यायें जिनका निदान नही हो पाता, एन.पी.आर. सी. समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र समवयक की मासिक बैठक में रखी जाती है। एन. पी. आर. सी./ बी. आर. सी. स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक समस्यायें तथा विद्यालय प्रवेश सम्बन्धी जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता उनका समाधान डायट स्तर पर बी. आर. सी. समन्वयकों की मासिक बैठक में किया जाता है। शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये डायट संकाय सदस्यों, निरीक्षक वर्ग बी. आर. सी. एन पी. आर. सी. समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभावः—

जनपद प्रतापगढ़ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत अप्रैल 2000 से संचालित है। जनपद में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण 'साधन' माड्यूल के अनुसार लगभग समाप्ति की तरफ है। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वयक {प्रशिक्षण}, डायट मेन्टर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी. आर. सी./ एन. पी. आर. सी. समन्वयकों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जिनसे प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षणकार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है तथा बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरणः—

जनपद प्रतापगढ़ में एन. पी. आर. सी. समन्वयकों के 171 पद सृजित हैं जिनमें से मात्र 84 में समन्वयक कार्यरत हैं जिसके कारण श्रेणीकरण का कार्य बाधित हो रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रभारी न्याय पंचायत समन्वयक बनाया गया है। श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञां संख्या 2314/ 15–5–01– 346 / 2001 दिनांक 11–7–2001 द्वारा शुरू हो चुका है।

जनपद श्रावस्ती डी0पी0 ई0पी0 के मध्यावधि मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों का सारांश—

1— विद्यालयों में जाति व लिंग भेद कम हुए है, बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है।

2. युवा अध्यापकों की भागीदारी बढ़ी है।

3. सामान्य योग्यता व्यवसायिक योग्यता की उच्च योग्यता धारी शिक्षकों की वृद्धि हुई है।

4. अध्यापकों ने गृहकार्य देने तथा उसके जाचंने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

5. रक्षा छात्रों की भाषा व गणित में मध्यमान उपलब्धि 84.6 प्रतिशत तथा 82.84 प्रतिशत रही है।

6. रक्षा छात्रों की भाषा व गणित में औसत उपलब्धि क्रमशः 61.37 प्रतिशत तथा 64.85 रही है।

7. गणित विषय में रक्षा कक्षा 2 छात्रों में ग्रामीण व नगर क्षेत्र की उपलब्धियों में सार्थक अन्तर पाया जाना है। यह उस क्षेत्र में विशेष मनोवैज्ञनिक की शिक्षण नीति से निविष्टियों के समावेश की आवश्यकता प्रदर्शित कर रही है।

8. कक्षा 5 छात्रों में भाषा व गणित विषयों में जातिकार किसी भी वर्ग के मध्य उनकी उपलब्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

9. गुणात्मक विश्लेषण से यह पाया गया है कि कक्षा 5 गणित में 26.9 प्रतिशत छात्र दक्षता की ओर उन्मूख, 63.4 प्रतिशत छात्र ने दक्षता प्राप्त कर लिया है तथा 8.7 प्रतिशत छात्र ही न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त कर रहे है। केवल 2.1 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाये।

10. कक्षा 5 की गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर क्रम में 27.7 प्रतिशत दक्षता की ओर उन्मूख 15 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त कर चुके व 22.6 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किये है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद प्रतापगढ़ में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत–प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है :–

1– 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चो को निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2– वर्ष 2003 तक सभी बच्चो का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।

3– वर्ष 2007 तक समस्त बच्चो द्वारा कक्षा–5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

4– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।

5– गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।

6— बालक बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामंकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।

7— सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।

8— शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहां बाल विकास परियोजनाएं नहीं चलरही है वहां विशेष पूर्व विृद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एवं इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

S.A.T.

S- Systematic

A- Approach

T- Training

I- Identification (पहचान)

N- Need (आवश्यकता)

D- Desigining & Planning (डिजाइनिंग एवं योजना)

I- Implemintation (क्रियान्वयन)

A- Assessment (मूल्यांकन)

तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एवं सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय विकास खंड स्तरीय न्याय

पंचायत स्तरीय स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों, न्याय पंचायत/विकास खंड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता निष्कर्ष एवं सहमतियां तय की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत् प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी। डीपीईपी के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहु कक्षा बहु स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक में सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहुत कक्षा शिक्षण/बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें से सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर

पर तथा शेष तीन दिवसों का प्रशिक्षण क्रमशः एक एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1– विजनिंग कार्यशाला का आयोजन तीन दिवसीय।

2– बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार एक एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

3– मैटेरियल मेले का आयोजन।

4– विकास खंड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्रो पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का अभिलेखीकरण ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्यकों द्वारा किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं गोष्ठियों का अनुश्रवण समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट के ब्लाक मेन्टर द्वारा किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र के प्रथम वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिये रूपये 80.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से रुपया 60,00,000.00 (रुपया साठ लाख) अनुमानित व्यय होगा।

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में अध्यापकों कीआवश्यकता पर आधारित मुख्यतः भाषा एवं गणित विषय की दक्षता को केन्द्रित कर दिया जायेगा। जिसमें सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिनों का प्रशिक्षण एक एक माह के अंतराल पर न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है :–

(1) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर वर्ष के सात दिनों में मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें जिसमें ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

(2) वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों से सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रुपये 60,00,000.00 (साठ लाख रुपया) अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तृतीय वर्ष में विज्ञान सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा जिस पर रु0 80.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन कीदर से रुपये 60 लाख अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के चौथे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

1– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेगी।

2– डायट द्वारा तैयार किये गये एजेंडे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महीनों में आयोजित की जायेगी। इन प्रशिक्षणों पर प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी रूपये 80.00 रुपये की दर से 60 लाख अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के पांचवे वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षों के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। सह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा। जिसमें पांच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व मे दिये गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा इंटरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
कार्यशाला / सेमिनार प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आकंलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
अपर प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आकंलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला

प्रशिक्षण प्राइमरी	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2. रोस्टर ट्रेनिंग 3. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण माड्यूल	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
अपर प्राइमरी	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांक	हिन्दी, एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण,
क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्बधन हेतु	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्बधन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्बधन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण मूल्यांकन
	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों में समस्याओं के आंकलन पर)	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों के समस्याओं के हल करने हेतु।	वी0आर0पी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन	वी0आर0पी0 / एन0पी0आर0सी0 द्वारा मूल्यांकन
	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी.	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी.	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी.	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी.	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी.

	स्तर पर 2. डायट स्तर पर	स्तर पर 2. डायट स्तर पर	स्तर पर 2. डायट स्तर पर	स्तर पर 2. डायट स्तर पर	स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी. एल.एम. प्रतियोगिता

विशेष प्रशिक्षण :–

1– कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।

2– लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।

3– नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी।

4– स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

5– सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण।

6– व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।

7– समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।

8– शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण।

9– समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रशिक्षण :–

इस निमित्त दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु डायट के सदस्यो को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयो में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग समबन्धी शिक्षा प्रदान करेगें।

लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण :–

कक्षा में बालिकाओ के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी0आर0सी0स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है एक सुप्रसिद्ध स्कूल में गुणवत्ता के तीनों पक्षों यथा स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रक्रियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रक्रियाओं के लिए समुदाय सहयेाग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियर हाईस्कूल के समस्त अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी। इस प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर सीमेट से पधारे संदर्भ दाताओ द्वारा किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक ग्राम प्रधान (यथा संभव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

शिक्षा मित्र / आचार्य जी प्रशिक्षणः जनपद में चयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रो के आचार्य जी के लिए तीन दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस निमित्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण :–

डीपीईपी के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्टएवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज में 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयको की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादिमक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर किया जायेगा। बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 के समन्वयको की उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय समय पर शिक्षा मित्र आचार्य जी0ई0सी0सी0ई0 के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण :–

विकास खंड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पॉच दिवसीय ओरिएटेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद द्वारा तैयार किया

गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकतब मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षण तथा समुदाय की सहभागिता हेतु कार्यक्रम का अनुश्रवण।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :--

विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ साथ युवक मंगल दल के सदस्य माडल कलस्टर डवलपमेंट ऐप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से वूमेन्स मेन्स ग्रुप, मदर टीचर्स एसोसिएशन पैरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक सहयोग–

भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका तात्पर्य स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाये, या कम से कम साक्षर तो हो ही जाये शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रख कर संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रतिपूर्ति की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का विधिवत गठन किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान

सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। ग्राम शिक्षा समिति में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति/ जन जाति के अभिभावकों, विकलांगों बच्चों के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण एवं अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओं के साथ– साथ विद्यालय विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के कार्यों के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम सभा स्तर पर उत्साही युवकों जिनकी संख्या प्रति विकास खण्ड 25 से 30 होगी, का चयन कर ब्लाक संसाधन समूह { बी. आर. जी.} तथा जिला संसाधन समूह { डी. आर. जी.} का गठन किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के तीन दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर का प्राविधान है। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था अतरसण्ड प्रतापगढ़ के नेतृत्व में ब्लाक संसाधन समूह { बी. आर. जी.} के सदस्यों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित ब्लाक संसाधन समूह {बी. आर. जी.} के सदस्यों ने राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन निशातगंज लखनऊ द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर जनपद की कूल 1105 ग्राम शिक्षा समितियों में से प्रथम एवं द्वितीय चक्र में 70 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2000–2001 तथा शेष ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2001–2002 में आयोजित किया गया।

वर्तमान में सभी ग्राम शिक्षा समितियों प्रशिक्षित हो चुकी हैं अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर निम्न बिन्दुओं पर आधारित थे।

1– समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतिकरण।

2– ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का कौशल निर्माण।

3– प्रतिभागिता उपागम रोल प्ले केस स्टडी क्षेत्र भ्रमण एवं सम्प्रेषण अभ्यास।

4– समस्या समाधान एवं प्रतिभागिता परक विश्लेषण अभ्यास कार्य।

5– गांव के सर्वांगीण शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक मानचित्रण ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।

6– लिंग भेद एवं बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा अभ्यास कार्य।

ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रयुक्त माड्यूल {ग्राम शिक्षा समिति संकाय एवं प्रयास} के अनुसार विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों एवं उनके स्कूल न आने वाले कारणों की पहचान के लिये सूक्ष्म नियोजन {माइक्रो प्लानिंग} तथा स्कूल मानचित्रण {स्कूल मैपिंग} का कार्य किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, विद्यालय विकास योजना तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण से विद्यालयी क्रियाकलाप में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा तथा स्कूल न आने वाले बच्चे विशेष कर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई हैं प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये समुदाय की सहभागिता में और अधिक वृद्धि करने के लिये विद्यालय के शिक्षण कार्य को देखने के लिये विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय पर्वो एवं वार्षिक कार्गक्रमों के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय से सेवित समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा में परिवार एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों के विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है साथ ही परिवार के सदस्यों भाई – बहन एवं माता–पिता के शिक्षित होने पर बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों के कम पढ़े लिखे या निरक्षर होने तथा शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवार के होने

के कारण बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में शिक्षा के लिये बच्चों को मात्र शिक्षकों का ही सहयोग मिल पाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणोपरान्त कराये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :–

जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगें।

अन्य हस्तक्षेपीय उपाय :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य हस्तक्षेपणीय उपायों में से एक विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्रथमिक विद्यालयों की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान कियागया। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

कुल कार्य दिवस जिनमें विद्यालय खुला : – 220

शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या : – 160

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	160	200
परीक्षा	10 दिन	14 दिन

पल्स पोलियों चुनाव	30 दिन	30 दिन
ड्यूटी आर्थिक गणना		
ए0बी0एस0ए0 की बैठक		
खेलकूद की रैली		
बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी		
समुदाय से संपर्क	7 दिन	7 दिन

कार्यशालाओ/गोष्ठियों का आयोजन :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठको को और अधिक उपादेयी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्य योजना को बनाने मे बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत् कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1– बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति।

2– अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।

3– विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास

4– छात्र/छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन टेस्ट आईटम का निर्माण।

5– समुदाय की सहभागिता विद्यालय प्रबन्धन में कैसे बढ़ायी जाये।

6– छात्र/छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।

7– छात्र./छात्राओं के बुद्धि लब्धि के परीक्षण के लिए टैस्ट आईटम का निर्माण।

8– कक्षा कक्षों में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठी विचार।

क्रियात्मक अनुसंधान :—

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पॉच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन के सीमेट इलाहाबाद तथा निदेशक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओ के निदानों के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाये और समाधान ढूंढने में सफल हो सके। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है:—

1— शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है?

2— बहु कक्षा शिक्षण की स्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाये?

3— बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में मानीटर का सहयोग कैसे?

4— कक्षा कक्ष की प्रक्रिया (क्लास रूम प्रोसेस) में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास?

5— शिक्षण प्रशिक्षण की कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संकेतकों (इन्डीकेटर्स का विकास)?

6— बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान?

7— बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयास?

8— समुदाय को विद्यालय के करीब लाने हेतु प्रयास?

9— शिक्षकों एवं छात्रों के बीच अतः सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास?

10— अध्यापकों द्वारा सक्रिय अधिगम पद्धति को प्रयोग मे न लाना?

11— धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सहायता देने की विधियॉ खोजना?

12– उद्देश्य पूर्ण शिक्षण करना।

13– बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण।

14– प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।

15– विद्यालय परिसर के दुरुपयोग की समस्या।

16– अल्पसंख्यक बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या।

17– छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।

18– मध्यावकाश के पश्चात् कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होने सम्बन्धी समस्या।

19– अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान।

20– छात्रों की अनियमित उपस्थिति।

21– छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उसका समाधान।

22– गणित विषय की पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाई का निवारण।

23– दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यालय में अधिकतर छात्रों की अनुपस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान।

शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली :–

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिकाधिक यथार्थ प्रासांगिक आवश्यकतापरक तथा प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है इसके लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष निर्धारण के सोपनों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (डी0आई0एस0ई0) का विकास अपेक्षित होता है। विद्यालय न्याय पंचायत ब्लाक संसाधन केन्द्र जनपद राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं तथा आंकड़ों को तैयार

करने और उनके उपभोग के अनेक अवसर आते हैं। इस प्रसंग में यह विशेष उल्लेखनीय है कि सूचना संकलन तथा विश्लेषण के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली एक नवोद्घाटित आयाम है।

ई0एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्या एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। ई0एम0आई0एस0आंकड़ों के विश्लेषण से गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा बच्चों की सम्प्राप्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उसका उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन मे हो सकेगा।

प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक के आंकड़ों के विश्लेषण एवं उससे निष्कर्षो को निकालने सम्बन्धी पॉच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण को लेने के उपरान्त उपरोक्त समन्वयक अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेगें।

जब विभिन्न स्कूलों का जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा तब विभिन्न प्रकार की 60 रिपोर्टे जनरेट की जा सकती है। इन रिपोर्टो का विश्लेषण एवं व्यवस्था करके जो मुद्दे उभरेगें उनको ध्यान में रखते हुए अगली योजना तैयार की जायेगी।

मूल्यांकन प्रणाली :–

छात्रों के मासिक, वार्षिक मूल्यांकन की जो प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है उसे परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा–5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0स्तर पर एवं कक्षा–8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर

आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट में होगी तथा प्रश्नपत्र निर्माण डायट में ही होगा। साथ ही छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण माड्यूल निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किया जा चुका है जिसका अध्यापक स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सतत् एसववं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण भी कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0समन्वयकों को भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कर सके।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा जनपद विकास खंड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास का शोध, एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूहों का सुदृढ़ीकरण :--

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैंक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठन किया गया है। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ

शिक्षा विद्, कालेजों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। इनकी क्षमता सम्वर्धन हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जाती है। यह कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षण, स्कूल प्रबन्धन शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रति वर्ष पांच दिवसीय आयोजित की जायेगी।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का विकास (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) :

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि का इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम् उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तक का विकास निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में किया जा रहा है। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं का विकास भी किया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग सम्बन्धी बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यनरत् बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो

किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में शिक्षकों ग्राम स्तरीय अभिकर्मियां, न्याय पंचायत/ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तरीय अभिकर्मियों/डायट संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता में विकास में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास खंड स्तर पर दो ग्राम शिक्षा समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रमशः 15,000.00 एवं 10,000.00 रूपये दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियां इस धन का उपयोग विद्यालयों को समृद्ध करने में अपने निर्णयानुसार करेंगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने के लिए प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चिन्हित कर प्रत्येक विकास खंड में एक एक अध्यापक को 5000.00 रूपये पुरस्कार दिया जायेगा। जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी0आर0सी0 को एवं प्रत्येक विकास खंड के एक एन0पी0आर0सी0 को 10,000.00 एवं 7,000.00 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डायट अभिकर्मियों को मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

डायट / बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर :–

वर्ष 2003–04

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1–	विजनिंग कार्यशाला	4 दिन
2–	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
3–	शिक्षा मित्र आचार्य जी प्रशिक्षण	30 दिन
4–	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	3 दिन
5–	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	7 दिन
6–	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	5 दिन
7–	ब्लाक संसाधन ग्रुप का प्रशिक्षण	3 दिन
8–	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	15 दिन
9–	अंग्रेजी तथा संस्कृत के विषयों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
10–	नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण	4 दिन
11–	ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	5 दिन
12–	विज्ञान शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
13–	गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
14–	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु कार्यशाला	2 दिन
15–	व्यक्तित्व क्षमता विकास कार्यशाला	3 दिन
16–	समुदाय शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच अंतः सम्बन्ध विकसित करने हेतु कार्यशाला	5 दिन
17–	टी0एल0एम0 कार्यशाला (प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी)	3 दिन
18–	मूल्यउन्मुखीकरण प्रशिक्षण	5 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का कौशल विकास :–

डायट संकाय के सदस्यो को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है :–

1– समेकित शिक्षा कार्यशाला हेतु संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण।

2– कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

3– लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण।

4– शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण।

5–मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उउपकरणों/टेस्ट प्रयोगों का प्रशिक्षण।

6– क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण।

सर्व शिक्षा अभियान का अकादमिक सुपर विजन :–

'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षिक अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर सह समन्वयक एवं समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक मेन्टर की भूमिका रही है। किन्तु कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये कुछ और अधिक परस्पर लिकेजेज की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक मेन्टर में परस्पर लिंकेजेज बनाया जायेगा। समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपने अकादमिक अनुश्रवण का प्रतिवेदन अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक को देगा तथा प्रतिवेदन का समाधान हर संभव ब्लाक संसाधन केन्द्र पर किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत संसाधन

केन्द्र से प्राप्त होने वाले जिन प्रतिवेदनों का समाधान नहीं हो पायेगा उन्हें समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा के गुणवत्ता सम्वर्धन तथा शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए डायट स्तर पर गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यों की मासिक बैठक में बी0आर0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य का एजेंडा तैयार किया जायेगा। डायट द्वारा जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। जिसके दिशा निर्देशन में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक कार्य करेगें प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यो का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इंटर कालेज में कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों को परिधि में लिये जाने का प्रस्ताव है। अतएव इन विद्यालय के शिक्षकों का भी अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्वर्धन की भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। जिसमें इस बात पर विशेष बल होगा कि डीपीईपी के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली की ओर अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर (उद्देश्य परक मानक) के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयें, उच्च प्राथमिक विद्यालयों संसाधन केंद्रों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता आधारित क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकांक्षी योजना है तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्पर लिंकेजेज बनाये रखने के लिए वर्तमान में कार्यरत् अभिकर्मी पर्याप्त नहीं है। अस्तु सृजित पदों के विपरीत अभिकर्मियों पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान :

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों (शिक्षामित्रों सहित) के प्रशिक्षण का प्राविधान है। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिये प्रत्येक अध्यापक एवं शिक्षामित्र को रुपये 500 की दर से प्रतिवर्ष टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं अतिरिक्त शिक्षकों को वर्ष 2002–03 से यह अनुदान दिया जायेगा। किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षामित्रों, नवीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षामित्रों को वर्ष 2002–03 से टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा।

टी0एल0एम0 अनुदान का वर्षवार प्रावधान बजट में निम्नवत् कर लिया जायेगा।

सारिणी संख्या

वर्ष	टी0एल0एम0 अनुदान हेतु शिक्षकों/शिक्षामित्रों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002–03	–	532
2003–04	150	1252
2004–05	1628	738
2005–06	2178	842
2006–07	2666	1060
2007–08	–	–
2008–09	–	–
2009–10	–	–

नवसृजित डायट श्रावस्ती के हेतु जनपद श्रावस्ती के इकौना कस्बा के उत्तर पूरब ग्राम मझौबा सुकाल में विभागीय मानचित्रानुसार भवन बन रहा है। अब तक डायट पयागपुर जो जनपद बहारइच में अन्त तक डायट भवन बन जाने से कार्य प्रारम्भ होने की सम्भवनाएं है अभी तब श्रावस्ती जनपद का नेतृत्व डायट पयागपुर जनपद बहराइच से किया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता/दक्षता संवर्धन हेतु डायट से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव एवं अभियान के अन्तर्गत अनुमानित आवश्यकता का आकलन करते हुए निम्नलिखित प्राविधान किये जायेंगे –

सारणी संख्या – 9.3

क्र. सं.	मद का नाम	अनुमानित लागत (हजार में)	अन्य विवरण
1.	फर्नीचर	100	
2.	उपकरण (दृश्यश्रव्य सामग्री सहित)	300	
3	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	700	
4	वाहन	–	
5	किराये का वाहन	100	
6	पी0ओ0एल0 एवं वाहन का रखरखाव	500	
7	सेमिनार	5000	
8	शोध/क्रियात्मक शोध	3000	
9	संकाय विकास	500	
10	एक्सपोजर विजिट	500	

11	पुस्तकालय	75	
12	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन	80	
13	ड्राइवर का वेतन	50	
14	कंज्यूमेबिल / कम्प्यूटर स्टेशनरी	20	
15	आनुषंगिक व्यय	100	
	योग	6247	

अध्याय–10

परियोजना प्रबन्धन–

आयु वर्ग 6 से 14 के सभी बालक /बालिकाओं को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2001 से 2007 तक परियोजना संचालित होगी जिसकी प्रबन्धन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा परियोजना प्रबन्धन टीम भावना पर लोकतांत्रिक होगा जिसमें जनसहभागिता निश्चित करना होगा तथा प्रबन्ध तन्त्र संवेदनशील एवं लचीली प्रणाली का होगा।

परियोजना की निर्णायक समितियों :

जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति सर्व शिक्षा नीति निर्धारण हेतु पूर्व से गठित है जिसका गठन निम्नवत् है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
4.	प्राचार्य डायट	सदस्य
5.	अधिषासी अभियन्ता (P.W.D.)	सदस्य
6.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
7.	दो शिक्षा विद (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
8.	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
9.	दो शिक्षपक राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त	सदस्य
10.	स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व–

इस समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं दायित्व हैं–

1. E.G.S./A.I.E. प्रस्तावों का अनुमोदन एवं संचालन।
2. निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुधार, जनसहभागिता, रणनीति निर्धारित, तकनीकी वर्यवेक्षण।
3. स्थानीय अभियान अन्तर्गत शिक्षा हेतु प्रचार प्रसार कार्य।
4. सभी के लिये शिक्षा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

जिला बेसिक शिक्षा समितिः–

ग्रामीण क्षेत्र के जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन निम्नवत् होगा :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य / सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति (जिला पंचायत सदस्यां में से)	पदेन सदस्य

इस समिति के निम्नलिखित दायित्व हैं :–

1. बेसिक विद्यालयों सम्बन्धी प्रशासनिक कार्य।
2. नवीन बेसिक विद्यालयों की स्थापना काय।
3. बेसिक शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु योजनायें तैयार करना।

क्षेत्र पंचायत समिति :

विकास खण्ड स्तर पर निम्नलिखित पदाधिकारियों की एक समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। इस समिति का नाम ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति होगी।

1.	क्षेत्र पंचायत	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उ0वि0 निरीक्षक	सदस्य/सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4.	विकास खण्ड स्तर का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक	सदस्य

इस समिति का मुख्य दायित्व जिला परियोजना समिति के आदेशों का कार्यान्वयन करना, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना है।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उ0वि0 निरीक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु कार्य करेगें। ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के मध्य समन्वय स्थापित कराने का भी दायित्व होगा। विकास खण्ड स्तर पर सांख्यिकी हेतु सूचनाओं के एकत्रीकरण का भी दायित्व होगा। अध्यापक वेतनबिल प्रस्तुतीकरण एवं वेतन भुगतान, छात्रानुपात अनुसार अध्यापक/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था कराना, निरीक्षण, पाठ्य पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, निर्माण कार्य पर्यवेक्षण आदि कार्य सम्पादित करने होंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उ0वि0 निरीक्षक पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी का कार्यालय स्थापित होगा। उन्हें मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता एवं रखरखाव हेतु रू0 18000/- वार्षिक प्रति विकास खण्ड उपलब्ध कराया जायेगा इनके सहयोग हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में एक ब्लाक समन्वयक एवं एक सह समन्वयक की नियुक्ति रहेगी।

ब्लाक संसाधन केन्द्र :–

जनपद के विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्र भवन बन चुके हैं तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ब्लाक समन्वयक एवं सह समन्वयक नियुक्त है जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को सांख्यिकी तैयार कराने, सूचना एकत्रीकरण, पर्यवेक्षण कार्य आदि में सहयोग करेगें। समय एवं सूचना की सुगमता के लिये प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में समन्वयक अथवा अध्यापक को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर एक कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी इसके अतिरिक्त स्कूल से बाहर बच्चों का चिन्हीकरण नामवार, बस्तीवार सूचना तैयार करना, ब्लाक स्तर अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य, एकेडमिक समूह का गठन अध्यापकों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण कार्य, नवीन विधियों अनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने का कार्य ब्लाक समन्वयक/सह समन्वयक को सम्पादित करने पड़ेगें।

ग्राम शिक्षा समिति :–

निम्नानुसार गठित ग्राम शिक्षा समिति ग्राम स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संचालन दायित्व का निर्वाहन करेगी।

1.	ग्राम पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में से जेष्ठतम् प्रधानाध्यापक	सचिव
3.	बेसिक विद्यालयों के छात्रों के तीन संरक्षक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

ग्राम शिक्षा समिति को बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यो का सम्पादन, बेसिक विद्यालय अध्यापकों को सुझाव एवं आवश्यक निर्देश देने का कार्य, अध्यापकों/कर्मचारियों के समय पालन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना,

बेसिक स्कूल भवनों व उपकरणों के सुधार के लिए सुझाव देने का कार्य, बेसिक शिक्षा का विकास कार्य करना, ग्राम पंचायत स्थित बेसिक विद्यालयां के प्रशासन, नियत्रंण एवं प्रबन्धन कार्य करने होंगे। उक्त के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन कार्य, कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक सहभागिता प्राप्त कर बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने का कार्य, कार्यक्रम का समय बद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कार्य, प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य विकास के लिये माइक्रो प्लानिंग विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने का कार्य भी सम्पादित कर ना होगा। शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना, शिक्षा मित्रों एवं आचार्यों आदि का मानदेय भुगतान का कार्य भी ग्राम शिक्षा समिति करेगी पोषाहार का वितरण एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण भी ग्राम समिति को अपनी देखरेख में करना होगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र भवनों का निर्माण हो चुका है एवं समन्वयक न्याय पंचायत केन्द्र के चयन उपरान्त उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आवश्यक प्रशिक्षण देकर और अधिक सक्रिय बनाया जायेगा। समन्वयक न्याय पंचायत केन्द्र को न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन कार्य, ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर विद्यालयों की गुणवत्ता एवं परिवेश सुधार का कार्य, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने का कार्य, अध्यापकों की बैठक करके उनकी कठिनाइयों का निस्तारण करने का कार्य, न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कार्य करना होगा।

जिला परियोजना कार्यालय :

जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर कार्य करेगें जिला परियोजना समिति एवं राज्य परियाजना समिति की नीतियों, कार्यक्र का जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन एवं मार्ग दर्शन अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन करने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। नियमानुसार आवश्यक स्टाफ पद सृजित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति प्रस्तावित है।

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकी	1	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (E.G.S./A.I.E.)	1	प्रति नियुक्ति पर
3.	जिला समन्वयक	4	प्रति नियुक्ति/नियम वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू0 10000/–नियत वेतन प्रति पद
5.	ई0एम0आई0एस0 अधिकारी	1	रू0 10000/–नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यकी सहायक	3	रू0 7000/– नियत वेतन प्रति पद
7.	स0 लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय पर
9.	परिचायक	1	नियत मानदेय पर

उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगें एवं परियोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद में कार्यरत समस्त उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें जो परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का कार्य करेगें इसके अतिरिक्त जिला बेसिक शिखा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा परियोजना क्रियान्वयन हेतु पूर्ण सहयोग /समर्थन प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत विद्यालय भवन, शौचालय, चहार दीवारी, अतिरिक्त कक्षा कक्ष आदि का निर्माण कराने का लक्ष्य है जिसके निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि निर्माणधीन भवनों का निर्माण तकनीकी पर्यवेक्षण के अन्तर्गत हो। इसके लिये विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से अभियन्ताओं को मानदेय देकर उनसे तकनीकी पर्यवेक्षण कराया जायेगा। यह मानदेय प्रति विद्यालय भवन हेतु रू0 1000/– प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु रू0 500/– प्रति शौचालय रू0 200/– दिया जायेगा। निश्चित अवधि तीन वर्ष पर मानदेय बढ़ाना प्रस्तावित है। अभियन्ताओं द्वारा किये गये तकनीकी पर्यवेक्षण का कार्य सन्तोष जनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा इन्हें मानदेय भुगतान किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 (एजूकेशनल मैनेजमेंट इन्फारमेसन सिस्टम)–

जिला परियोजना कार्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु ई0एम0आई0एस0 की स्थापना की जायेगी। पूर्व से उपलब्ध कम्प्यूटर से वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना के आंकड़ों का संकलन समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये भी साफ्टवेयर, डाटाबेस तथा आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर हार्डबेयर के उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। कुल मिलाकर एक अद्यतन एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट स्थापित हो सकेगा।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्राथमिक, पूर्व मा0 स्तरीय शिक्षा, वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी शैक्षिक आंकड़ा एवं सांख्यकी तैयार करने के लिये स्थापित ई0एम0आई0एस0 के संचालन हेतु एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी व तीन कम्प्यूटर आपरेटर अथवा सांख्यकी सहायक की नियुक्ति की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय ई0एम0आई0एस0 के महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार

करेगी। इस तरह जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के संसाधन के रूप में होगा और जिसका उपयोग कार्यक्रम के सफल शैक्षिक योजना एवं सफल अनुश्रवण में किया जायेगा।

प्रशिक्षण :–

ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्रों के भरने, संकलित करने एवं विश्लेषण करने हेतु सांख्यिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, कम्प्यूटर आपरेटर, बी0आर0सी0, ए0बी0आर0सी0 समन्वयक, स0बे0शि0 अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को दिया जायेगा। आंकड़ों की शुद्धता जॉच हेतु विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों की चंकिंग हेतु फील्ड स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

जिला परियोजना अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक, लेखा स्टाफ, कम्प्यूटर स्टाफ को जनपद स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। स0बे0शि0 अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक बी0आर0सी0, ए0बी0आर0सी0 समन्वयक को दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 कम्प्यूटर आपरेटर का एक सप्ताह का प्रशिक्षण सीमैट द्वारा दिया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य व दायित्व :–

1. माइक्रो प्लानिंग आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण करके सभी सम्बन्धित को उपलब्ध कराना।
2. भरे प्रपत्रों की सैम्पुल चेंकिग करके यदि संसोधन कोई है तो उसे अभिलिखित करवाना।
3. विद्यालय से भरे गये प्रपत्रों का एकत्रीकरण करना।
4. जिला परियोजना कार्यालय में शैक्षिक सांख्यकी के लिये नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा राज्य स्तरीय बैठक एवं कार्यशाला से सम्मिलित होंगे।
5. विद्यालय सांख्यकी प्रपत्रों का मुद्रण एवं वितरण सम्बन्धी कार्य।

6. जनपद के फील्ड स्टाफ बी0आर0सी0 समन्वयक एवं समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रधानाध्यापक से प्रशिक्षित करने का कार्य।

7. निश्चित समय से समस्त डाटा पूर्ण करके एवं रिपोर्ट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करने का कार्य।

8. न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड वार ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट की समीक्षा कर बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डायट जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट उपलब्ध कराना होगा।

9. सांख्यिकी विश्लेषण एवं अन्य तकनीकों की जानकारी रखना।

आकड़ों को इकट्टा करना एवं उसकी शुद्धता को जॉच कर ऑकड़ों का उपयोग करना—

निर्धारित प्रारूप एवं सांख्यिकी प्रपत्र प्राथमिकी एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों से एकत्र कर एवं कम्प्यूटर में डाटा इन्ट्रर के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा भरे गये प्रपत्रों की कम्प्यूटर प्रिन्ट विद्यालय प्र0अ0 को भेजा जायेगा। जिससे उन्हें उसकी शुद्धता की जानकारी हो सके एवं यदि कोई त्रुटि है तो सुधार किया जा सके। कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय, ड्राप आउट दर, रिपीटीशन दर, जी0ई0आर0एन0 ई0आर0 आदि महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स ई0एम0आई0एस0 ऑकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त होंगे जिसका उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स से किया जायेगा। तद्नुसार कार्यक्रमों में संसोधन भी किया जा सकेगा। माइक्रो प्लानिंग से ग्राम स्तरीय प्राप्त ऑकड़ों एवं ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण कर तद्नुसार कार्यक्रम में समावेश तथा संसोधन किया जायेगा। माइक्रो प्लांनिग एवं ई0एम0आई0एस0 के ऑकड़ो का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जायेगा।

1— शिक्षकों के विवरण।

2— निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण लाभार्थियों का आंकलन।

3— नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु बस्तियों की पहचान।

4— एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

5— शिक्षा गारण्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान।

6— छात्र संख्या बृद्धि अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों की पहचान।

7— छात्र अध्यापक अनुपातानुसार शिक्षा मित्रों की आवश्यकता एवं विद्यालय की पहचान।

8— बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालय एवं न्याय पंचायतों की पहचान।

9— विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

10— विकलांगतानुसार उन्हें उपकरण उपलब्ध कराना।

11— अवस्थापना सम्बन्धी मॉग का आकलन एवं निर्धारण।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न **कार्यक्रम आयोजित** किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर **पर प्रदर्शनी**, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के **माध्यम से किया** जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा [illegible] केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद **विवाद/ वार्ताओं** के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

नेशनल प्रोग्राम फार द एजूकेशन आफ गर्ल्स ऐट द एलीमेण्ट्री लेवल (एन0पी0ई0जी0ई0एल0) कार्यक्रम

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के सम्बर्धन हेतु एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 नामक कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यालयों में लागू होगा जहाँ महिला साक्षरता दर 30.62 (वर्ष 91 जनगणना) और पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में जेण्डर गैप 27.25 से अधिक हो तथा 642 Urban Wards के मलिन बस्तियों में समलित किया जायेगा। प्रथम चरण में वर्ष 2003–04 हेतु कुल 2374 ऐसे विद्यालय चिन्हित किये गये है। अगामी वर्ष में समस्त चिन्हित विकास खण्ड एवं नगरीय वार्डो के अन्य विद्यालयो के आच्छादन की योजना है। परियोजना हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की भांति ही व्ययभार का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन होगा।

प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन ढाँचा

- राज्य स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। परिषद के अन्तर्गत विकसित जेन्डर यूनिट द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित जिला परियोजना समिति द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्षमता सम्बर्धन हेतु एक जेण्डर यूनिट का गठन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- ब्लाक स्तर पर परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत ब्लाक स्तरीय दो सहायक समन्वयक में से एक जेण्डर को–आर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा जोकि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

- जिन जनपदों के विकास खण्डों में महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम परियोजना के समन्वय के साथ महिला सामाख्या द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा तथा ब्लाक जेण्डर समन्वयक के रूप में महिला सामाख्या के ब्लाक प्रतिनिधि कार्य करेंगे / करेंगी। परियोजना में 5 जनपदों में महिला सामाख्या कार्यरत है तथा कुल 5 ब्लाकों में कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।

बजट व्यवहार – परियोजना के पूर्व तक नियमानुसार एन0पी0ई0जी0ई0एल0 बजट व्यवहृत किया जायेगा। केवल ऐसे विकासखण्ड जहाँ महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर किया जाने वाला व्यय महिला सामाख्या द्वारा व्यवहृत किया जायेगा। परन्तु विद्यालय स्तर का व्यय परियोजना में नियमानुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। जिसकी मानीटरिंग महिला सामाख्या करेगी।

प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु एवं बजट विवरण

➢ आच्छादित क्षेत्रः– भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उ0 प्र0 के 70 जनपदों के 774 विकासखण्डों तथा 642 नगर क्षेत्रों के कुल 2374 विद्यालयों को प्रथन चरण मे मॉडल क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, अगामी वर्षो में अन्य विद्यालयों के चयन की येाजना है।

➢ मदवार बजट :–

1. क्लास्टर विद्यालय हेतु आवर्तक अनुदान :– बालिका शिक्षा सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से विद्यालय का रख–रखाव करनें तथा कौशल आधारित विषयों पर प्रति विद्यालय अनुदेशक की व्यवस्था हेतु कुल रू0 20,000.00 प्रति विद्यालय

आवर्तक अनुदान रखा गया है। अनुदेशक का मानदेय रू0 1000.00 प्रतिमाह होगा तथा एक विद्यालय पर अधिकतम तीन माह के लिए अनुदेशक रखा जायेगा। अनुदेशकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

आवर्तक अनुदान का मदवार विवरण–

- अनुदेशक मानदेय – 3000.00
- लकड़ी की बेंच एवं मेज (बच्चों के बैठने हेतु)– 15000.00
- अन्य रख–रखाव – 2000.00

2. छात्र मूल्यांकन, Remedial Teaching, ब्रिजकोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत बालिकाओं के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने, विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिए ब्रिजकोर्स अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रति विद्यालय रू0 10,000.00 की धनराशि प्रस्तावित है।

3. अध्यापक प्रशिक्षण – बालिकाओं के कौशल विकास हेतु पर एक विद्यालय के 4 अध्यापकों को कार्यान्वन शिक्षा प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत प्रति अध्यापक प्रति दिन रू0 70.00 होगी।

4. शिशु शिक्षा केन्द्र :– आंगनवाड़ी विभाग के साथ कन्वर्जेंस करते हुए क्लस्टर विद्यालय पर ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर केन्द्र संचालन मीना मंच द्वारा किया जाने का प्रस्ताव है। प्रति केन्द्र रू0 6000 की दर से बजट प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्र संचालन की प्रक्रिया तथा बजट का ब्रेक–अप निम्नवत है।

- चयन प्रक्रिया – मंच की आम सभा में संचालिका का चयन किया जायेगा तथा मंच के प्रस्ताव पर ग्राम शिक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- मीना मंच की कार्यकारिणी समिति केन्द्र संचालन का सुपरविजन करेंगी।
- मंच की अन्य बालिकाएं केन्द्र का सहयोग करेंगी।
- केन्द संचालन मीना कक्ष में किया जायेगा।

संचालिका हेतु पात्रता–

14–18 वय वर्ग की मीना मंच की सदस्य हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हो।

बजट विवरण –

मानदेय : 400 प्रतिमाह प्रति संचालिका। (10 माह हेतु)

केन्द्र स्थापना –2000 प्रति केन्द्र (सामग्री सूची तथा कय प्रकिया ई0सी0सी0ई0 की भांति रहेगी)।

5. क्लस्टर विद्यालयों की बालिकाओं हेतु यूनिफार्म तथा वक बुक हेतु प्रति बालिका रू0 150.00 की दर से धनराशि अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

6. सामुदायिक सहभागिता :– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रति जनपद कुल रू0 1,40,000.00 की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था शामिल है। उक्त धनराशि का फॉटवार विवरण निम्न है।

   प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक चयनित क्लस्टर विद्यालय पर एक विशेष डिजाइन का रिक्शा होगा जो लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करेगा। क्लस्टर विद्यालय हेतु बालिकाओं की सांस्कृतिक टीम को गांव में भ्रमण करायेगा, ऐसी बालिकायों जो विकलांग हैं अथवा विद्यालय दूरी के कारण स्कूल नहीं आती हैं। उन्हे विद्यालय

लाने ले जाने का कार्य करेगा। रिक्शा चालक के रूप में गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी । रिक्शा चालक को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली समय में रिक्शा का प्रयोग अपनी रोजी हेतु कर सकता है। यदि समुदाय चाहे तो रिक्शा चालक को मानदेय दे सकती है।

बजट ब्रेक अप–

- रिक्शा – 10,000.00 X क्लस्टर विद्यालयों की संख्या (यह बजट जनपदवार अलग–अलग होगा)
- टी०ए०/डी०ए०– 20,000.00 प्रति जनपद
- मेला सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रचार प्रसार – 20,000.00 प्रति जनपद

7. लायब्रेरी स्थापना खेलकूद की सामग्री आदि – क्लस्टर विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी तथा खेलकूद के लिए झूलों आदि की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्रति विद्यालय रू० 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी हैजिसका बजट ब्रकअप निम्नवत है।

1	झूला	@ 15000.00
2	सायकिल	@ 900.00 X 5=4500.00
3	वेइंग मशीन	@ 500.00
4	कितावें	@ 5000.00
5	साउन्ड सिस्टम 1	@ 1500.00

6 आडियो सिस्टम 1 (टू इन वन) @ 1500.00

7 अन्य आवश्यकतानुसार 3000.00

8. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 2,00,000 (दो लाख की दर से लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर नगर जनपदों हेतु धनराशि वर्ष 2003–04 हेतु प्रस्तावित की गयी है।

9. प्रदेश के 633 नगर क्षेत्रों के लगभग 8000 वार्डों के मलिन बस्तियों 20 प्रतिशत (लगभग 1600 वाडों) विद्यालयों हेतु रू0 5 लाख प्रति वार्ड प्रस्तावित हैं।

10. कुल बजट का 6 प्रतिशत मैनेजमेंट कास्ट अनुमन्य है।

नोट :– विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की पी0ए0बी0 में उक्त प्रस्ताव गया था जिसमें कुछ संशोधन मांगे गये थे जिनको अवगतार्थ प्रेषित हैं। उनके द्वारा कुछ विस्तृत सूचनायें मांगी गई हैं। जिनका approval माँगा गया है।

प्रस्ताव :– **(A)** कार्य क्रम समिति एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम से उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहें जिससे इस कार्यक्रम को औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को योजना की मंजूरी हेतु प्रेषित किया जा सके।

LIST Regarding 8 selected districts

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता दर जनपद (%)	जेन्डर गैप जनपद (%)	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर (%)	जेन्डर गैप (%)	विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
							बालक	बालिका	योग
1	वहराइच		21.17	शिवपुर	5.01	21.8			0
				पयागपुर	13.32	35.1			0
				चित्तौरा	8.11	31.81			0
				कैसरगंज	10.35	25.76			0
				महसी	10.64	26.56			0
				जरवल	9.62	26.04			0
				मिहीपुरवा	7.53	22.03			0
	13			बलहा	5.59	22.55			0
				तेजवा पुर	8.2	24.65			0
				हून्नूरपुर	14.48	24.51			0
				विश्वेश्यर गंज	11.01	34.74			0
				फखरपुर	8.92	24.04			0
				नवाब्गंज	8.42	27.01			0
2	गोण्डा	13.42	30.06	झंझरी	13.3	34			0
				पण्डरी कृपाल	8.1	28.8			0
				मुजेहना	8.7	30.5			0
				इटियाथोक	8.1	30.9			0
				रूपैडिह	7.7	31.02			0
				वजीरगंज	12.3	33.01			0
				नवाबगंज	10.2	27.05			0
	16			तरबगंज	10.8	30.09			0
				बेलसर	10.7	29.03			0
				कटराबाजार	5.5	28.06			0
				करनैलगंज	9.8	27.8			0
				बभनजोत	9.7	28.6			0
				छपिया	15.8	32.3			0
				हलधरमऊ	9.9	33			0
				मनकापुर	14.1	31.04			0
				परसपुर	12.6	32.06			0
3	श्रावस्ती		34.34	गिलौला	23.99	29.54	1924	1597	3521
				जमुनहा	18.31	24.24	4750	4158	8908
				हरिहरपुर रानी	20.12	24.02	7157	6380	13537
				सिरसिया	15.12	20.58	4112	3596	7708
				इकौना	24.63	29.73	6256	5780	12036
4	वलरामपुर		23.21	उतरौला	17.7	26.33	2395	2458	4853
				रहरा बाजार	10.4	27.3	2510	2264	4774
				हरैया सतधरवा	4.5	22.3	4639	3932	8571
				बलरामपुर	9.9	25.6	4691	4234	8925
				तुलसीपुर	7.2	18.6	4520	3939	8459
				पचपूड़वा	8.7	25.3	5346	5547	10893
				बैसड़ी	7.2	20.5	3872	3724	7596

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				गैण्डासबुजुर्ग	9.8	23.8	1497	1475	2972
				श्रीदत्त गंज	7.8	24.2	2942	2691	5633
5	रामपुर		18.48	स्वार	9.08	17.03	9448	9380	18828
				बिलासपुर	16.8	18.01	7511	7167	14678
				सैदनगर	3.07	17.02	5769	6812	12581
				चमरौआ	3.09	18.05	5583	5143	10726
				शाहबाद	5.04	22.01	8744	8837	17581
				मिलक	8.03	25.07	5639	5244	10883
6	बदायूँ			कावर चौक	6.44	21.25	3752	3645	7397
				उझानी	13.44	25.63	4212	4435	8647
				इस्लामनगर	9.33	24.96	4507	4371	8878
				सालार पुर	9.52	24.57	4643	4399	9042
				सहसवान	4.84	17.89	10997	9544	20541
				जगत	11.08	25.7	4179	4748	8927
				जूनावई	4.08	20.99	4160	4281	8441
				दातागंज	9.36	22.19	4490	4278	8768
				उसावा	6.47	20.89	4447	3445	7892
				मिआउल	10.62	26	4413	4757	9170
				समरेर	7.33	23.34	4800	4443	9243
				वजीरगंज	10.35	26.16	864	912	1776
				अम्बियापुर	9.71	23.32	6346	6230	12576
				गुन्नौर	3.81	19.58	8271	9093	17364
				आसफपुर	10.63	27.06	5901	5305	11206
				बिसौली	10.42	26.81	5478	5975	11453
				रजपुरा	3.4	16.18	7549	8553	16102
				दहगया	3.76	13.59	9102	8397	17499
7	सिद्धार्थनगर.	11.92	29.4	साथा	12.62	34.86			0
				खसहरा	10.79	31.28			0
				बांसी	8.01	26.32			0
				मिठवल	11.96	32.56			0
				डुमरियागंज	19.22	28.39			0
				भनवापुर	9.57	26.75			0
				इटवा	10.63	23.65			0
				खुनियांव	6.44	25.94			0
				जोगिया	5.07	27.77			0
				उरका	11.02	30.38			0
				नौगढ़	10.64	33.19			0
				शांहरतगढ़	8.68	30.94			0
				बढ़नी	9.34	22.08			0
				वर्डपुर	11.05	32.06			0
8	महाराजगंज		35.04	बिठौरा	27.05	39	2214	2779	4993
				निचलौल	25.5	27.06	12094	5711	17805
				सिसवां	28.04	37	3997	5476	9473

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
				घुघली	29.03	39.02	1526	2320	3846
				पुरतापल	29.02	43.03	3242	3538	6780
				पनियरा	26.04	40.05	2734	2236	4970
				फरेंदा	26.8	40.08	2385	1355	3740
				धानी	28.05	37.09	904	913	1817
				लक्ष्मी पुर	29.02	34.06	4579	4739	9318
				नौतनवा	28.09	35.08	13290	5717	19007

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोग्राम आफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (NPEGEL) की कार्ययोजना एवं बजट वर्ष **2003-04**

S.No	Name of Item	Unit	Balrampur		Budaun		Srabasti		Gonda		Bahraich	
		Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Recurring grant	20000	9	180000	18	360000	5	100000	16	320000	14	280000
2	Awards to teachers	5000	9	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative Schooling	10000	9	90000	18	180000	5	50000	16	160000	14	140000
4	Learning through open schools	50000					0		0		0	
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	64	8960	56	7840
6	Child care Centers	6000	9	54000	18	108000	5	30000	16	96000	1	6000
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	176280	3600	234000	903	58695	4090	265850	3500	227500
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	420000
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	200000
	Total			2715320		5172080		1531495		4670810		1421340
	Management cost (6%)			162919.2		310324.8		91889.7		280248.6		85280.4
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**4238**	**4951059**	**3604**	**1506620**

Rampur		Maharajganj		Siddarthngar		Total	
Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
6	120000	11	220000	12	240000	91	1820000
0	0	0	0	0	0	9	0
6	60000	11	110000	12	120000	91	910000
0		0		0		0	0
24	3360	44	6160	44	6160	360	50400
3	18000	0	0	6	36000	58	348000
1500	97500	2750	178750	3000	195000	22055	1433575
4	140000	4	140000	4	140000	32	1120000
6	180000	11	330000	12	360000	91	2730000
3	600000	10	2000000	6	1200000	68	13600000
	1218860		2984910		2297160	0	22011975
	73131.6		179094.6		137829.6	0	1320718.5
1552	1291992	2841	3164005	3096	2434990	22855	45344668.5

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के घुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005–06 में ...05... प्राथमिक एवं ...05... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004–05	75	
2005–06	25	
2006–07	10	
योग	110	

कुल लक्ष्य 110 का है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - SHRAWASTI

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover Physical	Spillover Financial	Approved Fresh Proposals 2003- Unit Cost	Physical	Financial	Total Proposals Physical	Total Proposals Financial	Remark
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC						0	0.00	
1	Asst. Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00	0	0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments			10.00	0	0.00	0	0.00	
3	Traviling Allowance & Meeting			6.00	5	30.00	5	30.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	5	25.00	5	25.00	
7	Contegency			12.50	5	62.50	5	62.50	
	TOTAL BRC	0	0.00		15	117.50	15	117.50	
(II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture/fixture & Equipments			5.00	0	0.00	0	0.00	
9	Salary Coridinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM			1.00	54	54.00	54	54.00	
11	Contegency			2.50	54	135.00	54	135.00	
12	Meeting & TA			2.40	54	129.60	54	129.60	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		162	318.60	162	318.60	
(III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School	0	0.00	259.00	68	17612.00	68	17612.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	21	1428.00	280.00	132	36960.00	153	38388.00	Spill.Handpump
15	Additinal Classrooms PS	0	0.00	70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS			70.00	5	350.00	5	350.00	
17	Toilets PS			10.00	0	0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	10	100.00	10	100.00	
19	Reconstruction PS	0	0	191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	2	766.00	2	766.00	
21	Drinking Waters PS			15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00	0	0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining			250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	21	1428.00		217	55788.00	238	57216.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)								
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	15	540.00	15	540.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	52	1757.60	52	1757.60	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		68.00	2477.60	68.00	2477.60	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		68	2477.60	68	2477.60	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
34	Free Text Books PS			0.05	341	17.05	341	17.05	
35	Free Text Books UPS			0.15	13490	2023.50	13490	2023.50	
	TOTAL Text Book	0	0.00		13831	2040.55	13831	2040.55	
(VII)	IED						0	0.00	
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	650	780.00	650	780.00	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCC				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
57	P.S.			5.00	571	2855.00	571	2855.00	
58	U.P.S.			5.00	80	400.00	80	400.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		651	3255.00	651	3255.00	
(XIII)	DPO						0	0.00	
	Management Cost	0.00	0.00			1200.00	0	1200.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
71	P.S.			1.40	0	0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	80	112.00	80	112.00	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		80	112.00	80	112.00	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	16	32.00	16	32.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	160	320.00	160	320.00	
	Total School Grant	0	0		176	352.00	176	352.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - SHRAWASTI

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVI)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)						0	0.00	
75	Salary of Asstt Teacher PS			9.00		0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	63	7560.00	63	7560.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25		0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	0	0.00		63	7560.00	63	7560.00	
(XVII)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
79	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	68	3672.00	68	3672.00	6 Months
80	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	396	23760.00	396	23760.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	68	918.00	68	918.00	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	883	11920.50	883	11920.50	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	0	0.00		1415	40270.50	1415	40270.50	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	0	0.00		1478	47830.50	1478	47830.50	
XVIII	TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
84	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	150	75.00	150	75.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	1252	626.00	1252	626.00	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00		1402	701.00	1402	701.00	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
87	TLE PS @10			10.00	68	680.00	68	680.00	
88	TLE UPS @50	21	1050.00	50.00	132	6600.00	153	7650.00	
88 (a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB	55	2750.00	50.00		0.00	55	2750.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	76	3800.00		200	7280.00	276	11080.00	
(XX)	TEACHER TRAINING						0	0.00	
89	Induction Traininmg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	28	58.80	28	58.80	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	91	127.40	91	127.40	
91	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	532	558.60	532	558.60	
	TOTAL Teacher Training	0	0.00		651	744.80	651	744.80	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
92	VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48		0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		0	0.00	0	0.00	
XXIII	EMIS CELL						0	0.00	
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00			200.00	0	200.00	
XXIII	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		5228.00			128197.55		133425.55	

Uttar Pradesh

Annual Work Plan (2002-03) 54 Districts (DPEP)

	Unit	Shajhanpur		Sharawasti		Siddhartnagar		Sonbhadra		Sultanpur		Unnao	
Activities	Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
Civil Works													
New Upper Primary Schools	451	40	11275.00	44	9471.00	34	9020.00	27	6765.00	58	16687.0	15	6765.00
Additional Classroom UPS	70					0	0.00	0	0.00	10	700.0	45	3150.00
Total			**11275.00**		**9471.00**	34	**9020**	27	**6765**		**17387.0**	60	**9915**
Free Text Booksfor SC/ST& girls(UPS)	0.15	36354	**5453.10**	17223	**2583.45**	25762	**3864.30**	11930	**1789.50**	82466	**12369.9**	39421	**5913.15**
Provision for Disabled children	0.4			325	**130.00**	400	**160.00**	500	**200.00**	696	**278**	1205	**482.00**
Innovation Programme													
Opening of ECCE centres		0		0	1500.00	0	500.00	0		0		0	
Promoting Girls Education		0	1500.00	0	500.00	0	1500.00	0		0	1500	0	
Special Interventions for SC/ST	0					0		0	1500.00	0		0	1500.00
Total			**1500.00**		**2000.00**	0	**2000**	0	**1500**		**1500.0**	0	**1500**
Repair & Maintenance for UPS	5	265	**1325.00**	80	**400.00**	159	**795.00**	123	**615.00**	246	**1230.0**	278	**1390.00**
Management Total			**888.00**		**126.00**	15	**812**	9	**654**		**906.0**	33	**1086**
Research and Evaluation	1.4	305	427.00	124	173.60	193	270.20	150	210.00	304	425.6	293	410.20
School Grant for UPS	2	265	**530.00**	80	**160.00**	159	**318.00**	123	**246.00**	246	**492.0**	278	**556.00**
Teacher Grant(UPS)	0.5	965	**482.50**	532	**266.00**	557	**278.50**	81	**40.50**	1471	**735.5**	1493	**746.50**
Furniture/Fixture										0	0.0		
UPS not Covered under OBB	50	40	2000.00	55	2750.00	25	1250.00	50	2500.00	44	2200.0	54	2700.00
UPS	50	40	2000.00	44	2200.00	34	1700.00	27	1350.00	58	2900.0	15	750.00
Total		**80**	**4000**	99	**4950**	59	**2950**	**77**	**3850**	**102**	**5100**	**69**	**3450**
Teachers Salary													
Salary of New UPS teachers	10	120	7200.00	132	7920.00	102	6120.00	81	4860.00	174	10440.0	45	2700.00
HT of New UPS	0	0	**0.00**	0	**0.00**	0	0.00	0	0.00	0	**0.0**	0	0.00
Teachers Training													
Induction Trg. For Asst. Teachers (30 days)	0.07	120	252.00	132	277.20	102	214.20	81	170.10	174	365.4	45	94.50
In-service Teachers Training (20 days)	0.07	845	1183.00	400	560.00	455	637.00	0	0.00	1297	1815.8	1448	2027.20
Total		**965**	**1435**	**532**	**837.2**	**557**	**851.2**	**81**	**170.1**	**1471**	**2181.2**	**1493**	**2121.7**
Grand Total			**34515.6**		29017.3		**27439.2**		20900.1		53045.6		**30270.6**

25

Uttar Pradesh

Annual Work Plan (2002-03) 54 Districts (DPEP)

Activities	Unit Cost	Phy.	Total Fin
Civil Works			
New Upper Primary Schools	451	2040.0	543456.0
Additional Classroom UPS	70	178.0	12460.0
Total			0.0
Free Text Booksfor SC/ST& girls(UPS)	0.15	1585896.0	237884.4
Provision for Disabled children	0.4	43564.0	17425.6
Innovation Programme			0.0
Opening of ECCE centres			0.0
Promoting Girls Education			0.0
Special Interventions for SC/ST	0		0.0
Total			85500.0
Repair & Maintenance for UPS	5	10380.0	51900.0
Management Total			38920.0
Research and Evaluation	1.4		0.0
School Grant for UPS	2	10168.0	20336.0
Teachor Grant(UPS)	0.5	46451.0	23225.5
Furniture/Fixture			0.0
UPS not Covered under OBB	50		0.0
UPS	50		0.0
Total		4540.0	227000.0
Teachers Salary			0.0
Salary of New UPS teachers	10	6108.0	366480.0
HT of New UPS	0		0.0
Teachers Training			0.0
Induction Trg. For Asst. Teachers (30 days)	0.07		0.0
In service Teachers Training (20 days)	0.07		0.0
Total		46230.0	69573.0
Grand Total			1711391.9

Annex V

Total Outlay including spillover for 2002-03 for DPEP UP

(Rs lakhs)

Sl. No.	District	Outlay 2001-02	Spill over amount	Outlay for 2002-03	Total Outlay + Spill over 2002-03
1	Agra	33.09	27.39	308.38	335.77
2	Ambedkar Nagar	29.89	26.39	267.89	294.28
3	Azamgarh	32.72	27.00	418.52	445.52
4	Badaun	33.70	26.90	346.35	373.25
5	Baghpat	29.46	26.30	180.03	206.33
6	Bahraich	32.96	27.00	289.45	316.45
8	Ballia	32.65	26.49	389.63	416.12
7	Balarampur	31.65	27.09	303.26	330.35
9	Barabanki	33.75	27.49	304.16	331.65
10	Bareilly	34.01	26.99	264.66	291.65
11	Basti	31.27	26.39	321.53	347.92
12	Bijnor	32.85	27.29	331.61	358.90
13	Bulandshahar	31.23	26.49	294.93	321.42
14	Deoria	32.37	26.49	359.27	385.76
15	Etah	39.03	29.49	317.02	346.51
16	Faizabad	32.01	26.89	309.48	336.37
17	Farrukabad	31.01	26.59	280.82	307.41
18	Fatehpur	32.23	27.09	316.41	343.50
19	Ferozabad	32.47	27.19	301.87	329.06
20	Gautam Budh Nagar	28.38	25.90	182.29	208.19
21	Ghaziabad	32.54	27.30	249.19	276.49
22	Ghazipur	32.56	27.30	336.52	363.82
23	Gonda	33.36	27.50	350.47	377.97
24	Hamirpur	32.45	27.29	247.95	275.24
25	Hardoi	39.43	29.99	410.84	440.83
26	Jyotibaphule Nagar	28.56	26.62	300.85	327.47
27	Jalaun	31.78	28.39	295.61	324.00
28	Jaunpur	35.89	27.40	510.73	538.13
29	Jhansi	33.14	25.50	335.11	360.61
30	Kannauj	30.91	26.79	254.35	281.14
31	Kanpur Dehat	33.04	27.50	291.52	319.02
32	Kushinagar	31.52	26.90	306.57	333.47

50. Shrawasti 29.23 26.83 290.17 317.06 27

51 Bahraich 32.96 27.00 289.45 316.45

-161-

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
SRAWASTI

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	68	17612	0	0	5	1280	0	0	73	18892
A2	New Upper Primary Schools	451	21	9471	132	36960	0	0	5	1400	0	0	158	47831
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	63	7920	63	7560	63	7560	63	7560	63	7560	315	38160
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	68	918	68	1683	73	1806.75	73	1806.75	282	6214.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	68	3672	68	7344	73	7884	73	7884	282	26784
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	396	23760	396	47520	411	49320	411	49320	1614	169920
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	68	680	0	0	5	50	0	0	73	730
A8.2	UPS	50	44	2200	132	6600	0	0	5	250	0	0	181	9050
A9	TLE UPS not covered OBB	50	55	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	55	2750
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**22341**	0	**97762**	0	**64107**	0	**69550.75**	0	**66570.75**		**320331.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	180	3802.5	230	4858.75	250	5281.25	660	13942.5
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary(including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	90	1901.25	115	2429.375	165	3485.625	370	7816.25
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	15	540	50	1800	75	2700	100	3600	240	8640
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	2	360	2	360	2	360	7	1260
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	52	1757.6	52	1757.6	52	1757.6	52	1757.6	208	7030.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	40	614	40	614	40	614	120	1842
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACCESS Subtotal		0	**22341.00**	0	**100239.60**	0	**74342.35**	0	**82270.48**	0	**81669.23**	**0**	**360862.65**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	2	382	0	0	0	0	2	382
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	2	766	2	766	0	0	0	0	4	1532
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	60	4200	60	4200	54	3780	174	12180
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	10	700	5	350	50	3500	50	3500	97	6790	212	14840
R4.1	Toilets Upper Primary	10	25	250	10	100	0	0	0	0	0	0	35	350
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	75	750	25	250	10	100	110	1100
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	6	108	6	108	6	108	18	324
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	571	2855	716	3580	716	3580	721	3605	2724	13620
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	80	400	80	400	212	1060	212	1060	217	1085	801	4005
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	883	21854.25	1002	24799.5	1018	25195.5	2903	71849.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	119	11424	134	12864	149	14304	402	38592
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	883	11921	119	2945.25	16	396	15	371.25	1033	15633
R10.1	School improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	16	32	716	1432	721	1442	721	1442	2174	4348
R10.2	School improvement grant(p.a./school) UPs	2	80	160	160	320	235	470	240	480	240	480	955	1910
R12	**Promoting Girls Education**		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	60	270	60	270	60	270	180	810
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	2	150	2	150	9	675
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	50	200	70	280	70	280	190	760
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	25	625	50	1250	30	750	105	2625
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opening of ECCE centers		0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	150	750	250	1250	350	1750	750	3750
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	150	562.5	250	937.5	350	1312.5	750	2812.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	150	225	250	375	0	0	400	600
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	70	196	80	224	80	224	230	644
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	35	175	50	250	50	250	135	675
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	1649	0	0	15	1000.5	10	667	10	667	35	3983.5
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	80	4800	0	0	80	4800	170	14600
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	851	2127.5	0	0	851	2127.5	1702	4255
	RETENTION Sub Total		0	**5159**	0	**21743.5**	0	**63778.0**	0	**58333**	0	**69841.75**	0	**218866.25**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	28	58.8	1020	2142	21	44.1	15	31.5	1084	2276.4
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	132	277.2	0	0	187	392.7	35	73.5	15	31.5	369	774.9
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	91	127.4	685	959	877	1227.8	892	1248.8	2545	3563
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	400	560	532	558.6	624	655.2	639	670.95	639	670.95	2834	3115.7
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	1025	1435	1041	1457.4	2066	2892.4
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	100	210	50	105	20	42	170	357
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1.2	325	130	650	780	707	848.4	798	957.6	825	990	3305	3706
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	2	5	2	5	2	5	6	15
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	3	6	0	0	3	6	6	12
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	150	75	1628	814	2188	1094	2676	1338	6642	3321
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	532	266	1252	626	738	369	857	428.5	1075	537.5	4454	2227
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	341	17 05	71302	3565.1	78442	3922.1	83633	4181 65	233718	11685.9
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	17223	2583.45	13490	2023.5	4767	715.05	5243	786.45	5767	865.05	46490	6973.5
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.8	*Children Learning Evaluation(UPS) 3 times*	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QUALITY Sub Total		0	**3816.65**	0	**4266.35**	0	**10681.45**	0	**10750**	0	**11405.36**		**40919.8**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	3	180	1	60	1	60	5	300
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	2	52	2	52	2	52	6	156
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	10	500	10	500	10	500	30	1500
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	*Civil Construction*	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	5	720	5	720	5	720	15	2160
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	5	330	5	330	5	330	15	990
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	5	180	5	180	5	180	15	540
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	5	50	5	50	5	50	15	150
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	5	30	5	30	5	30	5	30	20	120
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	5	50	5	50	5	50	15	150
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	5	25	5	25	5	25	5	25	20	100
C2.10	**Consumables**	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	5	62.5	5	62.5	5	62.5	5	62.5	20	250
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	5	18	5	18	5	18	15	54
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	54	7776	54	7776	54	7776	162	23328
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	54	270	54	270	54	270	162	810
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	54	54	54	54	54	54	54	54	216	216
C3.4	Contingency	2.5	0	0	54	135	54	135	54	135	54	135	216	540
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	54	129.6	54	129.6	54	129.6	54	129.6	216	518.4
C4	District Project Office/Management		0	126	1	1200	0	0	0	0	0	0	1	1326
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	21	3780
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	2	60	1	30	1	30	4	120
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	*POL For ABSA/SDI Per Head per Month*	18	0	0	0	0	5	90	5	90	5	90	15	270
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	8	80	10	100	10	100	28	280
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	2	80	2	80	2	80	6	240
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	2	20	2	20	2	20	6	60
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	124	173 6	80	112	0	0	0	0	0	0	204	285.6
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**299.6**	0	**1748.1**	0	**13279.1**	0	**13149.1**	0	**13149.1**		**41625**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY **Sub Total**		*0*	*299.6*	*0*	*1948.1*	*0*	13803.1	0	13673.1	0	13673.1	**0**	43397
	GRAND TOTAL		0	31616.3	0	128197.55	0	162604.90	0	165026.58	0	176589.43	0	664034.70

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **SRAWASTI**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	10421.0	55788.0	9706.0	10738.0	10778.0	97431.0
Management	173.6	112.0	2394.0	2384.0	2384.0	7647.6
Programme	21021.7	72297.6	150504.9	151904.6	163427.4	558956.1
Total	**31616.3**	**128197.6**	**162604.9**	**165026.6**	**176589.4**	**664034.7**
Percentage - Civil	**33.0**	**43.5**	**6.0**	**6.5**	**6.1**	**14.7**
Percentage - Management	**0.5**	**0.1**	**1.5**	**1.4**	**1.4**	[illegible]
Percentage - Programme	**66.5**	**56.4**	**92.6**	**92.0**	**92.5**	[illegible]
Percentage - Total	100	100	100	100	100	[illegible]